लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चौथा सत्र
Fourth Session

Preservation Date 17-7-9?
Fumigated On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

खंड 17 में अंक 51 से 61 तक हैं
Vol. XVII contains Nos. 51 to 61

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्यः एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 55—गुरुवार, 2 मई, 1968। 12 बैशाख, 1890 (शक)

No. 55—Thursday, May 2, 1968/Vaisakha 12, 1890 (Saka)

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता. प्र. सं. S. Q. Nos.			
1587.	बेकारी की समस्या	Unemployment Problem	552—59
1589.	बेल्लारी जिले में चीनी की मिलें	Sugar Mills in Bellary District	559—61
1591.	बर्मा से चावल का आयात	Import of Rice from Burma	561—64
1592.	व्यावहारिक चिकित्सा विज्ञान संस्था, भारत	Society of Experimental Medical Science, India	564—65
1593.	दरभंगा जिले में टेलीफोन सुविधाएं	Telephone facilities in Darbhanga District	565—66
1596.	दंडकारण्य परियोजना	Dandakaranaya Project	566—68
अ. सू. प्र. सं. S. N. Q. Nos			
29.	उड़ीसा में सूखे की स्थिति	Drought Situation in Orissa	568—71
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS·			
ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.			
1588.	संविधान के अनुच्छेद 238 का निरसन	Repeal of Article 238 of the Constitution	571
1590.	हरियाणा में मध्यावधि चुनाव	Mid-term Poll in Haryana	571—72
1594	एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटियों द्वारा निर्यात	Export by Apex Marketing Societies	572
1595.	भविष्य निधि मुख्य आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी	Employees working in Office of Chief Commissioner, Provident Fund	572—73
1597.	किसानों के प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income of Agriculturists	573

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the house by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता. प्र. सं.		
S. Q. Nos.		
1598. बेरोजगारी भत्ता	Unemployment Allowance	573—74
1599. वनस्पति में रंग मिलाना	Colourisation of Vanaspati	574
1600. अगले आम चुनाव के लिये संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निधारण	Delimitation of Parliamentary Constituencies for next General Elections	574—75
1601. गेहूं पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Wheat	575
1602. मत्स्य परियोजनाओं का विकास	Development of Fishery Projects	575
1603. मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं	Soil Testing Laboratories	575—76
1604. अलफानगर गांव में डाक का वितरण	Distribution of Mail in village Alphanagar	576
1605. ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	576—77
1606. श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम	Working Journalists Act	577
1607. खाद्य तथा चारे के संबंध में अनुसंधान परियोजनाएं	Research Projects on Food and Fodder	578
1608. निर्यात प्रोत्साहन बोनस	Export Incentive Bonus	578
1609. दिल्ली में चीनी का कोटा	Sugar Quota in Delhi	579
1610. ज्वार का वसूली मूल्य	Procurement Price of Jowar	579
1611. पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of East Pakistan Refugees	579
1612. उत्तर प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in U. P.	579—80
1613. औद्योगिक शान्ति	Industrial Peace	580
1614. कच्चे काजू का उत्पादन	Production of Raw Cashewnuts	580
1615. इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर	Electronic Computers	580—81
अ. ता. प्र. संख्या		
U.S. Q. Nos.		
9250. महाराष्ट्र राज्य में खेतिहर मजदूर	Agricultural Labour in Maharashtra State	581
9251. महमादपुर बादल, बिहार में डाकघर	Post Office in Mahmadpur Badal, Bihar	581
9252. कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना	Employees State Health Insurance Scheme	581—82
9253. भविष्य निधि	Provident Fund	582
9254. बम्बई की फर्मों द्वारा बनाई चटनी के डिब्बे में कीड़ों का पाया जाना	Worms Found in Tins of Pickles manufactured by Bombay Firm	583
9255. दिल्ली घरेलू नौकर संघ	Delhi Domestic Servants Union	583
9256. लालसोत तथा बमनवास के बीच सीधी डाक सेवा	Direct Postal Service between Lal sot and Bamanwas	584
9257. घासपातनाशी दवाइयां तथा बुवाई के उपकरण	Weed Killer and Sowing equipments	584—85
9258. कृषि उपज	Agricultural Output	585

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. सं U. S. Q. Nos.		
9259. फादर फैरर द्वारा कृषि का उत्पादन	Agricultural Production by Fr. Ferrer	585—86
9260. खाद्यान्न जमा करने की क्षमता	Storage Capacity for Foodgrains	586
9261- चीनी का निर्यात	Export of Sugar	586
9262. हरियाणा में गेहूँ के मूल्य	Wheat Prices in Haryana	586—87
9263. तमिलनाड में बेकार भूमि	Waste Land in Temilnad	587
9264. जोड़ा, उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange at Joda, Orissa	587—88
9265. उर्वरक उद्योग	Fertilizer Industry	588
9266. नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बेलूर, पश्चिम बंगाल	National Iron and Steel Company, Bellur, West Bengal	588—89
9267. मूल्यवान पत्थरों तथा जवाहारात की चोरी	Thefts of Precious Stones and Jewellery	589—90
9268. कल्याण रामा माइका माइनिंग, आंध्र प्रदेश	Kalyana Rama Mica Mining, Andhra Pradesh	590
9269. चित्तूर सहकारी चीनी कारखानें	Chittoor Co-operative Sugar Factories	590
9270. उपभोक्ता सहकारी भंडार	Consumers Co-operative Stores	591
9271. कारखाना अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन	Violation of Provision of Factory Act	591
9272. आम की फसल	Mango Crop	591—92
9273. टी० ई० सी० का पुनर्गठन	Re-organisations of T. E. C.	592
9274. उड़ीसा में सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज्य कार्यक्रम	Community Development and Panchayat Raj Programme in Orissa	592—93
9275. सोसाइटी आफ एक्सपेरिमेंटल मैडिकल साइंस, इंडिया	Society of Experimental Science India	593
9276. शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये गये भवन	Tenements constructed under Refugee Rehabilitation Programme	593—94
9277. सामुदायिक विकास खण्ड	Community Development Blocks	594
9278. चीनी बनाने का नया तरीका	New Process for Manufacture of Sugar	594—95
9279. अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियाँ	Informal Consultative Committees	595
9280. पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये विदेशी पशुओं का आयात	Import of Exotic Cattle for Cross-Breeding	595
9281. भारतीय श्रम सम्मेलन	Indian Labour Conference	595—96
9282. विवाह खर्च की अधिकम सीमा	Ceiling on Marriage Expenditure	596
9283. विवाह विच्छेद	Divorces	596—97
9284. खाद के गड्ढे	Manure Pits	597
9285. बदल-बदल कर फसलें उगाना	Rotational Crops	597—98

अ. ता.प्र. सं.
U. S. Q. Nos.

9286.	सघन कृषि कार्यक्रम	Intensive Cultivation Programme	598
9287.	फल की सप्लाई	Supply of Fruit	598
9288.	लिमिटेड कम्पनियों द्वारा बोनस न दिया जाना	Non-Payment of Bonus by Limited Companies	599
9289.	एक उद्योग में एक कार्मिक संघ	One Union in one Industry	599
9290.	दिल्ली में टेलीफोनों का गलती से काटा जाना	Wrong Disconnections of Telephones in India	599
9291.	ढुलाई के दौरान चावल का कम हो जाना	Shortage of Rice during Transportation	600
9292.	अनाज के जहाजों पर विलम्ब-शुल्क	Demurrage on Food Ships	600
9293.	मंत्रालयों से सम्बद्ध सरकारी समितियों में सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members on Consultative Committees Attached to Ministries	601
9294.	विदेशों से निमन्त्रण	Invitations from Foreign Countries	601
9295.	सहकारी समितियों को समाजवादी देशों से निमन्त्रण	Invitations to Co-operative Societies from Socialist Countries	601
9296.	राजस्थान में संचार साधन	Means of Communications in Rajasthan	602
9297.	सूरतगढ़ कृषि फार्म	Suratgarh Agriculture Farm	602
9298.	अन्दमान वन संघ तथा लोक-निर्माण विभाग कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by Andaman Forest Unions and P. W. D. Workers Union	602—03
9299.	उत्तर प्रदेश में भूमि का वितरण	Distribution of Land in U. P.	603
9300.	उत्तर प्रदेश में वन-भूमि	Forest Land in U. P,	603—04
9301.	भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा दिये गये पट्टों के बारे में जांच	Investigation into the Leases given by Land Management Committee	604
9302.	दिल्ली में उर्वरकों के भाव	Rates of Fertilizers in Delhi	604
9303.	दिल्ली में बीजों में मिलावट	Adulteration in Seeds in Delhi	605
9304.	पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में शरबती सोनारा बीज के गेहूं का न मिलना	Non-availability of Sharbati Sonara Wheat seed in Pusa Institute, New Delhi	605
9305.	साहू कैमिकल्स	Sahu Chemicals	605
9306.	चीनी की मिलें	Sugar Mills	605
9307.	कृषि संबंधी वार्षिक केलेंडर	Annual Agricultural Calendar	605—06
9308.	ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Tractors	606
9309.	चैकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टरों का आयात	Import of Czech Tractors	606—07
9310.	मध्य प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchanges in Madhya Pradesh	608

प्र. ता. प्र. सं, U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
9311.	मध्य प्रदेश में कृषि परियोजनायें	Agricultural Projects in M. P.	508
9312.	मध्य प्रदेश में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation work in M. P.	608—09
9313.	मैसूर को कृषि उपकरणों की सप्लाई	Supply of Agricultural Equipments to Mysore	609
9314.	पैकेज कृषि योजना	Agriculture Package Schemes	609—10
9315.	महाराष्ट्र के यवतमाल नगर में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था	Automatic Telephone system in Yeotmal City in Maharashtra	610
9316.	बम्बई और दिल्ली के बीच एस० टी० डी० सिस्टम	S. T. D. System between Bombay and Delhi	610
9317.	श्रम संस्थान	Labour Establishments	610—11
9318.	केरल में जर्सी कैटल फार्म	Jersey cattle Farm in Kerala	611
9319.	मछली पकड़ना	Fish Catch	611—12
9320.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, पटना	Central Potato Research Centre, Patna	612
9321.	मान्यता प्राप्त केन्द्रीय कार्मिक संघ	Recognised Central Trade Unions	612—13
9323.	स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamps	613
9324.	चीनी का उत्पादन	Sugar Output	613
9325.	दिल्ली में चीनी का कोटा	Sugar Quota in Delhi	613—14
9326.	हिन्दुस्तान मोटर्स	Hindustan Motors	614
9327.	बुलन्दशहर में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था	Automatic Telephone System in Bulandshahr	614
9328.	चना लाना ले जाना	Movement of Grams	614—15
9329.	विभागातिरिक्त डाक कर्मचारी	Extra-Departmental Postal Employee	615
9330.	भुवनेश्वर (उड़ीसा) में मुख्य डाक घर के कर्मचारी	Staff in Head Post Office, Bhubaneshwar (Orisia)	615
9331.	मुख्य डाकघर, भुवनेश्वर	Head Post Office, Bhubaneshwar	615—16
9332.	चौथे आम चुनावों के दौरान मतदाताओं को सताया जाना	Harassment of Voters during 4th General Elections	616
9333.	उत्तर प्रदेश में भूमि का आवंटन	Allotment of Land in U. P.	616—17
9334.	दिल्ली में डाकघर	Post Offices in Delhi	617
9335.	चुकन्दर की खेती	Beet Root Cultivation	617
9336.	मिडल अन्दमान द्वीप के बेतापुर क्षेत्र में पुनर्वास ट्रैक्टर एकक	Rehabilitation Tractor Unit in Betapur area of Middle Andaman	618
9337.	चावल और धान की खरीद	Purchase of Rice and Paddy	618
9338.	बिहार के पटसन उत्पादक	Jute Growers of Bihar	618—19
9339.	कोयला खानों में अनियमितताएं	Irregularities in Collieries	619

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. सं.		
U. S. Q. Nos.		
9340. इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कंपनी पश्चिम बंगाल	Indian Standard Wagon Co. West Bengal	619—20
9341. बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Schemes	620
9343. हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में कानून संबंधी रिपोर्टें	Law Reports in Hindi and Regional Languages	620—21
9344. सहकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योगों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Consumer Industries in Co-operative Sector	621
9345. दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का मूल्य	Price of D.M.S.S. Milk	621
9346. अनाज की उत्पादन लागत	Cost of Production of Foodgrains	622
9347. चुनाव व्यय विवरण	Returns of Election expenses	622—23
9348. गेहूँ का नया रोग	New Wheat Disease	623
9349. कई फसलें उगाने का कार्यक्रम	Multiple cropping Programme	623—24
9350. गेहूं की नई किस्में	New Varities of Wheat	624
9351. संकर बीज उत्पादन	Hybrid seed Production	624—25
9352. कृषि सम्बन्धी मशीनों की सप्लाई	Supply of Agricultural Machinery	625
9353. सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के कार्मिक संघ	Trade Unions of Employees of Government Deptt. and Public Undertakings	625—26
9354. दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of East Pakistan Refugees in Delhi	626—27
9355. दिल्ली में खाद्य समिति	Food Committee in Delhi	627
9356. बृहद कलकत्ता में पटसन मिल	Jute Mills in Greater Calcutta	627
9357. नई किस्मों के बीजों का वितरण	Release of New Varieties of Seeds	627—28
9358. संचार विभाग में कर्मचारी	Employees in Communications Department	628
9359. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी की उत्पादन लागत	Cost of Production of Timber in Andaman and Nicobar Islands	628—29
9360. अन्दमान वन विभाग	Andaman Forest Department	629
9361. अनाज का आयात	Import of Foodgrains	629
9362. जयपुर में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों का हिन्दी सीखना	Learning of Hindi by Employees of P. & T. Department at Jaipur	629—30
9363. चुनाव याचिकायें	Election Petitions	630
9364. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये कोएक्शियल संचार सुविधा	Co-Axial Communication facilities for I.A.C.	630—31
9365. विधि मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या	Number of Employees in Law Ministry	631

अ. ता. प्र. सं. U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
9366.	मध्य प्रदेश में रोजगार	Employment in Madhya Pradesh	631
9367.	दिल्ली दुग्ध योजना की दूध वाहक (टेंकर) मोटर गाड़ियां	D.M.S. Tankers	631—32
9368.	बन्द डिब्बों में आने वाले खाद्य पदार्थों का स्तर निश्चित न किया जाना	Non-Standardization of Tinned Food Supply	632
9369.	बिहार के लिये बढ़िया किस्म का बीज का धान	Improved Quality of Paddy Seeds for Bihar	632
9370.	उलागम पट्टी के सब-पोस्ट मास्टर द्वारा बचत खाते की राशि का गबन	Misappropriation of Savings amount by Sub-Post Master at Ulagam Patti	632—33
9371.	उड़ीसा में नलकूपों का लगाना	Installation of Tubewells in Orissa	633
9372.	स्मृति डाक टिकटें	Commemorative Postal Stamps	633
9373.	अकालग्रस्त क्षेत्रों में केन्द्रीय अध्ययन दल का जाना	Central Study Team to Visit Famine Areas	634
9374.	पटसन विकास निदेशक, कलकत्ता का कार्यालय	Office of Director of Jute Development Calcutta	634—35
9375.	सहकारी खेती समितियां	Co-operative Farming Societies	635—36
9376.	पश्चिमी चिरीमिरी कोयला खान में दुर्घटना	Accident in West Chirimari Coal Mine	636
9377.	युद्ध-पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of War Victims	636—37
9379.	दिल्ली में मैक्सिकन गेहूं का भंडार	Stock of Mexican Wheat in Delhi	637
9380.	गन्ने की कीमत	Price of Sugar cane	637—38
9381.	मध्य प्रदेश में कोयले की खानें	Collieries in Madhya Pradesh	638
9383.	दूर-संचार उपकरणों का निर्यात	Export of Telecommunication Equipments	638
9384.	दिल्ली के इर्द-गिर्द दूध क्षेत्र	Milk Belt around Delhi	639
9385.	देहाती क्षेत्रों में डाकघर	Post Offices in Rural Areas	639—40
9386.	कृषि विस्तार पाठ्य कार्य-क्रम	Agriculture Extension Course	640—41
9387.	उत्तर प्रदेश में चीनी के एक मिल के लिये लाइसेंस	Licence for a Sugar Mill in Uttar Pradesh	641
9388.	टैक्समेकों, कलकत्ता में हड़-ताल	Strike in Texmaco, Calcutta	641—42
9389.	दूध से बनने वाले पदार्थों को बनाने पर प्रतिबन्ध	Ban on Manufacture of Milk Products	642—43
9390.	खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains	643
9391.	चुनाव नियम	Election Rules	643—44
9392.	भविष्य निधि के धन के विनियोजन का तरीका	Investment Pattern of Provident Fund	644

विषय अ. ता. प्र. सं. U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
9393. राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्हों का नियतन	Allotment of Symbols to Political Parties	644—45
9394. सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में औद्योगिक शांति	Industrial Peace in Public Sector Undertakings	645
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	645—47
आसाम के मंगलदाई सब-डिविजन से अभाव की स्थिति	Reported scarcity conditions in Mangaldai sub-division in Assam	645—47
श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ	Shri Rajendra Nath Barva	
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	647
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	648
सदस्यों को रोकना तथा हटाना	Restraint and Removal of Member	648
बैंकिंग निधियाँ (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका	Petition Re: Banking Laws (Amendment) Bill	649
लोक भविष्य निधि विधेयक	Public Provident Fund Bill	649—662
विचार करने का प्रस्ताव	Motion t o consider	649
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	649—50
श्री सी० मुत्तुस्वामी	Shri C.M. Muthusami	650
श्री तु० मू० सेट	Shri T.M. Seth	650—51
श्री ओ० प्र० त्यागी	Shri O.P. Tyagi	651
श्री दी० च० शर्मा	Shri D.C. Sharma	651—52
श्री वी० कृष्णस्वामी	Shri V. Krishnamoorthi	652
श्री हेमराज	Shri Hem Raj	652—53
श्री मेघचन्द्र	Shri M. Meghachandra	653
श्री दा० ना० तिवारी	Shri D.N. Tiwari	653—54
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	654
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	654—55
श्री उमानाथ	Shri Umanath	655
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	655—56
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu	655
खण्ड 2 से 12 तथा 1	Clauses 2 to 12 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	657
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	662
अनुदानों की माँगें (उत्तर प्रदेश), 1968-69	Demands for Grants (Uttar Pradesh Budget), 1968-69	662
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	662—64
श्री नन्दकुमार सोमानी	Shri N.K. Somani	664—65
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	665
श्री ना० स्वा० शर्मा	Shri N.S. Sharma	668—69

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री राजदेव सिंह	Shri Raj Deo Singh	669—70
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	670—71
श्री वे० ना० कुरील	Shri B.N. Kureel	671—72
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	672—73
विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियमों में संशोधनों के बारे में प्रस्ताव -अस्वीकृत	Motion Re: Amendments to Unlawful activities (Prevention) Rules--Negatived.	674—82
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	674—75
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	675—77
श्री उमानाथ	Shri Umanath	677
श्री नंजा गोडर	Shri Nanja Gowder	677—78
श्री कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	678
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	678—79
श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua	679
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh	679—80
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan	680

लोक–सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 2 मई, 1968/12 बैशाख, 1890 (शक)
Thursday, May 2, 1968/Vaisakha 12, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Unemployment Problem

*1587. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of persons registered in the Employment Exchanges in the country is continuously increasing; and

(b) if so, whether Government propose to formulate a long-term scheme in consultation with the Ministry of Education and the Planning Commission to provide employment to the unemployed persons and students coming out of the educational institutions ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Jaisukhlal Hathi) : (a) Yes.

(b) Preparatory work on the Fourth Plan has just been initiated and decisions on the various policy aspects of the Plan including employment policy are yet to be taken.

Shri Raghuvir Singh Shastri : There is generally no mention about our Arts Graduates coming out of various colleges in our country. It is only the Engineers who could receive a bit attention about their unemployment. Besides that, there are many Agriculture Graduates, Technical Diploma Holders as also women etc. who are out of job these days. I want to know as to what is the total number of unemployed persons registered with you.

Shri Hathi : It is not possible to find out the exact number of unemployed persons now, as we have the figures about those persons only who register themselves with the Employment Exchanges, and only those figures I can state. Total number of such persons who registered themselves with the Employment Exchanges by the end of December is 27 lakhs 40 thousand and 435. Their respective number is as follows;—

1.	व्यवसायिक, तकनीशियन तथा सम्बन्धि कर्मचारी	1,93,065
2.	प्रशासनिक, कार्यकारी तथा प्रबन्ध कर्मचारी :	4,250
3.	लिपिक, बिक्री तथा सम्बन्धित वर्ग के कर्मचारी :	1,14,504
4.	कृषि, दुग्धशाला तथा सम्बन्धित वर्ग के कर्मचारी :	9,934

5.	खान, खदान तथा सम्बन्धित वर्ग के कर्मचारी :	2,812
6.	परिवहन तथा संचार व्यवसायों के कर्मचारी :	73,135
7.	शिल्पी तथा उत्पादन प्रक्रम कर्मचारी :	2,10,786
8.	सेवा कर्मचारी :	1,08,559
9.	कार्यानुभव प्राप्त कर्मचारी जो कहीं और ने वर्गीकृत हों :	1,09,688
10.	व्यवसायिक प्रशिक्षण अथवा पूर्वानुभव न रखने वाले कर्मचारी :	19,13,702
	अखिल भारतीय जोड़	27,40,435

Shri Raghuvir Singh Shastri : It appears that there were ninety lakhs or one crore of unemployed people by the end of the third Five Year Plan. During Fourth Five Year Plan you will, perhaps, try to plan in such a way that the maximum of the educated unemployed people are provided with employment. But besides that have you got any estimate about it or can you say that the number of unemployed people will not be increased by another half a crore over and above of these one crore.

Shri Hathi : There will be some inerease, but we do not have the break-up figures as to how many people are jobless. There has been an increase, now a days, in the number of unemployed Engineers, technicians and other educated people, and there is a reason for it. The hon. members are well aware that there has been an economic recession during last two three years as a result of which the increase in economic growth has reduced. For instance, you will imagine it if I tell you something about the Engineers.

वर्ष 1962 में रोज़गार कार्यालयों की चालू पंजियों पर इंजीनियरों की संख्या 13,000 थी तथा इनके लिये विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या 10,695 थी अर्थात् लगभग ?,000 का अन्तर था। वर्ष 1963 में 14,800 इंजीनियर पंजीकृत हुए तथा रिक्त-स्थान भी 14,800 विज्ञापित हुए, अर्थात् दोनों बराबर थे। वर्ष 1964 में, इंजीनियरों की संख्या 13,000 पंजीकृत हुई और रिक्त-स्थान 18,000 थे और इस तरह से इन्जीनियरों की कमी पड़ी। वर्ष 1965 में इन्जीनियरों की संख्या बढ़ने लगी, अर्थात् उनकी संख्या तो 17,000 थी परन्तु रिक्त-स्थान 14,000 थे। वर्ष 1966, इन्जीनियरों की संख्या 26,000 थी जबकि रिक्त-स्थानों की संख्या और भी कम अर्थात 11,000 थी। फिर वर्ष 1967 में, इन्जीनियरों की संख्या 28,000 थी जबकि रिक्त स्थान 8,000 ही रहे।

अतः आर्थिक प्रगति, विशेष रूप से इन्जीनियरों के बारे में, जिसका अनुमान 10 से 11 प्रतिशत लगाया गया था, वह 7 प्रतिशत के लगभग नीचे आ गई। इसी कारण इन्जीनियरों को कम रोज़गार मिला।

श्री श्रद्धाकर सुपाकर : एक ओर तो श्रम बचाने के साधन हैं जिनसे बेरोजगारी बढ़ती है तथा धन की बचत होती है; और दूसरी तरफ यह आवश्यकता है कि इस विशाल जनसंख्या वाले देश में जहां तक हो सके, रोजगार की व्यवस्था की जाये। क्या मैं जान सकता हूँ कि आयोजना आयोग तथा सरकार ने श्रम-बचत साधनों पर तथा साथ ही देश में उत्पादन के मूल्य को कम करने की ओर बहुत ही अधिक जोर न देते हुए, अधिक रोज़गार देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हाथी : इसमें दो बातें हैं। पहले तो यह कि विकास की गति में वृद्धि से तथा विकास योजनाओं के अधिकाधिक हाथ में लेने से अधिकाधिक रोज़गार उपलब्ध होंगे। अब

वास्तविकता यह है कि इस विषय पर आयोजना आयोग रोज़गार देने वाले विभिन्न मन्त्रालयों, जैसे सिंचाई व विद्युत, प्रतिरक्षा, रेलवे, डाक व तार, तथा संचार आदि से बातचीत कर रहा है। यह तो एक उपाय है। दूसरी बात यह है कि जो इन्जीनियर निकलते हैं उनको अपने कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। वे केवल नौकरियों की ओर देखते हैं। ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि उनको अपना ही व्यवसाय चलाने का प्रशिक्षण दिया जाये। इसके बाद, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हैं। उनमें से अधिकतम लोग ऐसे हैं जो नौकरी चाहते हैं। उनकी संख्या प्रायः 10 लाख है। यदि उन्हें कोई तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाये तो वे भी मुख्यतः देहातों में ट्रैक्टर नल-कूप आदि मरम्मत करने की वर्कशाप खोल सकते हैं। इन्हीं बातों पर विचार किया जाना है तथा आयोजना आयोग इस विषय में विचार कर रहा है ताकि रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हो।

श्री दिनकर देसाई : ऐसी एक भावना व्याप्त है कि रोज़गार कार्यालय उन लोगों के लिए नौकरियां ढूंढने में अधिक कारगर नहीं हैं जिन्होंने अपने नाम वहां पंजीकृत करा रखे हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि रोज़गार कार्यालयों में कुल कितने लोगों ने अपने नाम पंजीकृत कराये हैं तथा उनके कितने प्रतिशत लोगों को इन कार्यालयों के माध्यम से रोज़गार उपलब्ध हुए हैं।

श्री हाथी : इस भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है क्योंकि रोज़गार चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रोज़गार पाने वालों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। मैंने अभी-अभी इन्जीनियरों के बारे में उदाहरण दिये हैं। वर्ष 1962 में पंजीकृत इन्जीनियरों की संख्या कम थी जबकि वर्ष 1963 और 1964 में रिक्त-स्थान अधिक थे। वर्ष 1965 में पंजीकृत इन्जीनियरों की संख्या बढ़ने लगी तथा रिक्त स्थानों की संख्या घटने लगी।

श्री दिनकर देसाई : प्रतिशतता क्या है ?

श्री हाथी : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उनको पूरा ब्यौरा दे दूंगा। मेरे पास वह श्रेणी-अनुसार है अर्थात् उन शिक्षित लोगों की संख्या जिन्होंने अपने नाम पंजीकृत कराये तथा वे जिन्हें रोज़गार प्राप्त करा दिया गया। वर्ष 1967 में 10,87,000 बेरोज़गार शिक्षित लोग अर्थात् मैट्रिकुलेट, स्नातक आदि, तथा रोज़गार केवल 1,51,000 को दिया गया।

श्री राजशेखरन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने देहाती क्षेत्रों में बेरोज़गार लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण अथवा अनुमान किया है, यदि हाँ, तो देहाती क्षेत्रों में बेरोज़गार लोगों की प्रतिशतता क्या है तथा दूसरे, क्या सरकार का विचार इसका समाधान करने का है ?

श्री हाथी : ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बेरोज़गार भी हैं तथा अपूर्ण-रोज़गार प्राप्त भी हैं; उनको सारी अवधि के लिए काम नहीं मिलता। अब जैसा कि मैंने कहा, इसका सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि वहां ऐसे कार्य शुरू किये जायें जैसे सिंचाई योजनायें, देहाती वर्कशाप जहां ट्रैक्टरों की मरम्मत हो; ऐसी ही वर्कशाप वहां चलायी जा सकती हैं जहां उन्हें लाकर ग्राम्य-विकास का काम दिया जा सकता है जिससे कि उन्हें रोज़गार मिलेगा। इसके बारे में आयोजना-आयोग कार्यवाही कर रहा है।

श्री हुमायूं कबिर : क्या सरकार ने इन इन्जीनियरी स्नातकों को स्वयं ही कोई सहकारिता स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु किसी परियोजना पर विचार किया है जिससे

कि वे छोटे स्तर के उद्योग और मध्यम श्रेणी के एककों को सम्भाल सकें और ऐसे बहुत से इंजीनियरी सामान का उत्पादन कर सकें जो कि आज आयात किया जाता है ?

श्री हाथी : शिक्षा मंत्री द्वारा आयोजित दिनांक 22 अप्रैल की बैठक में चर्चित अन्य बातों में यह बात भी थी तथा इसका भी सुझाव दिया गया ।

Shri D. N. Tiwari : I want to know whether Govt. has planned to form a pool of these unemployed technical hands, and all the vacancies might be filled up from this pool, and also that these persons might be given some maintenance allowance until they are given employment ?

Shri Hathi : There is no such plan. We had called a meeting of Public Sector Undertakings. Hon. Member Shri Tiwary was also present there. He knows it that there was a proposal for such a pool under which if a vacancy occurs at one place it may be filled up by getting a personnel where he is surplus.

Shri D. N. Tiwary : Is there any plan to form a pool of unemployed people also.

Shri Hathi : There is no such plan.

श्री उमानाथ : बेकारी की समस्या हर योजना के बाद बढ़ती ही जा रही है, यहां तक कि चौथी योजना के आरम्भ तक बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ तक पहुंचगई है । योजनाओं को जहां रोजगार देने का साधन होना चाहिये, वे बेरोजगार ही उत्पन्न करने का साधन बनती जा रही हैं । इन परिस्थितियों में, उत्पादन कार्यों में उन्नत मशीनों तथा बिजली के कम्प्यूटरों का प्रयोग भी बेरोजगारी बढ़ाने में एक कारण है भले ही मन्त्री महोदय यह कहें कि अधिक रोजगार देने पर भी सामान्य स्थिति यह है । इस विचार से, मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार कम से कम कुछ समय के लिये उत्पादन कार्यों में उन्नत मशीनों तथा बिजली के कम्प्यूटरों के प्रयोग पर कोई रोक लगाने का विचार रखती है ?

श्री हाथी : सबसे पूर्व तो, माननीय सदस्य द्वारा सबसे पहले कही गई बात कि योजना बेकारी का साधन बनी है, के बारे में कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है । ऐसा नहीं है क्योंकि तीन योजनाओं के दौरान हम तीन करोड़ दस लाख लोगों को रोजगार दे पाये हैं । पहली योजना में 75 लाख.....(व्यवधान) निस्सन्देह यह समस्या बढ़ी है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, परन्तु इसका कारण योजना नहीं है । हमें जनसंख्या--वृद्धि की ओर भी ध्यान देना है । अतः यह बात कहना उचित न था ।

श्री उमानाथ : उसके लिये 'लूप' जो है ।

श्री हाथी : वह परिवार नियोजन संस्थानों के लिये है ।

जहां तक कम्प्यूटरों, स्व-चालित यन्त्रों आदि की बात है, यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में निश्चय ही विचार किया जाना है । हम उस प्रश्न पर बातचीत कर रहे हैं परन्तु मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं अथवा श्रम मन्त्रालय इस बारे में कोई निर्देश जारी कर सकते हैं ..... (व्यवधान)

श्री उमानाथ : क्या वह कुछ समय के लिये रोक लगाने की बात पर विचार करेंगे ?

श्री हाथी : अभी तो नहीं ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : रोजगार दफ्तरों के कार्य की जांच की जाने की आवश्यकता है । मेरे चुनाव क्षेत्र में, हावड़ा रोजगार दफ्तर में एक सलाहकार समिति गठित की गई थी परन्तु

उस सलाहकार समिति की कभी बैठक नही हुई । उचित ढंग से ऐसी शिकायतें की गई हैं कि मालिकान रोजगार दफ्तरों की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारी–संघों से कुछ ऐसे समझौते कर रखे हैं कि वे उन संघों द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों को ही स्वीकार करेंगे । क्या मन्त्री महोदय इस बारे में सदन के समक्ष प्रकाश डालेंगे कि क्या वह किसी उपाय द्वारा इस स्थिति को काबू कर सकते हैं ताकि रोजगार दफ्तर वास्तव में ही रोजगार दफ्तरों जैसी कार्यवाही करें ।

श्री हाथी : वास्तव में रोजगार दफ्तरों का प्रशासन राज्य सरकारों के हाथ में है परन्तु हमने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे इस प्रकार की सलाहकार समितियां गठित करें ताकि यदि कार्यप्रणाली में कोई दोष हो तो उस पर विचार किया जा सके । परन्तु माननीय सदस्य की बात का भी मैं ध्यान रख रहा हूं तथा राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर विचार करूंगा ।

Shri Balraj Madhok : The Hon. Minister has just now stated that the unemployment is increasing in rural areas also. Does the Government have the figures of the unemployed under-employed persons ? He has also stated that our plan is not a factor to the increase in unemploy ment. I want to submit that investment does not only mean to increase production. Unemployment is a big problem in this country. It is, therefore, to be kept in mind as to how many people get jobs when an investment of a crore of rupees is made. In the present pattern of our investment, the ratio of opportunities for jobs is far less than that of investmant That is why our Plans are proving a failure and the unemployment is not ending. The hon. Minister has himself admitted that the number of unemloyed people are increasing. Would the Government propose to introduce an Unemployment Insurance Scheme ?

Shri Hathi : I donot have the figures as to how many people are unemployed in the rural areas. As I stated, the Labour Ministry has got the figures of only those people who got them registerd with the employment exchanges. But it is certain that there is a large number of unemployed under employed people. I had said it in a particular context that unemployment has not increased due to our Plans. The hon. Member, Shri Umanath had asked whether it had increased owing to the Plans, and I had answered it in negative. It is true that unemployment has increased, but not due to Plans.

Shri Balraj Madhok : I have asked about unemployment Insurance Scheme also.

Shri Hathi : At present, there is no scheme for unemployment insurance for all. There is, however, a scheme but that is in regard to doing something for those people who have been paying Provident Fund while in employment and who have now become unemployed. As I said, there is no any incurance scheme for all unemployed people.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या सरकार के पास ऐसे कोई उपकरण हैं जिनके द्वारा अनुसंधान भी किया जा सके ताकि समुचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् समाज का शिक्षित वर्ग बेकार न रहे तथा जिसके द्वारा तुरन्त ही कोई व्यवसाय अथवा रोजगार की व्यवस्था की जा सके ?

श्री हाथी : ऐसा कोई उपकरण तो नहीं परन्तु आज की बढ़ती हुई बेरोजगारी की स्थिति की दृष्टि से शिक्षित व्यक्तियों तथा इन्जीनियरों को कोई प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर अभी दो-चार दिन पूर्व ही चर्चा हुई थी ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, other than this big unemployment problem, I want to ask specific question. Quite often it appears as if the Labour and Education Ministeries are

quite useless as they are unable to do what is required of them. Would the Planning Commission and other Ministries of Petrolium, Steel etc. be advised through the Education and Labour Ministries to employ first of all in their institution those boys who come out after taking five to seven years training ?

Shri Hathi : I think, those who are given training in factories they are given jobs also.

Shri Madhu Limaye : They are not being given jobs in Government Departments. For instance, boys coming out of Indian School of Mines are never given employment in Govt. Departments. Who will do it ? Labour Ministry or Education Ministry ?

Shri Hathi : They are not given jobs as there are no vacancies.

Shri Madhu Limaye : They are not being given jobs whereas others are getting there.

श्री दी० च० शर्मा : क्या सरकार को ज्ञात है कि यदि कोई व्यक्ति रोजगार कार्यालयों, विशेषकर दिल्ली में अपना नाम पंजीकृत कराना चाहता है तो उसे सम्बन्धित अधिकारियों को कुछ घूस देनी पड़ती है ? क्या सरकार को इस सत्य का भी ज्ञान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी नौकरी के लिये अपना नाम भिजवाना चाहता है तो उसे फिर कुछ घूस देनी पड़ती है; यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मन्त्री महोदय सारे भारत के रोजगार कार्यालयों में व्याप्त इस भ्रष्टाचार को दूर करेंगे ?

श्री हाथी : इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । हमने कदम उठा लिये हैं । जहाँ तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है यह मामला उनके हाथ है तथा हमने उनसे प्रार्थना की है कि सलाहकार समितियां स्थापित करें जोकि प्राय: इस सम्बन्ध में खोज-बीन करती रहेंगी । परन्तु यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है तो निश्चय ही उसकी जांच करनी होगी और जांच की जायेगी ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : आवश्यक रोजगार के अवसर प्रदान करने में असफल होने के पश्चात्, सरकार ने इन्जीनियरी कालेजों में प्रवेश कम करने के अवांछित और निन्दनीय साधन अपनाये हैं । अभी हाल ही में, राज्य सरकारों ने ये निर्देश दिये हैं कि आगामी वर्ष से प्रवेशों में 30 प्रतिशत की कटौती कर दी जाये । यह कार्य करने का बड़ा ही गलत ढंग है तथा इस ढंग से बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकती । अत: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों को ये निर्देश देगी कि इन्जीनियरी कालेजों को दिये गये अपने आदेशों को वे वापस ले लें ? अभी हाल ही में इन्जीनियरों के रोजगार के सम्बन्ध में, शिक्षा मन्त्री ने सदन में कहा था कि वह 12,000 इन्जीनियरों को बहुत शीघ्र ही रोजगार दे सकेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि रोजगार देने के सन्दर्भ में आगे क्या प्रगति हुई है ?

श्री हाथी : मेरे विचार से शिक्षा मन्त्री ने यह नहीं कहा कि वह 12,000 इन्जीनियरों को रोजगार देने जा रहे हैं । परन्तु यह मैं कह सकता हूं कि वह बेरोजगार इन्जीनियरों के लिये रोजगार के अवसर और मार्ग ढूंढने का प्रयत्न अवश्य कर रहे थे । जैसा कि अभी अभी श्री हुमायूं कबीर के प्रश्न के उत्तर में कहा है, अभी दस दिन पूर्व ही उन्होंने आयोजना आयोग तथा रोजगार देने वाले मन्त्रालयों के साथ बैठक की है कि इन्जीनियरों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाये तथा कैसे रोजगार दिया जाये ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : निर्देशों को वापस लेने के बारे में आपका क्या उत्तर है ?

श्री हाथी : इस बारे में वह शिक्षा मन्त्री से बात कर सकते हैं । वहां मेरी बात न चलेगी ।

Shri Onkar Lal Bohra : Mr. Speaker, the unemployment problem is such a incurable disease which is causing a great discontentment throughout the country. Today a large number of boys are coming out of colleges, Universities and high schools, but they are not getting employment. Is there any plan with the Government as to how many trained or untrained person will be required by certain time whom we have to prepare for the job ? Is there any co-ordination going on in order to find a solution for this problem ?

Shri Hathi : As I have stated at the very outset that in course of three five year plans an assessment was made that there will be 10 to 11 percent recruitment in the Engineering Intensive Sector but during last three years it came down from 10 percent to 7 percent i. e. it is reduced. Certainly the Planning Commission is looking into it.

Shri Ramavtar Shastri : The hon. Minister has stated that he has stated the figures of those persons who had registered their names with the Employment Exchanges. But is the Govt. aware that there are many more unemployed persons in the cities who have not registered themselves with the Employment Exchanges ? Is the Govt. prepared to set up an Inquiry Commission to find out the correct number of unemployed people in the cities ? If so, on what basis, and if not, why not ?

Shri Hathi : 1 have told this in the very beginning that these figures are of those persons who have registered themselves with the Employment Exchanges. There is no need to have any inquiry for it. If they register themselves, their exact number will be known; but all of them do not do it.

Shri Ramavtar Shasri : But you will have to find it out.

Shri Hathi : We do not need the figure for it. We all admit that unemployment is there. Then what is the need of figures ?

श्री दामानी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार चौथी और पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण अथवा जांच कराई है, यदि हां, तो उनके फलस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल पायेगा ?

श्री हाथी : जैसा मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया है वैसा ही किया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी नहीं बना है और इसे अन्तिम रूप भी अभी नहीं दिया गया है ।

श्री नाथपाई : योजना के सराहनीय उद्देश्यों में से एक उद्देश्य, जिसे अब भुला दिया गया है, देश में बेरोजगारी को कम करने और यदि हो सके तो समाप्त करने का था, मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय मेरी बात से सहमत होंगे कि देश में आज बेरोजगारों की संख्या 1951 की अपेक्षा अधिक है और हमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिये कि बेरोजगारी की बढ़ोतरी दर इस सयय पहले से कम है । यह देश में बेरोजगारों की कुल संख्या है वह एक करोड़ को पार कर चुकी है । इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि अन्तिम उपाय के रूप में, बेरोजगारों का असंतोष हमारे प्रजातन्त्रात्मक भवन के नीचे एक विस्फोटक के रूप में है, क्या सरकार इस समस्या को लापरवाही से हल न करते हुये, जैसा कि दिखाई दे रहा है, गम्भीरता से इसका समाधान खोजने का प्रयत्न करेगी और क्या उनके पास इसके लिये कोई कारगर कार्यक्रम है तथा क्या इसके दौरान सरकार विशेषतया शिक्षित बेरोजगारों के लिये कोई सुधारात्मक कदम उठाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री हाथी : जैसा मैंने कहा कि सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार कर रही है और पिछले दो या तीन दिन से योजना आयोग इसका समाधान खोजने के लिये इस पर चर्चा कर रहा है ।

श्री नाथपाई : अभी भी इस पर विचार हो रहा है ? उन्होंने इस पर 18 वर्ष तक चर्चा की है । अब हम इस पर कार्यवाही करना चाहते हैं ।

श्री हाथी : इसे कार्य रूप दिया जायेगा जब हम यह निर्णय कर लेंगे कि योजना पर कितना व्यय होना चाहिये । आखिर यह रोजगार देने का प्रश्न है जिसका अर्थ है कार्य के नये क्षेत्र ढूंढना और यह निर्णय करना कि श्रमिक आदि शिक्षित, अशिक्षित, टेकनीशियन, कुशल श्रमिक, अकुशल विभिन्न वर्गों के लोगों को कौनसा कार्य सोंपा जाये । बिल्कुल यही किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि पूरा मूल्यांकन करने के बाद वे इसके लिये कोई योजना तैयार करने में समर्थ होंगे ।

बेल्लारी जिले में चीनी की मिलें

***1589. श्री संगण्णा अन्दानप्पा अगाड़ी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1967 में 40 प्रतिशत चीनी का जो पहला कोटा सरकार ने निर्माताओं को दिया था, उसे मैसूर राज्य में बेल्लारी जिले की दो मिलों, काम्पली को-आपरेटिव शूगर मिल लिमिटेड और दि इंडिया शूगर मिल्स लिमिटेड ने उसी दिन क्रमश: 461 रुपये और 331 रुपये के भाव से बेच दिया था और इस प्रकार पूर्वोक्त मिलों के प्रति बोरी 100 रुपये से अधिक कमाये और

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे कदाचारों के बारे में कोई जांच की जा रही है जिससे जनता ठगी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार के पास प्राप्त सूचना के अनुसार बेल्लारी सैंट्रल कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, शूगर फैक्ट्री, काम्पली ने 23 नवम्बर, 1967 को अबाध बिक्री के लिये निर्मुक्त की गयी चीनी को 425/- रुपये और 455/-- रुपये प्रति क्विंटल के बीच के मूल्यों पर बेचा था जबकि इंडिया शूगर एण्ड रिफाईनरीज़, हास्पैट ने उसी तारीख को अबाध बिक्री के लिये निर्मुक्त की गई चीनी को 310/-- रुपये और 410/- रुपये प्रति क्विण्टल के बीच के मूल्यों पर बेचा था । सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि चीनी फैक्ट्री ने 100 रुपये प्रति बोरे से भी अधिक नकद रकम प्राप्त की थी ।

(ख) यह मामला औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय और वित्त मन्त्रालय के नोटिस में आवयश्क कार्यवाही करने हेतु लाया गया है ।

श्री संगण्णा अन्दानप्पा अगाड़ी : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि हास्पैट में चीनी की दो मिलें हैं उनमें से एक का प्रबन्ध सहकारी समिति करती है और दूसरी का श्री मोरारका, सहकारी चीनी मिल ने 461/- रुपये की दर से बेचा । श्री मोरारका द्वारा प्रबन्धित मिल ने 330 रुपये की दर पर बेचा और खरीददारों से बिना कोई रसीद दिये नकद 120 रुपये प्राप्त किये । इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अंश--धारियों, गन्ना पैदा करने वालों और केन्द्रीय सरकार को लाभांश, बोनस और आय--कर के रूप में प्राप्त होने वाले वैध आय से वंचित किया गया है, क्या

केन्द्रीय सरकार इस मामले की अदालती जांच कराने के लिये तैयार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हमने इस मामले को समवाय कार्य विभाग के पास भेज दिया है क्योंकि उनका इस बात से सम्बन्ध है कि क्या अंश-धारियों को ठगा गया है। हमने इसे वित्त मन्त्रालय को भी निर्दिष्ट किया है जो आय-कर की दृष्टि से इससे सम्बधित है। वे स्वतन्त्र रूप से इस पर समुचित कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री तिरुमल राव, यह प्रश्न बेल्लारी जिले से सम्बन्धित है। सम्पूर्ण भारत पर न जाइये।

श्री तिरुमल राव : क्या इन दोनों चीनी मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने के लिये बराबर कोटा दिया गया था ? यदि हां, तो इसका प्रत्येक मिल के उत्पादन के साथ क्या अनुपात है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य प्रश्न नहीं हैं।

श्री तिरुमल राव : मैं बेल्लारी के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवप्पा।

श्री शिवप्पा : मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से इस बात की स्वीकृति मिलती है कि काम्पली मिल द्वारा, रिपोर्ट के अनुसार, चीनी 310 रुपये और 410 रुपये के बीच बेची गयी तथा मन्त्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार दूसरे मिल ने चीनी को 425 रुपये और 465 रुपये के बीच बेचा। इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि कीमत में स्पष्ट और निश्चित अन्तर है। नवम्बर, 1967 से आंशिक विनियन्त्रण के पश्चात् 40 प्रतिशत उत्पादन को खुले बाजार में बेचा जा सकता था, तदनुसार, श्री मोरारका या किसी अन्य व्यक्ति ने 8,000 बोरे दिये और इससे उसने कीमत में असमानता के कारण 10 लाख रुपये के करीब की आय प्राप्त की। यह दुर्विनियोग और जनता के साथ ठगी करने का ज्वलन्त उदाहरण है।

यह ऐसा मामला है जिसमें लाखों रुपये अन्तग्रस्त है मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि श्री मोरारका ने इस आय पर आय-कर न देकर सरकार के साथ धोका किया है ? क्या उन्होंने इस मामले को वित्त मन्त्रालय के पास भेजा है जिससे कि आय-कर का अपवंचन न किया जा सके।

श्री जगजीवन राम : मैं उत्तर दे चुका हूं कि इस दृष्टि से यह मामला वित्त मन्त्रालय को भेज दिया गया है।

श्री अनन्तराव पाटिल : चीनी के मामले में यह धांधलेबाजी केवल बेल्लारी अथवा मैसूर राज्य तक ही सीमित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश प्रश्न इसी से सम्बन्धित है।

श्री अनन्तराव पाटिल : यह सब जगह व्यापक है। मैं मंत्री महोदय से चीनी की कीमत के सम्बन्ध में पूछना चाहूंगा कि जब राशनिंग की चीनी 1·30 रुपये प्रति किलो बेची जाती है ...

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णमूर्ति।

श्री कृष्णमूर्ति : मैं मुख्य प्रश्न के बाहर नहीं जाना चाहूंगा । मन्त्री महोदय ने चीनी से सम्बन्धित नीति की घोषणा की जिससे कि 40 प्रतिशत उत्पादन को खुले बाजार में बेचा जा सकता था और यह गन्ने की कीमत में हुई वृद्धि से निर्माताओं को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति करेगा । जहां कि निर्माण लागत केवल 200 रुपये प्रति बोरे चीनी है.....

अध्यक्ष महोदय : अब हम चीनी से सम्बन्धित नीति की चर्चा नहीं कर रहे हैं । श्री रवि राय ।

श्री कृष्णमूर्ति : जब यह सच है कि दक्षिण भारत में कुछ मामले में चीनी मिलों ने करोड़ों रुपये की अनर्जित-आय कमायी है, तो क्या मन्त्री महोदय इस अनर्जित आय की जांच कराना चाहते हैं ताकि इसको मिलों में काम करने वालों में तथा उत्पादकों में बाँटा जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सम्पूर्ण दक्षिण भारत के बारे में पूछा है ।

श्री कृष्णमूर्ति : बेल्लारी दक्षिण भारत में है ।

अध्यक्ष महोदय : हम सामान्य नीति की बात नहीं कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण मूर्ति : मैं कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा । उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात पूछी है लेकिन यह प्रश्न से संबंधित नहीं है । मैं अनुपूरक प्रश्न और उत्तर के दौरान नीति विषयक मामलों की चर्चा के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूँ ।

वर्मा से चावल का आयात

***1591 श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या देश में चावल की कमी को देखते हुये और पश्चिम बंगाल और केरल की, जहां चावल की बहुत अधिक माँग है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्मा से चावल के आयात के प्रश्न पर जनरल नेविन के साथ उनकी मार्च, 1968 की भारत यात्रा के दौरान बातचीत की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ । 1968 के दौरान हमारी कुल आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया था ।

(ख) वर्मा ने 1968 के दौरान भारत को एक लाख टन चावल सप्लाई करना पहले ही मान लिया है । वर्मा में वर्तमान प्रत्याशा से यदि स्थानीय अधिप्राप्ति बेहतर होती है तो भारत के लिये कुछ अधिक मात्रा आवंटित की जा सकती है ।

Shri Beni Shanker Sharma : Mr. Speaker, inspite of the fact that there is a good **Kharif** crop this year, I think we are still deficit in respect of rice. Will the hon. Minister be pleased to state that what are the requirements of Bengal and Kerala in respect of rice, what is the production of rice in Bengal and Kerala and how much rice can be supplied to them from the Central pool and what will be the shortage even after that ?

Shri Jagjivan Ram : I require notice for it.

Shri Beni Shanker Sharma : Mr. Speaker, I am pleased that the matter regarding supply of rice was discussed with Gen. Ne Win but I think that we cannot get that much rice

from Burma as we require, therefore, I want to know whether any discussion has been started with foreign countries for the supply of rice, if so, what are those countries and what is the quantity of rice asked for ?

Shri Jagjivan Ram : Regarding other countries like U.A.R. and Thailand from where we have been continuously importing rice, the discussions are going on and we hope that we will get something.

Shri Shri Chand Goel : Mr. Speaker, last year the reperesentatives of Bengal and Kerala raised furore many times in the Lok Sabha on the demand of rice. May I know from the hon. Minister that by what percent the production of rice in the whole country has increased and the increase in production of foodgrains in the country this year and whether the Government are considering to make up the shortage in the requirements of both these states so that the situation which occured last year may not be repeated this year again ?

Shri Jagjiwan Ram : I am repeating the same answer which has been given to the first member.

Shri Kanwar Lal Gupta : Hon. Minister is aware that this year there is more production of rice in the country and we got rice from Burma and will get from other countries also. It is also correct that there has been an adequate supply of wheat to Bengal and Kerala but as the hon. member has stated that the people of these states eat rice more and it is their staple diet, therefore, I would like to know from the hon. Minister whether they will increase a little more the quantity of rice being supplied to these two states so that the state Governments may be able to give more rice to their people ?

Shri Jagjiwan Ram : I have answered this question many times. Now I will not be able to state anything new.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार पी० एल० 480 के अन्तर्गत किए गये अनाज के आयात से आरक्षित भंडार के कुछ अंश का निर्माण करना चाहती है, मैं जानना चाहता हूँ क्या उन्होंने अन्य देशों से किए गये आयात से आरक्षित भंडार के कुछ अंश का निर्माण करने की आवश्यकता पर विचार किया है ? दूसरे, थाई सरकार ने कई बार कहा है कि वे भारत को चावल सप्लाई करने की स्थिति में हैं। क्या इस सम्बन्ध में उस सरकार से कोई करार किया गया है अथवा नहीं ?

श्री जगजीवन राम : मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत हम चावल प्राप्त नहीं करते। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि हम थाई सरकार से चावलों के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हाल ही में इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए थे कि सरकार अपने लक्ष्य के अनुसार आरक्षित भंडार नहीं बना सकेगी, इसमें क्या कठिनाई है ? क्या यह अनाज के कम आयात अथवा कम उपलब्धि के कारण है ?

श्री जगजीवन राम : क्या यह प्रश्न से सम्बन्धित हैं ? अनाज की उपलब्धि से संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया गया था और खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के वाद-विवाद के उत्तर के दौरान इस बात को भी ले लिया गया था।

श्री कन्डप्पन : कुछ समय पूर्व मद्रास के मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि जिन लोगों ने बर्मा को छोड़ दिया है और जो बर्मा द्वारा देश-प्रत्यावर्तन किये जाने पर सहमत हो गये हैं उनको जो पैसा मिलना है उसका उपयोग वहां से चावल प्राप्त करने या अन्य उपयोगी वस्तुओं

को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, मैं सोचता हूँ बर्मा सरकार का रूख भी उदार है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ क्या सरकार ने चावल प्राप्त करने के सम्बन्ध में बर्मा सरकार से बातचीत आरम्भ कर दी हैं।

श्री जगजीवन राम : जी, नहीं।

श्री श्रीधरन : मैं बंगाल और केरल के सम्बन्ध में चावल की सप्लाई के बारे में पूछना चाहता हूँ क्योंकि मंत्री महोदय ने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया है। सरकार ने चावल की सप्लाई के बारे में बर्मा सरकार से बातचीत की है। फिर भी भारत के इन दो राज्यों में अभी भी कमी है। इस कमी का कारण अन्य देशों से चावल के आयात में सरकार की असफलता है। क्या इस असफलता का कारण विदेशी मुद्रा का अभाव है अथवा विश्व के अन्य भागों से चावल की अनुपलब्धता ?

श्री जगजीवन राम : दोनों बातें इस असफलता के कारण हैं।

श्री बेदब्रत बरुआ : बर्मा सरकार से किस किस्म का करार किया गया है। क्या यह दीर्घ-कालीन करार है अथवा प्रति वर्ष होने वाला करार है।

श्री जगजीवन राम : यह प्रतिवर्ष होने वाला करार है।

Shri Shinkre : When the drum of Bengal is being beaten in the House then who will hear the tinkling of Goa ? But I would like to inform the house that rice is the staple food of the people of Goa and I would like to ask the hon. Minister whether they are prepared to give permission to a private agency for the import of rice as the Government have failed in this respect. There was a proposal in this respect from the mine owners of Goa to import rice and the proposal was presented here by me that if such facilities are given by the Government they can import rice.

Shri Jagjiwan Ram : So far as I know Burma Government do not export through a private agency. We are making efforts to get rice from wherever it is available. But we want to purchase through Government only. We do not want to purchase through a private agency.

श्री क० नारायण राव : हम बर्मा से किस मूल्य पर चावल खरीदने को तैयार हैं तथा वह कीमत क्या हैं जिस पर भारत के विभिन्न राज्यों से चावल प्राप्त किया जाता है ? इनमें लगभग कितना अन्तर है ?

श्री जगजीवन राम : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे पूर्व सूचना (नोटिस) की आवश्यकता पड़ेगी।

Shri O.P. Tyagi : May I know whether Goverament have got the information that the areas where people have rice as their staple food are being supplied wheat or wheat flour. They do not know how to use it. I myseif saw that a person in Bengal was taking a solution of atta (wheat flour). This problem will not be solved so long they are not made conversant with the use of atta (wheat flour) and a taste is created among them for wheat and wheat flour. I would like to know from the hon. Minister whether they have made any arrangement keeping in view the shortage of rice, for creating a taste among the people for wheat or wheat flour and solving the foodgrain problem, or have they only made arrangements for the supply of atta (wheat flour) to these states ?

Shri Jagjiwan Ram : It is wrong to assume that the people of Bengal or Kerala do not know the use of wheat flour when today the world has advanced so much. Every body knows the use of flour.

Shri O P. Tyagi : I am talking about people in villages.

Shri Jagjiwan Ram : I am also talking about the people in villages. I have also a little experience of villages of Bengal and the people there make use of flour. They are not using flour because there is shortage of rice but they have been using flour for making Loochi since long.

श्री समर गुह : हाल ही में समाचार पत्रों में यह छपा था कि उड़ीसा सरकार ने अचानक पश्चिमी बंगाल को चावलों की सप्लाई करना रोक दिया है । यदि हां, तो मैं इसके कारण जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री समर गुह : मैंने अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना दी है ।

श्री जगजीवन राम : मुझे जानकारी प्राप्त करनी होगी । मैं बिना पूर्व सूचना के यह बताने में असमर्थ हूँ कि चावलों की सप्लाई में देरी क्यों हुई । ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह आपको यह जानकारी देंगे ।

व्यवहारिक चिकित्सा विज्ञान संस्था, भारत

+

*1592. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री गणेश घोष :**
श्री वि० कु मोडक :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यवहारिक चिकित्सा विज्ञान संस्था, भारत अब भी बोनहुगली, कलकत्ता में अपंग बच्चों के अस्पताल का प्रबन्ध-कार्य कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो अस्पताल का प्रबन्ध करने वाले संगठन का नाम क्या है ;

(ग) क्या प्रबन्ध बदलने के लिये सरकार से आवश्यक अनुमति ले ली गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri M. Mohammad Ismail: May I know whether there is a Hospital at Bonhooghly Calcutta and whether it was established with the help of refugees, if so, what is the expenditure incurred by the Government on it ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस संस्था को बनाने के दो उद्देश्य थे पहले, विस्थापित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था और दूसरे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अन्वेषण कार्य करना । पुनर्वास विभाग के द्वारा 34.06 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी । लेकिन वास्तविक राशि जिसका भुगतान किया गया वह केवल 10 लाख रुपये थी । इसके अतिरिक्त, लगभग 10.44 एकड़ भूमि संस्था को दी गयी थी । लगभग 288 मकानों का निर्माण किया गया था और उनको संस्था को समर्पित किया गया ।

Shri M. Mohammad Ismail : The employees of the Hospital at Bonhooghly and trible people of that area have been complaining for many years and applications were also sent by the employees of the Society, and these have not been replied so far. Serious charges have also been levelled against them. This has been stated that the nurses have not even been paid their salaries and regarding the doctor of the R.G. Khar Hospital who is principal there, it was reported in the newspapers that when the nurses went to receive their pay they were beaten with rods by the Goondas and they themselves came forward with guns. I would like to know whether the hon. Minister has got any such complaint, if so, whether any investigation has been instituted in this respect ?

श्री दा० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य ने कर्मचारियों तथा अन्य मामलों से सम्बन्ध रखने वाला एक पत्र मेरी वरिष्ट साथी को दिया है । हमने इसे पश्चिमी बंगाल सरकार को भेज दिया है और हमने एक अप्रैल को एक अनुस्मारक भी भेजा था । हम पश्चिमी बंगाल सरकार से जानकारी मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

दरभंगा जिले में टेलीफोन सुविधाए

***1593. श्री भोगेन्द्र झा** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के दरभंगा जिले में माधवापुर, हरलखी, वसोपट्टी, जैनगर, लडानिया, लोनकाहा तथा लोनकाटू का जो नेपाल की सीमा के साथ साथ है टेलीफोन का सम्पर्क स्थापित करने का है ताकि इन स्थानों के साथ शीघ्र संचार की सुविधा उपलब्ध हो सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख) — जयानगर (जैनगर) में 100 लाइनों का एक टेलीफोन केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है । वासो पट्टी में 28 फरवरी, 1968 को एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोला जा चुका है । हरलखी तथा लडानिया में सार्वजनिक टेलीफोन पर खोलने का कार्य प्रगति पर है और माधवापुर में भी इस दिशा में शीघ्र ही कार्रवाई शुरू की जाने वाली है । लोनकाहा तथा लोनकाटू में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में जनता या राज्य सरकार में से किसी ने भी ऐसी मांग नहीं की है ।

Shri Bhogendra Jha : This area is on the boarder of Nepal and the hon. Minister must be knowing that there is smuggling of Ganja and all types of goods from other countries namely America, Britain, Switzerland, France and China on a large scale and so far as the smuggling of Ganja is concerned it is carried by armed gangs. The police or the patrolling party there is unable to face the situation. Keeping this in view whether the Government are making any arrangement to link Madhwapur and Lonkaha, the boarder areas with telephonic lines. The hon. Minister may be knowing that Madhwapur is surrounded by Nepal on three sides and is joined with India only from one side. That is why the policemen come into fixity and become helpless because they cannot get any assistance from outside to meet the situation and so they keep quite. Since patrol party is there, whether the Government are taking any steps to provide telephone lines there ?

Shri I.K. Gujral : Hon. member is right. So far as the border areas are concerned we want to take action more quickly and we are also acting accordingly. We are setting up P.C.O.'s at fourteen places on our border with Nepal in Bihar. Besides, I have not men-

tioned the names of the P.C.O.'s already set up. If hon. member desires I can mention the names also and I can also tell the names of the places where we are going to set up new ones. But I would like to invite the attention to the effect that it is our policy that even if there is a loss to the extent of an amount of Rs. 3,000 we are prepared to give P.C.O. to Local Government, Defence or Home Ministry or to a local person. The two or three places whose names have been mentioned, it is not that we do not want to install telephones there but there has been no demand from their side. If they demand we are prepared to install telephones there.

Shri Bhogendra Jha : So far as the question of demand is concerned questions have been raised many times and specifically in respect of Babu Garhi. Government have talked about profit and loss but the loss is suffered because the information is not given properly. There are attacks on a large scale and lootings also.

The policemen entrusted with this work are unable to face the situation. This is an old demand. We also raise questions in this respect four or five times in a year. Therefore such a question does not arise that there has been no demand for it. Along with it there is a proposal for opening a postal Sub Division for Madhubani by combining Kanholi and Nirmali. By combiniug Kanholi and Nirmali the population comes to about 25 lacs. None of the Sub Divisions in India is so thickly populated. Therefore, I would like to know whether the Government are going to open a Postal Division or not and besides whether any arrangement will be made to link these areas ? Just as Shri Jagjiwan Ram being a Food Minister has stated that Bihar will not get rice whether Shri Ram Subhag Singh will also behave in the same way in this matter ?

Shri I.K. Gujral : I have requested that I share the feelings of the hon. member. Public call office and Postal Sub Division are not co-related but for your information I may tell you that about 100 P.C.O. of this type are working in Bihar at present. In addition to these we are going to open 14 P.C.O. in the areas of India-Nepal border. If the hon. member so desire I can mention the names.

Mr. Speaker : It will take much time.

Shri I.K. Gujral : If there can anything be done special with regard to such stations and the hon. member writes to us we will give full consideration to it.

Shri D.N. Tiwary : Just now hon. Minister has stated that they will provide telephone-facilities to those from where there is a demand. Has any demand come from Bihar so far ? How many demands have been received from there and how many out of these demands have been refused and how many have been accepted and whether there are any figures about it ?

Shri I.K. Gujral : I have requested that 100 P.C.O. are working in Bihar. More P.C.O. are going to be opened at fourteen places in the Indo-Nepal border. It is our policy at present that if there is a loss to the extent of Rs. 3000/- in the border areas we are prepared to open P.C.O. there. I fail to understand that to which place the hon. member is referring to. If there is a demand according to these we are prepared to give them such facilities.

दंडकारण्य परियोजना

*1596. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री टी० पी० शाह :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1959-64 में दण्डकारण्य परियोजना द्वारा खरीदी गई

42,70,000 रुपये के मूल्य की मशीनें और उपकरण बहुत समय तक बिना इस्तेमाल किये पड़े रहे थे;

(ख) यदि हां, तो बेकार पड़ी मशीनों तथा बेकार श्रमिकों के रख-रखाव पर कितना धन खर्च किया गया तथा कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है तथा जिम्मेदारी निश्चित की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग) इस का विषय 1968 के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) के आडिट पैरा के अन्तर्गत आ जाता है। कुछ आवश्यक विस्तृत जानकारी दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन से एकत्रित की जा रही है। पूर्ण तथ्य लोक-सेवा समिति के समक्ष रख दिये जायेंगे जब समिति पुनर्वास विभाग के प्रतिनिधियों से साक्ष्य लेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether auditors had pointed out that the said machine had been lying idle for ten years and if so, the reasons for not obtaining information about it so far ?

श्री दा० रा० चह्वाण : निर्देश की सही तारीख बताना सम्भव नहीं है, किन्तु मामले पर परियोजना के वित्तीय सलाहकार तथा लेखा-परीक्षण अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार चल रहा था।

श्री कंवर लाल गुप्त : मोटे तौर पर अवधि क्या है ? दो वर्ष है या तीन वर्ष या चार वर्ष ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जैसा कि मैंने बताया सही तारीख या अनुमानित समय देना सम्भव न होगा।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : ऐसी बात नहीं है कि 40 लाख रु० के मूल्य की सारी मशीनें बेकार पड़ी थीं। पहले निरीक्षण के समय दो लाख रु० के मूल्य की मशीनें हमारी जानकारी में आईं जो कुछ वर्षों से बेकार पड़ी थीं। प्रशासन कहता है कि कुछ तिथियों को ये मशीनें उपयोग में थी। किन्तु ये सब ऐसे मामले हैं जो लोक-लेखा समिति के सामने लाये जायेंगे। अतः कोई तारीख या अवधि नहीं है जब वे कह सकें कि ये बेकार थीं। इन मामलों पर विचार करना होगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Can the hon. Minister assure that the officer found guilty in regard to this machinery lying idle will be punished ?

श्री दा० रा० चह्वाण : पहली बात तो यह है कि परियोजना प्रशासन इस आरोप का खण्डन कर रहा है कि 42 लाख रु० के मूल्य की मशीनें बेकार पड़ी थीं और इसलिये, इस धारणा पर यह कहना है कि सरकार क्या कार्यवाही करेगी। फिर, लोक-लेखा समिति सारे मामले की जाँच करती है और वह अन्तिम नतीजे पर पहुंचेगी। लोक-लेखा समिति की सिफारिशों पर सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : माननीय मन्त्री ने कहा कि चूंकि मामला अब लोक-लेखा समिति के सामने है, इसलिये वह सही उत्तर नहीं दे सकते कि मशीनें कितने समय से बेकार पड़ी हैं और माननीय वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि आरम्भ में 2 लाख रु० के मूल्य की मशीनें कुछ वर्षों

से बेकार पड़ीं थीं । अब कहा जाता है कि 42 लाख रु० के मूल्य की मशीनें बेकार पड़ी हैं। अतः 6 वर्षों से शायद दण्डकारण्य परियोजना की सारी मशीनें नष्ट हो जायेंगी ।

श्री द० रा० चह्वाण : इस तथ्य का खण्डन किया जा रहा है कि 42 लाख रु० के मूल्य की मशीनें बेकार पड़ी हैं । अब यह मामला लोक-लेखा समिति के सामने है और मैं इस समय कुछ कहने की स्थिति में नही हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपको सारी समस्या का अध्ययन करके तैयार होकर आना चाहिये था । इस बीच परियोजना प्रशासन से पूछताछ की जा रही है । बेकार पड़ी मशीनों का कुल मूल्य बताना बड़ा कठिन हैं ।

श्री तन्नेटि विश्वनाथम : क्या मंत्री महोदय के लिये लोक-सभा के समक्ष यह कहना उचित है कि चूंकि लोक-लेखा समिति इसकी जांच करने वाली है, इसलिये वह कोई जानकारी देने को तैयार नहीं हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि 42 लाख रु० के मूल्य की मशीनें बेकार पड़ी हैं परियोजना प्रशासन कहता है । कि 9 लाख रु० की मशीनें बेकार पड़ी हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION
उड़ीसा में सूखे की स्थिति

अल्प सूचना प्रश्न सं० 29 श्री स० कुन्डू :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से उड़ीसा में सूखे की स्थिति के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उस राज्य के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में भूख के कारण मृत्यु हुई हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को कोई सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सहायता दी गई है तथा कितनी सहायता देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 28 नवम्बर, 1967 को उड़ीसा सरकार ने एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन भेजा था जिसमें यह उल्लेख था कि अपर्याप्त वर्षा के कारण खरीफ की फसल प्रभावित हुई थी । सूखा की स्थिति के सम्बन्ध में बाद में उनसे कोई भी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । राज्य सरकार ने अब सूचित किया है कि 1967 के सूखे के कारण राज्य को खरीफ-धान फसल के सामान्य उत्पादन के मुकाबले में 20 प्रतिशत की क्षति हुई है ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भुखमरी से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने टेस्ट राहत कार्य खोलने, पेय जल सप्लाई-योजनाओं को निष्पादित करने, मुफ्त सहायता तथा तकावी ऋण मंजूर करने जैसे आवश्यक राहत कार्य शुरू किये हैं । राज्य सरकार की सहायता से उपकारी संगठनों द्वारा मुफ्त भोजनालय भी खोले जा रहे

है । जनवरी 1968 से आगे राज्य सरकार ने टेस्ट राहत कार्यों के लिए 44.82 लाख रुपये और पेय जल सप्लाई-योजनाओं के लिए 15 लाख रुपये दिये हैं ।

श्री स० कुण्डू : विवरण में बताया गया है कि उड़ीसा में सूखे की हालत के बारे में सरकार को कोई विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । मैंने कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है । पिछले वर्ष वहां बाढ़ ने तबाही मचाई थी और इस वर्ष वहां कोई वर्षा नहीं हुई है और सूखा व्याप्त है । वहां लोग भूखे मर रहे हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिये उन्हें 7 या 8 मील पैदल चलना पड़ता है । क्या वहां जांच करने के लिये सरकार एक अध्ययन दल भेजेगी । वहां पर भूख से 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । राज्य सरकार ने कहा है कि ये मृत्यु भुखमरी से नहीं अपितु कुपोषाहार के कारण हुई है । हमारे देश में इन दोनों में क्या अन्तर है ? यह कहा जाता है कि राज्य सरकार ने सहायता कार्य के लिए 44 लाख रु० दिया । किन्तु यदि बलसौर जिले में ही 3 लाख लोगों को 3 महीने के लिए रोज़गार दिया जाये 3 करोड़ प्रति मास व्यय होगा । उनकी आवश्यकता के समुद्र में यह तो एक बून्द के समान है । हमारे प्रधान मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री उस समय पहुंचते हैं जब लोग पहले से ही मर चुके होते हैं । वहां समाचार-पत्रों के संवाददाता नहीं जाते हैं, क्योंकि 20 मील पैदल चलना पड़ता है । मयूरगंज और बालासोर सबसे अधिक पीड़ित जिले हैं । मैं खाद्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा के वे केन्द्रीय सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं से वहां तुरन्त सहायता पहुचायें ।

श्री जगजीवन राम : हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि उड़ीसा में एक राज्य सरकार है और वह वहां पर उत्पन्न स्थिति का ख्याल रख रही है । हमारे देश में अच्छी फसल के वर्ष में भी कम वर्षा वाले क्षेत्र हो सकते हैं । पिछले वर्ष जब उड़ीसा कठिनाई में था, तो राज्य सरकार ने हमें लिखा और हमने अनुदान तथा ऋण देकर उनकी सहायता की । इस वर्ष राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में सहायता कार्य आरम्भ कर दिया है । मुफ्त भोजन खिलाया जा रहा है और स्वयंसेवी संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं । मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र वहां जाकर सहायता कार्य में कुछ योगदान दें । यदि राज्य सरकार हमसे यह कहेगी कि उसे केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है, तो हम सभी सम्भव सहायता देंगे ।

श्री नाथ पाई : श्री कुण्डू किस प्रकार सहायता देंगे ? यह किसका काम है ? उनको कहने का क्या अर्थ है ?

श्री जगजीवन राम : इसका पूरा अर्थ है । वह जाकर स्वयं संस्थाओं के सहायता कार्य में योगदान दे सकते हैं ।

श्री स० कुण्डू : मुझे खेद है कि माननीय मन्त्री मेरे प्रश्न को हंसी में टाल रहे हैं । जबकि समस्या इतनी विकट है कि उसके लिये करोड़ों रुपया चाहिये तो एक गरीब संसद सदस्य क्या कर सकता है ? मैं वहां पर कई बार गया हूं और हमारी पार्टी के लोग वहां पर काम कर रहे हैं ।

श्री शिव नारायण : क्या आप अपने मुख्य मंत्री से मिले थे ?

श्री नाथ पाई : यदि उनका मुख्य मन्त्री होता, तो वहांसूखा ही न पड़ता । **(व्यवधान) ।**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ! आपका प्रश्न क्या है ?

श्री स० कुन्डू : उनको वहां पर एक अध्ययन दल भेजना चाहिए जो स्थिति का अध्ययन करके प्रतिवेदन दे सके। भारत सरकार को उड़ीसा के लोगों को खाद्य के लिए राज्य सहायता देनी चाहिए। सूखाग्रस्त क्षेत्र से गुजरने वाली उड़ीसा तटीय नहर की खुदाई आरम्भ की जानी चाहिये।

श्री जगजीवन राम : मैंने जो कुछ कहा बड़ी गम्भीरता से कहा। मैंने कहा कि राज्य सरकार सहायता दे रही है और यदि स्थिति को अपनी क्षमता के बाहर समझे, तो वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र अनुदान तथा ऋणों के रूप में सहायता देने के लिये तैयार होगा। अध्ययन दल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री चिन्ता मणि पाणि ग्रही : जबकि 60 करोड़ रु० के मूल्य की फसल नष्ट हो गई है, राज्य सरकार ने केन्द्र से कितनी विशेष सहायता की मांग की है, केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई है और कितनी अग्रेतर सहायता केन्द्रीय सरकार देना चाहता है ?

श्री जगजीवन राम : यह सब विवरण में दिया गया है। पिछले प्रश्न के उत्तर से भी यह बिल्कुल स्पष्ट है। यदि राज्य सरकार हमें लिखे, तो वित्तीय नियमों के अनुसार हम सभी सम्भव सहायता देंगे।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, सी० ए० आर० ई० बच्चों के लिये भोजन की व्यवस्था करती है बशर्ते कि परिवहन का व्यय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये। क्या सरकार परिवाहन का व्यय वहन करने के लिए तैयार हैं ?

श्री जगजीवन राम : इन सभी प्रयोजनों के लिए रेलवे रियायती दरें लेती हैं और यदि कठिनाई हो, तो माल को सड़क के रास्ते भी ले जाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री श्रद्धाकर सुपाकर : विवरण में यहीं दिया गया है कि राज्य सरकार ने केन्द्र से कितनी सहायता की मांग की और केन्द्र ने उसे क्या दिया। मुझे ये दोनों आंकड़े चाहिए। राज्य सरकार का अन्तिम प्रतिवेदन 28 नवम्बर, 1967 का था। क्या इसके पश्चात् भी राज्य सरकार ने कोई अनुपूरक प्रतिवेदन भेजा है, यदि हाँ, तो उसमें कितनी सहायता की मांग की गई है ?

श्री जगजीवन राम : मैंने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री प्र० के० देव : यद्यपि उड़ीसा के कुछ जिलों से सूखे के समाचार प्राप्त हुए हैं, फिर भी वहां पर समूचे तौर पर इस वर्ष पहले की अपेक्षा अभूतपूर्व वसूली हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को निर्देश दिया है कि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही शेष अन्न को केन्द्रीय भण्डार में रखा जाये ?

श्री जगजीवन राम : निश्चित रूप से यही स्थिति है। यद्यपि कुछ जिलों पर बुरा असर पड़ा है, उड़ीसा फिर भी एक बाहुल्य वाले राज्य है। जैसा कि मैंने बताया हमारे देश में वर्षा तथा फसल की स्थिति प्रत्येक स्थान पर समान नहीं हो सकती। राज्यों को ही प्रबन्ध करना होगा। आरम्भ में उड़ीसा दो लाख टन खाद्यान्न देने के लिए तैयार था। किन्तु फसल को क्षति पहुँचने के कारण उसने इस मात्रा को घटाकर $1\frac{1}{2}$ लाख टन कर दिया है। मुझ से अब कहा

गया है कि वह एक लाख टन भी देने की स्थिति में नहीं होगी । वह यह बात रख रही है अपनी आवश्यकता के लिये पर्याप्त मात्रा रख कर शेष केन्द्रीय भण्डार को दी जाये ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : आज समाचार पत्रों में खबर थी कि भुखमरी से 60 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और हम इसके प्रति अपनी आंखें मून्द लेते हैं क्योंकि कुछ डाक्टर उन्हें कुपोषाहार के कारण हुई मृत्यु बताते हैं । विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अच्छी फसल होने पर भी लोग मुश्किल से गुजारा चला पाते हैं, क्योंकि उत्पादन में थोड़ी सी कमी से भी भुखमरी हो जाती है । इसको ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहती है ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि हमारा देश एक संघात्मक देश है, एकात्मक नहीं । वह यह भी भूल जाते हैं कि हमारा देश एक गरीब देश है और सामान्य समय में भी कभी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं । बहुत से लोग कुपोषाहार से पीड़ित हैं इस तथ्य को न मानने से कोई लाभ नहीं है । ऐसी स्थिति को हटाने के लिये सारे देश को संघर्ष करना होगा । यह कहने का क्या फायदा है कि भूख से बहुत सारी मौतें हुई हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

संविधान के अनुच्छेद 238 का निरसन

*1588. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाग 'ख' राज्यों की समाप्ति के बाद संविधान से अनुच्छेद 238 का निरसन कर दिये जाने के बाद भी इस अनुच्छेद 238 का उल्लेख अनुच्छेद 370 में अब भी जारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस में समुचित संशोधन करने का है ?

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुच्छेद 370 के खण्ड (1) का उपखण्ड (क) अनुच्छेद 238 के निरसन के साथ ही अप्रवर्तनशील हो गया है अतः उसे निरसित करने के प्रयोजन के लिये संविधान का संशोधन करना आवश्यक समझा जाता है ।

हरियाणा में मध्यावधि निर्वाचन

* 1590. **श्री रवि राय** : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में निर्बाध और निष्पक्ष मध्यावधि निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 8 अप्रैल, 1968 को रोहतक में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि वह इस बारे में निर्वाचन नियमों में संशोधन करें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 8 अप्रैल, 1968 को रोहतक में राज्य के रिटर्निंग आफिसरों और जिला निर्वाचन आफिसरों के समक्ष राज्य में मध्यावधि निर्वाचन की तैयारी के सम्बन्ध में भाषण दिया था और निष्पक्ष एवं निर्बाध निर्वाचन सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया था । उन्होंने वस्तुतः किसी प्रेस सम्मेलन के समक्ष भाषण नहीं दिया था किन्तु इस अधिवेशन के समाप्त होने के पश्चात् प्रेस के दो सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिले थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि मतदान केन्द्र के भीतर किसी मतदाता द्वारा मतपत्र की गोपनीयता का अतिक्रमण न किया जाए, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 39 को इस मंत्रालय की तारीख 19.4.68 की अधिसूचना द्वारा संशोधित कर दिया गया है । संशोधित नियम में यह उपबन्ध किया गया है कि पीठासीन आफिसर द्वारा चेतावनी दिये जाने पर भी यदि कोई व्यक्ति मतपत्र को खुले रूप में चिह्नित करके या चिह्नित मतपत्र को अन्य व्यक्तियों को सम्प्रदर्शित करके गोपनीयता का इस प्रकार अतिक्रमण करता है तो, किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त, जिसके दायित्वाधीन ऐसा निर्वाचक हो, ऐसे मतपत्र की गणना नहीं की जायगी । अधिसूचना की एक राजपत्र प्रति शीघ्र ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटियों द्वारा निर्यात

***1594. श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारत में एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटियों ने भी निर्यात व्यापार करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार की एपेक्स मार्केटिंग सोसायटी द्वारा किन-किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इन एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटियों द्वारा देश के अन्दर अब तक कितने मूल्य की और किन-किन वस्तुओं का क्रय-विक्रय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) जून, 1967 को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० सहित शीर्ष सहकारी विपणन समितियों ने 176.75 लाख रुपये के मूल्य की कृषि उपज का निर्यात किया । निर्यात किए गए पदार्थों में मुख्यतः दालें, केले, प्याज तथा अन्य फल तथा सब्जियां थीं । बिहार शीर्ष सहकारी विपणन समिति ने कुछ निर्यात नहीं किया था ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भविष्य निधि मुख्य आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी

***1595. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि मुख्य आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी श्रेणी में रखने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है :

(ख) यदि हां तो क्या यह निर्णय विधि मंत्रालय की राय पर किया गया था,

(ग) इस निर्णय से इन कर्मचारियों को क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये इसमें निहित निधियों का प्रबन्ध करने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक स्वायत्त संगठन है । यह तय करना कि कर्मचारी औद्योगिक श्रमिक हैं या नहीं सरकार के लिये आवश्यक नहीं है ।

किसानों की प्रति व्यक्ति आय

*** 1597. श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी; और

(ख) इसमें बृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1975-76 के अन्त तक पाँच सदस्यों के परिवार की मासिक आय कम से कम 100 रुपये हो जाये ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : राष्ट्रीय आय परिकलनों में किसानों की प्रति व्यक्ति आय के बारे में प्रतिवर्ष अलग दित्ता तैयार नहीं किया जाता है। अनुमान लगाया गया है कि 1960-61 की अवधि में कृषि से 6707 करोड़ रुपये की आय हुई थी और 1961 की जनगणना के अनुसार लगभग 1360 लाख व्यक्ति कृषि कार्यों में लगे हुये थे । 1960-61 की अवधि में कृषि में लगे व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति कुल औसत आय 493·2 रुपये थी । 1960-61 के मूल्यों के अनुसार 1965-66 की अवधि में राष्ट्रीय आय में कृषि से केवल 6402 रुपये की आय हुई है । 1960-61 की तुलना में 1965-66 की अवधि में कृषि कार्यों में लगे हुये व्यक्तियों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) कृषि विषयक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, जिस पर इस समय विचार किया जा रहा है, कृषि उत्पादन में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने की आशा है । साथ ही साथ जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये कृषि में लगे हुये व्यक्तियों की आय में 1975-76 तक दो गुणा वृद्धि करना सम्भव न हो सकेगा ।

Unemployment Allowance

***1598. Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to pay unemployment allowance to the unemployed persons in the country, as is the case in U. K. and U. S. A.; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b) : No. The conditions in India are different from those in developed countries where the aim generally is to provide unemployment insurance for the entire working population. A proposal to have a kind of selective unemployment insurance for workers who are members of the Emp-

loyees' Provident Fund and of the Coal Mines Provident Fund is, however, under consideration. The idea is to cover persons who are temporarily unemployed and not all unemployed persons.

वनस्पति में रंग मिलाना ।

*1599. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति में रंग मिलाने का प्रस्ताव पहली बार कब रखा गया था ;

(ख) इस सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये कितनी समितियां बनाई गई थीं और यह सिफारिशें कब प्राप्त हुई थीं;

(ग) इस मामले में अन्तिम रूप से नीति निर्धारित करने में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं और क्या इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कुछ निहित हित वाले बड़े लोग बाधा डाल रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री जगजीवन राम) (क) मई, 1952 में ।

(ख) एक-अर्थात् वनस्पति के लिये रंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी अनुसंधान कार्य में तेजी लाने के लिये एक समन्वय समिति जून, 1960 में गठित की गयी थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1965 में प्रस्तुत कर दी थी ।

(ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में स्वास्थ्य मन्त्रालय के दृष्टिकोण की प्रतीक्षा की जा रही थी । ये अभी प्राप्त हुये हैं और इस बारे में सरकार के निर्णय को अंतिम रूप देने हेतु आगे कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) कुछ सप्ताहों के अन्दर ।

Delimitation of Parliamentary Constituencies for next General Elections.

*1600. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the time by which the work of constituencies for the next General Elections is likely to start;

(b) Whether an opportunity will be given to the citizens or the Members of Parliament to express their views and to give suggestion in the matter before starting this works; and

(c) whether Government propose to appoint a Committee to determine Parliamentary constituencies and if so, when and the composition thereof ?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) : (a) Under articles 82 and 170 of the Constitution of India, it is only upon the completion of each census, the division of the State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner Parliament may by law determine. The next delimitation, i. e. readjustment in the extent of not only the parliamentary constituencies but also of assembly constituencies in the country, will be taken up only after the completion of 1971 census. Necessary population figures will become available for the purposes of delimitation only in 1972 or early 1973. The question of delimiting parliamentary constituencies for the next general elections to be held in

1972 will not therefore arise in the normal course. It may, however, become necessary to redelimit a number of constituencies, if, in meantime reorganisation of any State takes place.

(b) and (c) Do not arise at present.

Decontrol of Wheat

***1601. Shri Madhu Limaye :**
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Confederation of the All India Food-grains Dealers Association has demanded recently that wheat should be decontrolled;

(b) whether it is also a fact that they have demanded the formation of four or five big zones for rice; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) Government have seen a copy of the resolution passed by the Federation in which the Federation have urged for removal of restrictions on movement of wheat and for formation of four or five big zones for rice.

(c) The question of continuance or otherwise of the zonal restrictions is considered in the conference of Chief Ministers held from time to time. In pursuance of the recommendations of the Chief Ministers' Conference held on 16-3-1968 the Northern zone for rice and wheat has been enlarged to consist of the States of Punjab, Haryana and Jammu and Kashmir and the Union territories of Himachal Pradesh, Delhi and Chandigarh w. e. f 28-3-68. The question of continuance or otherwise of the zonal restrictions may be considered in the Conference of Chief Ministers before the next Kharif harvest.

मत्स्य परियोजनाओं का विकास

***1602. श्री विश्वम्भरन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से विकास करने के लिये किन किन मुख्य मत्स्य परियोजनाओं का चयन सरकार द्वारा किया गया है;

(ख) उपर्युक्त श्रेणी के अन्तर्गत केरल में किसी परियोजना का चयन किया गया है; यदि हां, तो किस परियोजना का; और

(ग) यदि केरल में किसी परियोजना का चयन नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से विकास करने के लिये मत्स्य परियोजनाओं के स्थान के चयन को अभी अन्तिम रूप नही दिया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें

1603. श्री श्रद्धाकर सूपकार :

श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक कृषि का विकास करने के लिये भारत में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जाने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार कार्यक्रम पर कुल कितना खर्च आयेगा और इसका कितना प्रतिशत व्यय राज्य वहन करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : जी हाँ, देश में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने कार्यक्रम शुरु किये हैं । मिट्टी परीक्षण के लिये 34 चलती फिरती प्रयोगशालाओं के निर्माण का कार्य जारी है। इनमें से प्रत्येक प्रयोगशाला वर्ष भर में 16,000 से 20,000 तक नमूनों का विश्लेषण कर सकेगी । ये विभिन्न राज्यों को अलाट कर दी जायेंगी और इनको उन राज्यों के कृषि विभाग चलायेंगे । ये प्रयोगशालायें खण्डों और गावों में जाकर वहीं पर कार्य करेंगी। इसके अतिरिक्त खण्ड/गांव स्तरों पर मार्गदर्शी परियोजना के आधार पर 200 पूरक विश्लेषण केन्द्रों की स्थापना की जायेगी । ये केन्द्र भूमि परीक्षण किटों के साज-सामान से सुसज्जित होंगे । इनके अतिरिक्त 25 नयी स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है । इनमें से प्रत्येक प्रयोगशाला वर्षभर में मिट्टी के 30,000 नमूनों का विश्लेशण कर सकेगी। साथ ही मौजूदा 14 छोटी स्थायी प्रयोगशालाओं का विस्तार करके उनकी क्षमता भी इतनी ही कर दी जायेगी ।

1968-69 से 1970-71 तक की अवधि में इन तीनों कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर लगभग 2·253 करोड़ रुपये व्यय होंगे । इस व्यय में राज्य सरकारों का भाग 82 लाख रुपये होगा । शेष व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी ।

Distribution of Mail in Village Alphanagar

1604. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Communications** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the mail was not distributed in village Alphanagar of Bundi District from the 6th to 15 March, 1968; and

(b) if so the reasons therefor and action taken in the matter ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Dislocation in the distribution of mails occurred during the period 8-2-68 to 14-2-68.

(b) Both, the Branch Postmaster and the substitute, absented themselves during the period. As the Branch Postmaster is reported to be absenting himself quite often, action is being taken to shift the Post Office to a neighbouring village, where a suitable man may become available to take up the work.

ट्रैक्टरों का आयात

1605. श्री मोहन स्वरूप : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सम्भरणकर्ताओं पर इस बात का दबाव डाले जाने के कारण कि वे वर्तमान व्यापार अभिकरणों के स्थान पर राज्य कृषि-उद्योग निगमों द्वारा वितरण को मान्यता दें, 1968-69 में छोटे डी० टी०-14 बी ट्रैक्टरों के आयात के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान व्यवस्था में हेर फेर करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वे निगम "आफ्टर-सेल्स-सर्विस" के लिये सक्षम हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा वर्षों के अनुभव के बाद व्यापार अभिकरणों द्वारा बनाये गये वर्कशापों की तुलना में ये किस प्रकार के हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) डी-टी 14 बी ट्रैक्टरों के आयात से सम्बन्धित विभिन्न व्यापारी इस समय रूसी सम्भरणकर्ताओं से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। इस समय इस मामले में कोई जानकारी देना लोक हित में लाभप्रद नहीं होगी।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम

***1606. श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री श० चं० सामन्त :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम विभागों को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि यूनिवर्सल प्रेस सर्विस न्यूज एजेन्सी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को 6 दिन के बाद भी लगातार काम करने के लिये मजबूर कर रही है और साप्ताहिक अवकाश तथा छुट्टियों में काम करने के बदले में अवकाश नहीं दे रही है,

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग ने इस समाचार संस्था के प्रबन्धकों द्वारा जारी किये गये स्थायी आदेश की प्रति कब प्राप्त की,

(घ) क्या श्रम आयुक्त ने इस संस्था के उपस्थिति और अवकाश रजिस्टरों की जाँच की है,

(ङ) क्या दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त का यह विचार है कि वे श्रम जीवी पत्रकार, जिनका सेवाकाल 11 महीने से कम है, अर्जित अवकाश के अधिकारी नहीं हैं, और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) दिल्ली प्रशासन को इस प्रकार की शिकायतें इस न्यूज ऐजंसी के एक कर्मचारी से प्राप्त हुई है । अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने इस ऐजेंसी के विरुद्ध दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित फार्म 'जे' प्रदर्शित न करने और निर्धारित हाजिरी रजिस्टर तथा मजूरी भुगतान रजिस्टर न भरने के कारण मुकदमें चलाए।

(ग) औद्योगिक रोजगार (अस्थायी आदेश) अधिनियय, 1946 के उपबन्ध इस ऐजेंसी के दिल्ली प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होते , क्योंकि इसमें 20 से कम समाचार पत्र कर्मचारी हैं।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तथा चारे के सम्बन्ध में अनुसंधान परियोजनाएं

*1607. **श्री मुहम्मद हमाम :** **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**

श्री मुत्तु स्वामी : **श्री दीवीकन् :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य खाद्य, चारे और औद्योगिक फसलों में उन्नति करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल में कई अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनायें तैयार की हैं;

(ख) क्या पशु विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भू विज्ञान, कृषि विज्ञान और कृषि इंजीनियरी में अनुसंधान से सम्बन्धित परियोजनाएं भी इस योजना में सम्मिलित की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये किये गये वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है और देश में बढ़ते हुये खाद्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । भूविज्ञान, मिट्टी व जल प्रबन्ध, सस्यविज्ञान, कृषि इंजीनियरी तथा पशु विज्ञान विषयक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान योजनाएं तैयार की गई हैं ।

(ग) अब तक तैयार की गई ऐसी योजनाओं पर लगभग 1731 लाख रुपये की धन राशि व्यय हुई है । इस में से 1121 लाख रुपये की रकम का संबन्ध फसल सुधार 460 लाख रुपये की रकम का सम्बन्ध मिट्टी व जल प्रबन्ध, भूमि उर्वरता, भू-विज्ञान, कृषि विज्ञान व कृषि इन्जीनियरी तथा 150 लाख रुपये की रकम का सम्बन्ध पशु-विज्ञान की योजनाओं से है । इन योजनाओं के अन्तर्गत किये गये समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिक उत्पादनशील किस्मों के विकास तथा पैकेज की अच्छी विधियों से (जिनमें मिट्टी व जल प्रबन्ध व उर्वरक का कार्यक्रम आदि शामिल हैं) से उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं का संबन्ध मुख्यतः उत्पादन से है और देश में वनस्पति व पशु संसाधनों के प्रयोग से खाद्य उत्पादन में और वृद्धि होगी ।

Export Incentive Bonus

*1608. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have decided to give export incentive bonus to the Madhya Pradesh Government for exporting foodgrains from that State;

(b) if so, the details thereof ?

(c) whether any provision has been made in the scheme under which the State Government has to pay a part of the bonous as subsidy for maintaining the local price level; and

(d) if the reply to part (a) above be in the negative. the reasons therefor ?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Jagjivan Ram) : (a) The scheme for payment of incentive bonus on export of foodgrains is also applicable to M. P. besides other surplus States.

(b) A statement is placed on the table of the Sabha. **[Placed in Library See No. LT.—1132/68]**

(c) No, Sir.

(d) Does not arise

दिल्ली में चीनी का कोटा

1609. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन में चीनी का कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) खुले बाजार में चीनी के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Procurement Price of Jowar

***1610. Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many State Governments have suggested to raise the procurement price of jowar in the forthcoming season;

(b) if so, the suggestions received from the Covernment of Maharashtra in this regard; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

***1611. श्री समर गुह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की पुनर्वास की समस्याओं सम्बन्धी संसदीय समिति से प्रतिवेदन अथवा कोई अन्तरिम प्रतिवेदन मिला है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समिति को सरकार को अपना प्रतिवेदन देने में सम्भवतः कितना समय लगेगा और क्या इस बीच कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया जा रहा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) और (ख) : पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति ने, पूर्वी पाकिस्तान से आये असफाबाद के पुराने शिविरों तथा पांच वैग्रेन्ट होम्स में रह रहे 1139 विस्थापित परिवारों के सम्बन्ध में. अपना अन्तरिम प्रतिवेदन 28-12-1967 को प्रस्तुत किया था । अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

समिति को अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा ।

Minor Irrigation Schemes in U. P.

***1612. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount allocated to Uttar Pradesh by the Central Government during 1967-68 for Minor Irrigation Schemes;

(b) the number of such schemes started by the State Government in December, 1967 in Chandauli and Chakia Sub-Division, the targets fixed therefor and the extent of success achieved therein and if not, the reasons therefor; and

(c) the amount allocated for this purpose to Uttar Pradesh for 1968-69 ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): (a) An amount of Rs. 2081.20 lakhs was allocated as central assistance to the State Government during 1967-68.

(b) This information is being collected from the State Government.

(c) An outlay of Rs.2070.00 lakhs has been approved by the Planning Commission for 1968-69 for the Minor Irrigation Programme.

औद्योगिक शान्ति

*1613. **श्री जे० एच० पटेल :**

श्री कार्तिक ओराओं :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संतुलित वेतन ढाँचे के द्वारा "औद्योगिक शाँति" कायम रखने के बारे में सरकार द्वारा कोई नई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में औद्योगिक शाँति कायम रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) (क) से (ग) : द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में की गई सिफारिशों के अनुसार सरकार ने समय समय पर मजूरी बोर्ड नियुक्त किये हैं । मजूरी से सम्बन्धित औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्ध भी उपलब्ध हैं । मजूरी दरों में मत-भेद औद्योगिक अशान्ति के कारणों में से केवल एक कारण है ।

कच्चे काजू का उत्पादन

1614. श्री मंगलाथमाडोम : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे काजुओं के उत्पादन में भारत को आत्म-निर्भर बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने का है, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अफ्रीकी देशों में कच्चे काजुओं का आयात कम होता जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर

*1615. **श्री क० लक्कप्पा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विभागों में इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाने के परिणामस्वरूप बेरोजगारी का कोई मूल्यांकन किया है,

(ख) क्या सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें भारत में कम्प्यूटर लगाने का विरोध किया गया है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ । सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाने से कोई बेरोज़गारी नहीं हुई है ।

(ख) कुछ कर्मचारी संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह रही है कि इलैक्ट्रानिक उपकरण चयनात्मक ढंग से तथा सामाजिक भलाई के लिये लगाये जाने चाहिये, इनके लगने के परिणामस्वरूप कोई छटनी नहीं होनी चाहिये तथा भारतीय श्रम सम्मेलन के 15 वें अधिवेशन में बनायी गयी अभिनवीकरण की प्रक्रिया ऐसे सभी मामलों में अपनाई जानी चाहिये ।

यह तय किया गया है कि इस विषय पर विचार करने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन जुलाई 1968 में बुलाया जाय । इस बीच नियोजकों से यथापूर्व स्थिति बनाये रखने से तथा कर्मचारियों से मामलों में जल्दबाजी न करने की अपील की गई है ।

Agricultural Labour in Maharashtra State

9250. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the amount allocated for Maharashtra State by the Planning Commission for rehabilitating agricultural labourers in the Third Five Year Plan ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : The amount allocated for Maharashtra State by the Planning Commission for rehabilitating agricultural labour in the Third Five Year Plan was Rs. 2,54,50,000.

Post Office in Mahmadpur Badal, Bihar

9251. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received representations about the situation of the Post Office in Mahmadpur Badal, District Muzaffarpur, Bihar at a secluded place;

(b) whether it is a fact that this Post Office is situated at a good distance from the village and the people face great inconvenience during the rainy season while going to this Post Office; and

(c) if so, whether Government propose to shift this Post Office to a densely populated place ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना

9252. श्री वाद्व राव पटेल : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत दिल्ली में औषधालयों द्वारा कर्मचारियों को लिवर एक्सट्रेक्ट और एमिनो-फाईलीन के हजारों ऐसे इंजैक्शन लगाये गये जो बेकार थे और जिनकी उपयोग की अवधि समाप्त हो चुकी थी;

(ख) यदि हाँ, तो 31 दिसम्बर, 1967 तक ऐसे कितने और कौन-कौन से इन्जेक्शन दिये गये;

(ग) इन खराब इंजैक्शनों का उपयोग करने के क्या कारण है और इनका मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या कुप्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि नये इंजेक्शन शहर की कैमिस्टों की दुकानों पर चुपचाप बेच दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : उपयोग की अवधि समाप्त होने की तारीख के बाद लीवर एक्सट्रैक्ट की 2987 शीशियाँ तथा एमीनोफाईलीन के इंजेक्शन की 118 शीशियां काम में लाई गईं। लीवर एक्सट्रैक्ट के अधिकांश इन्जेक्शन उपयोग की अवधि समाप्त होने के दो महीने के अन्दर ही इस्तेमाल किये गये। डाक्टरों का मत है कि उपयोग की अवधि समाप्त होने के थोड़े समय पश्चात ही इस्तेमाल किये गये इन्जैक्शन सुरक्षा की स्वीकृत परिधि में होते हैं तथा वे कोई नुकसान नहीं कर सकते, भले ही उनकी शक्ति में ह्रास हो जाये। इन इन्जैक्शनों के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप विषैली प्रतिक्रिया की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। सरकारी विश्लेषण जिसने लीवर एक्सट्रैक्ट के इंजैक्शन के नमूनों की परीक्षा की, रिपोर्ट दी हैं कि वे विषैले नहीं थे तथा उनमें $1\frac{1}{2}$ वर्ष की अवधि के बाद भी 80 से 100 प्रतिशत शक्ति मौजूद थी। औषधालयों के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि वे उपयोग की अवधि के समाप्त होने के पश्चात कोई इंजेक्शन इस्तेमाल न करें।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य निधि

9253. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न व्यापारिक फर्मों ने 1 अगस्त, 1968 को भविष्य निधि की 7 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा नहीं की है;

(ख) ऐसी प्रथम 20 फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है;

(ग) प्रत्येक फर्म के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) कर्मचारियों को अब तक कितनी हानि हुई ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) 1 अगस्त, 1967 को छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में 6·83 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1133/68]**

(घ) जहां तक छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के भविष्य निधि में अंशदान का सम्बन्ध है, उसकी अदायगी विशेष रूप से बनाई गयी निधि से जो विशेष आरक्षित निधि कहलाती है, की जाती है। निधि में अदा न किये गये नियोजकों के हिस्से का अंशदान जब भी दोषी नियोजकों से प्राप्त होगा, श्रमिकों के हिसाब में जमा कर दिया जायगा।

बम्बई की फर्मों द्वारा बनाई चटनी के डिब्बे में कीड़ों का पाया जाना

9253. श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई कालवर्ट एण्ड कम्पनी तथा बेडेकर ब्रादर्स द्वारा बनाये गये कुछ उत्पादकों में विशेष रूप से चटनी के डिब्बों में कीड़े पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों में किसी न किसी कारण से किन निर्माताओं के तथा कौन कौन से उत्पाद मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1966 व 1967 में क्रमशः 4,669 और 6,298 नमूनों का विश्लेषण किया गया था, जिन में क्रमशः 15·6 प्रतिशत और 16.7 प्रतिशत नमूने फल उत्पाद आदेश, 1955 में दी गयी निर्दिष्टयों के अनुसार नहीं पाये गये थे । अधिकांश नमूने जो कि निर्दिष्टयों के अनुरूप नहीं थे वे मुख्यतः मामूली दोषों के कारण मानक स्तर से नीचे पाये गये थे । खमीर उठने फफूंदी में वृद्धि होने और आपत्तिजनक पदार्थ जैसे बड़े दोषों वाले मामले जहाँ भी पाये गये वहां उनकी जांच की गई और उपयुक्त कार्यवाही की गई । निर्माताओं के नाम, उत्पादकों के नाम, प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इस जानकारी को एकत्रित करने से जो परिणाम निकलेगा उससे कोई विशेष लाभ होने की सम्भावना नहीं है ।

Delhi Domestic Servants Union

9255. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the deputation of Delhi Domestic Servents Union met him in Delhi on the 8th April. 1968;

(b) if so, whether they have submitted any memorandum of demands;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b) : Yes, Sir.

(c) The Union have demanded the bringing forward of legislation for regulating the working conditions of domestic servants covering matters such as hours of work, weekly rest day, annual leave with pay, maternity leave, gratuity, termination of service, etc. The Union have also demanded its recognition under the Trade Unions Act.

(d) The question of providing statutory protection to domestic servants as well as exploring ways and means of improving their condition have been considered by the State Governments and also by the Central Governme nt from time to time. It has, however, not been found possible to make any statutory provision for the purpose, mainly because of the difficulty in enforcing any such law and the possibility of such an enactment resulting in large-scale retrenchm ent of domestic servants. Action regarding the recognition and registration of the union rests with Delhi Administration to whom a copy of the memorandum has been sent.

Direct Postal Service between Lalsot and Bamanwas

9256. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 329 on the 14th November, 1967 and state :

(a) whether the proposal to introduce a direct postal service between Lalsot and Bamanwas Post Offices has since been examined;

(b) if so, the details thereof; and

(c) when the said postal service is likely to start ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) A mail peon conveys the Mail between Bamanwas and Lalsot by bus service. Letters from one station for the other are now delivered the same day. The arrival and departure timings of the bus service as also the delivery timings are as follows:—

Bamanwas	Dep.	10.45
Lalsot	Arr.	12.30
Delivery at Lalsot		17.00
Lalsot	Dep.	13.00
Bamanwas	Arr.	14.30
Delivery at Bamanwas		15.00

(c) It started from 1-4-1968.

घासपातनाशी दवाइयां तथा बुवाई के उपकरण

9257 श्री गा० शं० मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घासपातनाशी, दवाओं तथा उनका अच्छी तरह प्रयोग करने के लिये अपेक्षित उपकरणों की कारगरता को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) किसानों को उचित तथा राज-सहायता प्राप्त दरों पर बुवाई के उन्नत उपकरण देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्रमुख फसलों में घास-पात पर नियन्त्रण रखने के लिये घासपात-नाशकों (रासायनिक घासपात नाशकों) के प्रभावों व उनकी उपयोगिता, समय, विधि तथा प्रयोग की तकनीकों में सुधार लाने के लिये, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग 6,00 लाख रुपये की लागत से एक समन्वित योजना शुरु की थी । इस योजना पर आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर व केरल राज्यों के अनुसंधान केन्द्रों में कार्य किया गया । कुछ राज्य इस योजना के अन्तर्गत आरम्भ होने वाले कार्य को अपनी प्लान स्कीमों के अन्तर्गत कर रहे है । केन्द्रीय संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्यों ने भी इस दिशा में काफी कार्य किया है ।

घासपात नाशकों को प्रयोग में लाने के लिये विभिन्न प्रकार के उपलब्ध फुव्वारों की उपयुक्तता का अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रों में किया जा रहा है ।

(ख) बीजों व उर्वरकों के प्रभाव को बढ़ाने के लिये बुवाई व उर्वरकों के प्रयोग के उपकरण बड़े लाभप्रद हैं और उनसे समय व परिश्रम में बचत होती है । देश में इन उपकरणों के बारे में हुये अनुसन्धान कार्यों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के ऐसे उपकरणों के विकास में सहायता मिली है, जो विभिन्न कृषि जलवायु की परिस्थितियों के लिये उपयुक्त हैं और जिनका मूल्य उचित है ।

इनको लोकप्रिय बनाने के लिये एक केन्द्रीय योजना स्वीकार की गई है और इस पर 1965 से काम हो रहा है। राज्य सरकारों ने 939 फर्टी-सीड ड्रिलें खरीदी हैं और कृषकों के खेतों में 1800 प्रदर्शन किये गये हैं। आगामी वर्षों में यह कार्य जारी रहेगा। इस लाभप्रद उपकरण को लोकप्रिय बनाने के लिये कुछ राज्य सरकारों द्वारा 25-50 प्रतिशत उपदान भी दिये जा रहे हैं।

कृषि उपज

9258. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि उपज बढ़ाने के लिए सरकार ने इस समय केन्द्र द्वारा प्रायोजित कौन-कौन सी विभिन्न योजनायें आरम्भ की हैं;

(ख) इन योजनाओं की कारगरता का निर्धारण करने के लिये कौन से विभिन्न माप-दण्ड अपनाये गये हैं; और

(ग) उक्त योजनाओं की क्रियान्वितति के बाद उपज में किस दर से वृद्धि होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) उपज बढ़ाने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की एक सूची अनुबन्ध 1 में दी गई है **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1149/68]** इनके अतिरिक्त कुछ अन्य केन्द्रीय प्रयोजित योजनायें भी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण व कृषि उत्पादन में सहायता प्रदान करतीं हैं।

(ख) इन योजनाओं की कारगरता का निर्धारण करने के लिये निम्नलिखित माप-दण्ड अपनाये गये हैं :—

1) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र;

(2) एककों की संख्या। सप्लाई की गई मात्रा।

(ग) अलग से यह बतलाना कठिन है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना की क्रियान्वित के कारण उत्पादन की दर में कितनी वृद्धि होगी क्योंकि इनके अतिरिक्त कुछ स्टेट प्लान योजनाओं के कारण भी पण्य के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त किसी विशेष वर्ष में मूल्यों व मौसम आदि के प्रभाव के कारण भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

फादर फैरर द्वारा कृषि का उत्पादन

9259. श्री लोबो प्रभु : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस दावे का पता है कि फादर फैरर ने दस वर्षों में 5,000 एकड़ भूमि में ट्रैक्टरों से खेती की, 500,000 किलो उन्नत बीज तथा 2,500 टन उर्वरक बांटे, 1,000 कुएं खोदे और उनमें पम्पसैट लगाये; 10,000 एकड़ परती जमीन को कृषि योग्य बनाया और सैंकड़ों एकड़ गिरवी भूमि छुड़ाई;

(ख) क्या सरकार ने फादर फैरर द्वारा अपनाये गये तरीकों का अध्ययन किया है ताकि कृषि उपज में सुधार करने के लिये उनका साधारणीकरण किया जाये; और

(ग) क्या सरकार ने इन तरीकों का कभी विरोध किया है और यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) महाराष्ट्र सरकार से पूछताछ करने पर मालूम हुआ है कि फादर फैरर ने दावा किया है कि उन्होंने 5,000 एकड़ भूमि में ट्रैक्टर से खेती की है, 3.25 लाख किलो ग्राम बीज, 1,500 टन उर्वरक वितरित किए हैं, 275 कुएं खोदे हैं और 250 पम्प सैट लगाये हैं, किन्तु राज्य सरकार ने अभी तक इन दावों को प्रमाणित नहीं किया है और न उसे बेकार भूमि के सुधार तथा गिरवी से भूमि को छुड़ाने सम्बन्धी उनके दावे के बारे में जानकारी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्यान्न जमा करने की क्षमता

9260. श्री लोबो प्रभु : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न जमा करने की सरकारी क्षमता में से कितनी क्षमता औसतन अप्रयुक्त रहती है; और

(ख) पूरी क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1967-68 में खाद्य विभाग के पास उपलब्ध भंडार क्षमता में से औसतन लगभग 53 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त रही ।

(ख) (1) बोरों, धूमकों आदि का भंडारण करने जैसी संचालन विषयक आवश्यकताओं के कारण खाद्यान्नों के भंडारण हेतु भंडारण स्थान का एक भाग अप्रयुक्त रह जाता है ।

(2) 1967-68 अत्यधिक कमी का वर्ष बना रहा और इससे खाद्यान्न जहाजों तथा अधिप्राप्ति क्षेत्रों से सीधे ही खपत क्षेत्रों को भेजे गये थे । अतः खाद्यान्न की अधिकांश मात्रा जो कि सरकारी वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की गई थी, को गोदाम में रखने की आवश्यकता न थी ।

चीनी का निर्यात

9261. श्री लोबो प्रभु : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष चीनी के निर्यात पर कितनी राज सहायता दी जायेगी; और

(ख) अन्य निर्यात से अर्जित कुछ विदेशी मुद्रा का कितना अनुपात चीनी के निर्यात से प्राप्त होता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1968 में, चीनी का निर्यात शूगर एक्सपोर्ट प्रोमोशन एक्ट, 1958 के उपपन्धों के अधीन किया जा रहा है । अतः भारत सरकार इस वर्ष इसके निर्यात पर कोई राज सहायता नहीं देगी ।

(ख) इस समय कोई भी अनुमान लगाना कठिन है ।

हरियाणा में गेहूं के मूल्य

9262. श्री लोबो प्रभु : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि 14 अप्रैल, 1968 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार करनाल में मैक्सिकन गेहूँ के मूल्य 64.70 रुपये से 70.00 रुपये तक हैं और औसत किस्म के गेहूँ के मूल्य 67.85 रुपये से 72.30 रुपये तक हैं;

(ख) इस गेहूँ को इसके नियत मूल्यों पर खरीदने के लिए सरकार ने क्या कार्यबाही की है क्योंकि ये मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम मूल्य से कम हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा करने में सरकार को क्या रुकावट थी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सरकार ने अधिप्राप्ति मूल्यों पर बेचने हेतु पेश की गई गेहूँ की समूची मात्रा को खरीदने का निर्णय किया है। तदनुसार, राज्य सरकार को भी यही सलाह दी गयी है और उन्होंने गेहूँ की खरीदारी आरम्भ कर दी है। उन्होंने यह सूचित किया है कि मंडियों में अब तक जो आमद हुई है उसमें अधिकांश पुराना गेहूँ है जो कि घुना हुआ है। तथापि राज्य सरकार द्वारा मंडियों से खरीदारी करने से मूल्यों में वृद्धि की प्रवृति आयी है।

तमिल नाड में बेकार भूमि

9263. श्री किरुतिनन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाड से रामनाथपुरम जिले में भूमि के कड़े भाग का उचित उपयोग नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को बसाने के लिए दण्डकारण्य परियोजना योजना के समान वहां पर कोई योजना आरम्भ करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) : मद्रास राज्य सरकार ने सूचित किया है कि रामनाथपुरम जिले में सारी कृष्य बंजर भूमि उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत आती है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जोड़ा उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेन्ज

9264. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में जोड़ा के स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज बनाने के लिए वांसपानी खान मालिक एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उपरोक्त एक्सचेंज बनाने के बारे में डाक तथा तार विभाग ने 1964 से लेकर समय-समय पर कोई आश्वासन दिये थे;

(ग) क्या यह सच है कि वहां पर उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने एक्सचेंज के लिये भवन निर्माण करने के लिये उपरोक्त एसोसिएशन से कहा था; और

(घ) यदि हाँ, तो एक्सचेंज बनाने में देर के क्या कारण हैं और उपरोक्त एक्सचेंज स्थापित करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) आशा है कि यह टेलीफोन केन्द्र 1968-69 के अन्त तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ।

Fertilizer Industry

9265. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a study team of National Commission on Labour has recommended that the Fertilizer Industry be brought under Central control in view of its national importance;

(b) the other recommendations made by the said study team; and

(c) the decisions taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes.

(b) and (c) : The views of the study team are for the consideration of the National Commission on Labour. Government would be concerned with only the recommendations of the Commission.

नेशनल आयरन एन्ड स्टील कम्पनी, बैलूर, पश्चिम बंगाल

श्री वि० कु० मोडक : **श्री सरजू पान्डेय :**

श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बैलूर स्थित नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 1 मार्च 1968 से बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उसे बन्द करने से कितने मजदूर बेरोजगार हुये हैं; और

(घ) इस कारखाने को खोलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां,

(ख) प्रबन्धकों के कथनानुसार कम्पनी के बन्द होने कारण ये हैं : —

(i) स्टील कास्टिंग इंडस्ट्री में सामान्य कमी के कारण 28 लाख रु० का घाटा हो जाना ।

(ii) रेलवे बोर्ड से मेन्टेनैन्स कास्टिंग्ज और रेलवे बेगनों के लिये आर्डरों की अत्यधिक कमी ।

(iii) उत्पादन क्षमता में अव्यवस्थित वृद्धि के कारण बहुत सख्त प्रतियोगिता ।

(iv) आवश्यक दायित्वों के लिये आर्थिक साधनों की कमी ।

(v) बैंक सुविधाओं का बन्द होना ।

(vi) माल सप्लाई करने वालों की कच्चा माल देने में अनिच्छा ।

(vii) बकाया राशि वसूल करने के लिये सम्बन्धित पक्षों द्वारा दावा ।

(viii) कई लाख रुपयों का भुगतानन किये जाने के कारण राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की सप्लाई बन्द कर देना ।

(ग) असोशियेटिड कम्पनियों में काम करने वाले मजदूरों को मिलाकर बेरोजगार हुए मजदूरों की कुल संख्या 6000 है ।

(घ) ट्रेड यूनियनों ने औद्योगिक विवाद उठाया और राज्य समझौता मशीनरी द्वारा किये गये प्रयत्न असफल रहे ।

निम्नलिखित मामले न्याय-निर्णय के लिये भेजे गये हैं :—

(1) क्या एक मार्च 1968 से कारखानों को बन्द करना वास्तव में उचित है ? क्या इस कारखाने के बन्द होने के ऐसे कारण हैं जो प्रबन्धकों के बस से बाहर हैं और इस प्रकार न्याय संगत हैं ? क्या 1 जनवरी 68 से कारखाने में तालाबन्दी न्यायसंगत थी ? श्रमिक किस प्रकार की सहायता पाने के हकदार हैं ?

(2) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत देय 1966-67 के बोनस की राशि ।

मूल्यवान पत्थरों तथा जवाहरात की चोरी

9267. श्री बाबूराव पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में जयपुर से हाँगकाँग निर्यात करते हुए बीमा किये हुये कितने पार्सल की चोरी हुई जिनमें मूल्यवान पत्थर तथा जवाहरात थे;

(ख) इसके कारण निर्यातकों को कुल कितना घाटा हुआ तथा इस अवधि में बीमा कम्पनियों ने कितनी राशि की अदायगी की;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी मात्रा में चोरी होने के कारण कम्पनियों 25,000 रु० से अधिक के पार्सलों का बीमा करना नहीं चाहती;

(घ) क्या जयपुर की जवाहरात संस्था के एक प्रतिनिधि मण्डल ने केन्द्रीय वित्त तथा वाणिज्य मन्त्रालयों से इस मामले की जाँच कराने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो कीमती पत्थरों तथा जवाहरात की ऐसी चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1966-67 और 1967-68 के दौरान जयपुर में बुक किये गये डाक पार्सलों में से किसी प्रकार की चोरी की सूचना नहीं मिली । फिर भी हांगकाँग में बुक की गई जयपुर में वितरण के लिये बीमा वस्तुओं में से मूल्यवान पत्थर और जवाहरात निकाले जाने के पाँच तथाकथित मामले सामने आये हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जयपुर में हांगकांग के लिये बुक किये गये पार्सलों के सम्बन्ध में इस प्रकार के किसी मामले की सूचना नहीं मिली ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार बीमा कम्पनियों दावों सम्बन्धी कटु अनुभव के कारण हांगकाँग के लिए पार्सलों का बीमा करना स्वीकार नहीं करतीं । बीमा नियन्त्रक ने इनमें से कुछ कम्पनियों के साथ मामला उठाया है ।

(घ) केन्द्रीय वित्त तथा वाणिज्य मंत्रालयों को जयपुर के जौहरी संघ की ओर से इस विषय पर कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) हांगकाँग में बुक की गई वस्तुओं में से चोरी सम्बन्धी कथित मामलों की सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दी गई है और वे इसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी।

कल्याण रामा माइका माइनिंग, आंध्र प्रदेश

9268. श्री नरसिम्हा राव : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में करवीडू गाँव के श्रमिकों तथा कल्याण रामा माइका माइनिंग के प्रबन्धकों के बीच हाल ही में एक विवाद हुआ था;

(ख) इन श्रमिकों की माँगें क्या हैं और उनके बारे में कल्याण रामा माइका माइनिंग के प्रबन्धकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को इस प्रकार के किसी विवाद की जानकारी नहीं हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

चित्तूर सहकारी चीनी कारखाने

9269. चेंगलराया नायडू : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने की सप्लाई के सम्बन्ध में अपने करार को पूरा न करने के कारण चित्तूर सहकारी चीनी कारखाने, चित्तूर (आंध्र प्रदेश) के अंशधारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि करार में एक ऐसा खण्ड है कि यदि गन्ने की सप्लाई न की गयी तो कर के रूप में 350 रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जायेगा;

(ग) यदि हाँ, तो गन्ने की सप्लाई न करने के कारण जुर्माना वसूल करने के स्थान पर उन्हें गिरफ्तार करने में राज्य सरकार कहां तक सक्षम है; और

(घ) इस प्रकार अंशधारियों को परेशान करने से रोकने और गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करने के लिए आदेश देने और उनके विरुद्ध दायर किये गये मुकद्दमों को वापिस लेने के लिए राज्य सरकार को निदेश देने के लिए क्या सरकार का तत्काल कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) : भारत सरकार को ऐसे तथ्यों की जानकारी नही है। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ग) और (घ) : प्रत्यक्षतः, यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है और भारत सरकार इससे सीधे सम्बन्धित नहीं है। तथापि, राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर इस मामले की आगे और जांच की जायेगी।

Consumers Co-operative Stores

9270. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Jamna Lal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of Consumer Co-operative Stores in the country;

(b) whether it ts a fact that Government have decided to secure 20 per cent of the retail trade for the Consumers Co-operative Stores;

(c) if so, the amount provided to the Consumer Co-operatives by Government as grants and loans so far; and

(d) the total amount due from these Stores and the action being taken by Government to recover that amount ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) There are about 13,000 registered primary consumer co-operatives and 350 central/wholesale consumer co-operatives in the country.

(b) The proposals for the Fourth Plan prepared two years ago, envisaged that the consumer co-operatives should try to secure 20 per cent of the retail trade in commodities handled by them within their area of operation.

(c) Provision of loans and grants to the consumer co-operatives is not related by the point raised in (b) above. The Government of India provides loans and grants to the State Governments and not directly to the consumer co-operatives. The loan and grants so far sanctioned by the Government of India to the State Governments for this purpose amount to to Rs. 17.29 crores and Rs. 2.49 crores respectively.

(d) Since no loans have been sanctioned by Government of India directly to consumer co-operative tores, the question of any action to be taken by Government of India to recover the amount does not arise.

Violation of Provisions of Factory Act.

9271. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of mill owners and management authorities prosecuted for violation of the provisions of Factory Act, 1948 and the rules framed thereunder during the period from September, 1967 to March, 1968;

(b) the number of those out of them who were fined, and the amount of fine recovered from each of them; and

(c) the number of those who were sentenced to imrisonment and terms of imprisonment in respect of each and the number of those who were acquitted, along with their names and designations ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (c) : The matter falls within the State sphere.

To be Answered on the 2nd May, 1968. Mango Crop

9272. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to develop the mango crop as an industry preserve the mangoes for many days and export various types of eatables prepared from mangoes with a view to earn foreign exchange ;

(b) if so, details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): (a) to (c): State Govts. have taken measures to develop mango industry for export purposes. India at present is exporting about 6,000 tonnes of mango products in the shape of mango juice, slices, pulp, chutni and pickles.

Concession to the processing industry include refund of excise and customs duty on tin plate, rebate on sugar supply and half freight.

Re-Organisations of T. E. C.

9273. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that open session of the Conference of P & T staff of Delhi Circle was held in T. R. C. Hall in Delhi on the 5th March, 1968 which was attended by the Minister of State in the Department of communications;

(b) whether it is a fact that the Secretary of the circle drew the attention of the Minister of State towards the losses due to slow progress in regard to re-organisation of T. E. C. and limited avanues of promotion of telegraph employees and a demand was also made therein for the formation of an Arbitration Board regarding the pay scales of such employees; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in regard to the suggestion made by the Union ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) There was a demand for (i) early implementation of the recommendations of the Telegraph Enquiry Committee on re-organisation of the Telegraph Traffic branch, (ii) early decision on the arbitration of the pay scales of Telegraphists and (iii) better promotional avenues.

(c) The re-organisation of the Telegraph Traffic Arm is in the final stages. The re-organisation provides ample avenues for promotion. Regarding the demand for arbitration, the tems of reference are being finalised in consultation with the Union and will then be forwarded to the Labour Ministry for arranging arbitration procee-dings.

उड़ीसा में सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज कार्यक्रम

9274. श्री रवि राय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में उड़ीसा सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकार के विचार व्यक्त किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने यह सुझाव दिया है कि राज्य की योजना की सीमा राशि से अधिक प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में योजना के लिये निर्धारित राशि का 75 प्रतिशत भाग सरकार को देना चाहिये; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऐम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) राज्य सरकार से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि उन्होंने अब मुख्य मंत्रियों तथा सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकारिता के प्रभारी राज्य मंत्रियों के परियोजित सम्मेलन में अपने प्रतिनिधियों के प्रयोग के लिये किये गए स्मारक पत्र की

एक प्रति भेजी है। उसमें प्रतिपादित विभिन्न वाद-विषयों पर जब सम्मेलन होगा तब उसमें उठाये जाने वाले अन्य मामलों के साथ-साथ उस संदर्भ में विचार किया जाएगा :

सोसाइटी आफ एक्सपैरिमेंटल मैडिकल साइंस, इंडिया

9275. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री गणेश घोष :**
श्री भगवान दास :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 में सोसाइटी आफ एक्सपैरिमेंटल मैडिकल साइंस, इंडिया के तत्वावधान में बौनहुगली, कलकत्ता में एक अस्पताल की स्थापना करने का क्या उद्देश्य था;

(ख) वर्ष 1961 से मार्च, 1968 तक अस्पताल को कुल कितनी धन राशि दी गई;

(ग) क्या इस सोसाइटी का गठन विस्थापित व्यक्तियों द्वारा किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सोसाइटी के संगठन कर्ताओं के नाम क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) बौन हुगली, कलकत्ता में इस अस्पताल की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि बहुत संख्या में पूर्वी-पाकिस्तान से आये अषाह्रिज विस्थापित बच्चों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। योजना की क्रियान्विति का कार्य सोसाइटी आफ एक्सपैरिमेंटल मैडिकल साइंसिज को सौंप दिया गया था।

(ख) सोसाइटी को पुनर्वास मंत्रालय द्वारा कुल लगभग 34 लाख रुपये की धन राशि मंजूर की गई थी। इसमें से अभी तक केवल 10 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सोसाइटी का सामान्य प्रबन्ध शाखी सभा करती है जिसमें प्रसिद्ध फिजीशियन, पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये गये भवन

9276. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री गणेश घोष :**
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत बौनहुगली, कलकत्ता में मकानों का निर्माण कब किया गया था;

(ख) इनमें कुल कितने फ्लैट हैं;

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को अब तक कुल कितने फ्लैट अलाट किये गये हैं और प्रत्येक फ्लैट का किराया कितना है;

(घ) किराये के रूप में अब तक कुल कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(ङ) क्या इन फ्लैटों में पानी और बिजली की व्यवस्था की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या इमारतों की देखभाल करने और किराया वसूल करने के लिये वहां केयरटेकर नियुक्त किये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) और (ख) : बौन हुगली में निर्माण कार्य 1964 के वर्ष में पूर्ण किया गया था। 784 मकान बनाये गये थे।

(ग) : से (ङ) : 288 मकान, सोसाइटी आफ एक्सपैरीमेंटल मैडिकल साइंसिज़, इण्डिया कलकत्ता को सौंप दिये गये हैं।

इन सभी फ्लैटों में पानी की व्यवस्था कर दी गई है किन्तु बिजली की व्यवस्था इन 288 मकानों में ही की गई है।

शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

सामुदायिक विकास खण्ड

9277. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों को अपने विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर सामुदायिक विकास खण्ड बनाने का सुझाव देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख)। सामुदायिक विकास खन्डों और राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं एक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खण्ड सीमाएं इस बात को ध्यान में रख कर सीमाकित की गई हैं कि ग्रामीण विकास प्रशासन ग्रामीणों के यथासम्भव निकट तथा पहुच में रहे।

चीनी बनाने का नया तरीका

9278 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 4 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6345 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञों ने पटना के प्रोफेसर घोष द्वारा अविष्कृत बिजली से चीनी साफ करने के संशोधित तरीके का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक इसके पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) : जी अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विशेषज्ञ ने प्रो० घोष को पत्र लिखा था जिसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि पाइलट प्लांट अब कार्य नहीं कर रहा है । अब उनका विचार प्रो० घोष से इस मामले में विचार विमर्श करने का है ।

अनौपचारिक परामर्श दात्री समितियां

9279. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **संसद् कार्य** मंत्री 4 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1054 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस बीच अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये विरोधी दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है तथा इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : यह मामला विचाराधीन है ।

पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए विदेशी पशुओं का आयात

9280. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नस्ल सुधारने के लिये भारत विदेशी पशुओं का आयात करता है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने पशुओं का आयात किया गया है और चौथी योजना में कितने पशुओं का आयात करने का विचार है; और

(ग) इस पर अब तक कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है और चौथी योजना अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) : जी हां ।

(ख) सन् 1961-से मार्च, 1968 की अवधि के दौरान 789 विदेशी पशुओं को विभिन्न देशों से आयात किया गया है। सन् 1969-70 से शुरू होने वाली चौथी योजना के दौरान आयात किये जाने वाले विदेशी पशुओं की आवश्यकता को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) 14.19 लाख रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में अब तक खर्च किये जा चुके हैं । चौथी योजना के दौरान खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा के अनुमान अभी नहीं लगाये गये हैं ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

9281. **श्री शिवचन्द्र झा :**

श्री रवि राय :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 अप्रैल, 1968 को नई दिल्ली में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन ने सरकार को सिफारिश की थी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को, नई फर्मों सम्बन्धी छः वर्ष तक बोनस न देने की समाप्त करने की योजना के अन्तर्गत लाया जाये तथा बोनस की न्यूनतम दर 4 प्रतिशत की वर्तमान दर से बढ़ाकर $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत की जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कर्मचारियों सम्बन्धी वर्तमान बोनस योजना क्या है तथा उसे कहां तक और किन-किन उद्योगों में लागू किया गया है तथा कितनी सफलता मिली है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान बोनस योजना बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में सन्निहित है यह अधिनियम ऐसे कारखाने के अलावा जिन्हें अधिनियम की धारा 32 द्वारा निश्चित रूप से शामिल किया गया है, ऐसे सभी कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हों।

विवाह खर्च की अधिकतम सीमा

9282. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाह खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए सरकार का विचार अखिल भारतीय विधि बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 जिसका उद्देश्य दहेज देने या लेने को प्रतिषिद्ध करना है, वस्तुतः विवाह पर उपगत व्यय से सम्बद्ध नहीं है। विवाह-व्यय पर अधिकतम सीमा अधिरोपित करने के लिए अभी तक जनता की ओर से कोई मांग नहीं हुई है।

तलाक

9283. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तलाक के लिए क्या विनिर्दिष्ट शर्तें हैं ;

(ख) समूचे देश में 1967 में कितने तलाक दिये गये; और

(ग) इस अवधि में विदेशी राष्ट्रीयता वाले पति-पत्नी के तलाक के कितने मामले हुए ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) तलाक के लिए शर्तें देश में प्रवृत्त सभी कानूनों में एक-सी नहीं हैं; किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि तलाक के लिए निम्नलिखित आधार साधारणतया सभी अधिनियमितियों में हैं :—

(i) जार-कर्म
(ii) अभित्यजन
(iii) सात वर्ष के लिए कारावास का दण्डादेश
(iv) क्रूरता
(v) पागलपन
(vi) संचारी रूप में रतिज रोग
(vii) कुष्ट रोग
(viii) सात या अधिक वर्षों से ठौर-ठिकाने का ज्ञात न होना
(ix) दो या अधिक वर्षों की कालावधि तक दाम्पत्तिक अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री के अनुपालन में असफल रहना ।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है । किन्तु यह सन्देहपूर्ण है कि इस बारे में विनिर्दिष्ट जानकारी उनके पास उपलब्ध भी होगी ।

Manure Pits

9284. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted a sample survay in respect of manure pits to find out the percentage of farmers who have such pits; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) ; (a) and (b) ; No sample survay in respect of manure pits to find out the percentage of farmers who have such pits, has been conducted. However, under the "Pilot Sample Survey Scheme for estimating the production of compost and manures" taken up in the States, sample surveys for estimation of compost production are reported to have been completed in some States, while they are in progress in the other States. Information regarding the proportion of farmers having manure pits/heaps has not been furnished by the State Governments.

Rotational Crops

9285. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the gap between the area of land under irrigation and the area of land on whichcrops were grown by rotation in the regions covered by Government canals and tubewells and the area of irrigated and unirrigated land, separately, on which more than one crops were grown during the last one year ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : The existing system of collection of agricultural statistics does not provide for collection of data on land where crops are grown by rotation in the regions covered by Government canals and tubewells. A statement giving the latest available all-India figures of net area irrigated by Government canals and tubewells and area of irrigated and unirrigated lands on which more than one crop is grown is given below.

STATEMENT

Net Irrigated Area, Gross Irrigated Area, Irrigated Area Sown More than Once and Unirrigated Area Sown More than Once in India—1964-65.

	(Thousand hectares)
1. Net Area Irrigated by :	
(i) Government Canals.	9,953
(ii) Tubewells.	1,089

(iii)	Other Sources,	15,225
	Total Net irrigated area.	26,267
II.	Gross Irrigated area under all crops.	30,414
III.	Irrigated area sown more than once.	4,47
IV.	Unirrigated area sown more than once	16,040

NOTE:—Data are provisional and subject to revision:

Intensive Cultivation Programme

9286. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the basis on which districts are selected for intensive cultivation programme;

(b) whether it is a fact that the Districts where progressive methods of cultivation are in vogue and where such programmes can be implemented easily and expeditiously are not selected for the purpose and if so, the reasons therefor; and

(c) the names of the districts in which the intensive cultivation programmes were initiated during the last three years and the extent to which agricultural production increased in those districts by virtue of these programmes ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) The districts under the Intensive Cultivation Programmes are selected on the basis of the following criteria;—

(i) availability of assured water supply over large areas;

(ii) minimum of natural hazards such as floods, drainage problems, acute soil conservation problems etc.;

(iii) existence of well-developed village institutions like co-operatives and panchayats; and

(iv) maximum potentialities for increasing agricultural production within a comparatively short time.

(b) No.

(c) A list of the districts in which Intensive Cultivation Programme was initiated during the last three years is enclosed. (Annexure I). **[Placed in Library. See No. LT-1134/68]**

Information on increase in agricultural production in these districts by virtue of the implementation of the Intensive Cultivation Programmes is not available in respect of all the districts.

However, special crop cutting surveys were organised in the I. A. D. P. areas during 1966-67 and 1967-68 to assess the performance of the high yielding varieties of cereal crops popularised. The results are given in annexure II. **(Placed in Library. See No. LT-1134 68)**

Supply of Fruit

9287. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity and value of fruits supplied to the big cities of the country and to foreign countries by Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab during the last three years;

(b) whether Government have constructed any new direct roads or railway lines to facilitate the movement of fruits from the aforesaid regions to cities like Delhi, Bombay and Calcutta, during the last three years; and

(c) if so, the expenditure incurred thereon ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) Necessary information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Non-Payment of Bonus by Limited Companies

9288. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) The names of the Limited Companies against which the Central Government have received complaints about the non-payment of bonus by them to their employees during the last five years;

(b) the amount of arrears of bonus due from each of the those companies; and

(c) the action taken by Government to ensure its payment to the employees ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) and (b) Bonus is payable statutorily only from the accounting year 1964-65. Names and other particulars of all the Limited Companies against which complaints for non-payment of bonus have been received during the last five years are not readily available.

(c) Prosecutions have been sanctioned to deal with 51 cases of contravention of the payment of Bonus Act, 1965, in the Central sphere, since the Act came into operation.

एक उद्योग में एक कार्मिक संघ

9289. श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सम्बन्ध और कितनी प्रगति हुई है कि उद्योग में एक ही कार्मिक संघ हो;

(ख) क्या इसके लिए कोई विधेयक पेश किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार का तब तक कोई कानून बनाने का विचार नहीं है जबकि राष्ट्रीय श्रम आयुक्त की सिफारिशें प्राप्त नहीं हो जातीं और उन पर विचार नहीं हो जाता।

Wrong Disconnections of Telephones in Delhi

9290. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names and addresses of Government Offices in Delhi, Telephone connections of which were disconnected during the last six months for non-payment of telephone bills;

(b) whether Government have taken any action against officers of the Telephone Directorate for wrong disconnection telephone/of connections during the last six months;

(c) if so, the nature therefor; and

(d) the compansation paid by Government for wrong disconnection of telephones in the country during the last one year ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The information is not readily available since accounts are maintained telephone-wise and not according to categories of subscribers like Government, Non-Government, etc.

(b) and (c) Disciplinary action is being taken in the case of a few disconnections which had been wrongly made.

(d) No compensation is paid.

ढलाई के दौरान चावल का कम हो जाना

9291 **श्री टी पी० शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1961 से मई, 1962 तक की अवधि में तटीय जल-यानों द्वारा कलकत्ता पत्तन से केरल की पत्तनों तक चावल की ढुलाई के दौरान लगभग 15 लाख रुपये के मूल्य का लगभग 60,000 मन चावल कम हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के लिये स्टीमर एजेंटों के पास कोई दावा किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इतनी अधिक कमी होने के क्या कारण हैं और भविष्य में इस प्रकार अनाज कम न होने देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ । 14.07 लाख रुपये के मूल्य के 2378 मीटरी टन (63,700 मन) चावल की कम-उतरान हानि हुई थी ।

(ख) जी हाँ । परन्तु स्टीमर एजेन्टों ने उस कमी का खण्डन किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस प्रश्न की विषय वस्तु 21 मार्च, 1968 को हस्ताक्षरित आडिट रिपोर्ट (सीविल), 1968 के पैरा 86 में पहले ही शामिल है और लोक लेखा समिति उस पर विचार विमर्श करेगी और उसकी रिपोर्ट को यथा समय सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

अनाज के जहाजों पर विलम्ब-शुल्क

9292. **श्री कंवर लाल गुप्त** :

श्री वी० पी० शाह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी से दिसम्बर, 1966 तक की अवधि में आयात किये गये खाद्यान्न के 214 जहाजों पर विलम्ब शुल्क के रूप में 1.48 करोड़ रुपये की राशि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कि इस अपव्यय के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, किसी जांच का आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस जाँच का क्या परिणाम निकला; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के अपव्य को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) इस प्रश्न की विषय वस्तु 21 मार्च, 1968 को हस्ताक्षरित आडिट रिपोर्ट (सिविल), 1968 के पैरा 83 के उप-पैरा 3 में पहले ही शामिल है और लोक-लेखा समिति उस पर विचार विमर्श करेगी और उसकी रिपोर्ट को यथा समय सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

मन्त्रालयों से सम्बद्ध सरकारी समितियों में सदस्यों की नियुक्ति

9293. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या संसद-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालयों से सम्बद्ध संसदीय परामर्शदात्री समितियों में सदस्यों का नाम-निर्देशन करने की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या परामर्शदात्री समितियों द्वारा किये गये काम का कोई प्रतिवेदन तैयार किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन सदस्यों का पुनः नामांकन करने से पहले, जो समिति की आधी बैठकों में भी भाग नहीं लेते हैं, कोई परामर्श किया जाता है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) विभिन्न मंत्रालयों की अनौपचारिक सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन स्वयं उन द्वारा दी गयी प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

(ख) क्योंकि इन समितियों का स्वरूप अनौपचारिक होता है अतएव इनके कार्य का कोई अनौपचारिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया जाता है।

(ग) अनौपचारिक सलाहकार समितियों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। सदस्य द्वारा दी गयी प्राथमिकता के अनुसार जब एक संसद्-सदस्य को किसी मंत्रालय की समिति पर मनोनीति कर दिया जाता है तो वह उस समिति का सदस्य उस समय तक बना रहता है जिस समय तक वह स्वयं किसी अन्य मन्त्रालय की समिति पर नामांकन के लिये न लिखे।

Invitations from Foreign Countries

9294. Shri Shashibhushan Bajpai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of invitations received during the last two years by the co-operative societies and their workers from socialist and non-socialist countries, respectively; and

(b) the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) invitations received from U.S. S. R., Czechoslovakia and German Democratic Republic and 10 invitations were received from Federal Republic of Germany, Sweden, United Kingdom, Jamaica, Japan and Isreal.

(b) A statement is enclosed. **(Placed in Library. See No. LT-1135/68)**

Invitations to Co-operative Societies from Socialist Countries

9295. Shri Shashibhushan Bajpai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the invitations received from Socialist countries by certain Co-operative Societies and their workers were rejected by the Ministry of Finance; and

(b) if so, the number of invitations rejected during the last two years and the basis for their rejection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b) During the last two years, out of 11 invitations, the Government did not agree to the co-operatives accepting one invitation only. The main reasons for the decision was that it was felt that the benefit of training would not be commensurate with the expenses involved on the sponsoring co-operative organisations by way of international travel, etc.

Means of Communications in Rajasthan

9296. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the special facilities and concessions granted for the expension of communications in the backward state like Rajasthan;

(b) whether any change in the present policy of talking into considration the deficit and profit in the expension of telegraphic, postal and telephonic lines, specially in sandy and hilly areas, is proposed to be made; and

(c) if not, the action which Government propose to take to provide these services in that area ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) **Postal facilities :** Under the existing liberal policy of the Department, areas which are underdeveloped on account of difficult terrain, sparse population or lack of literacy are treated as 'very backward' area by the P&T Department, of the expansion of postal facilities. In such areas post office are opened regardless of the population and distance of the villages to be grouped. A loss of Rs. 1,000/— per annum per office is permissible in such cases. In special circumstance the limit of loss is further enhanced upto Rs. 2,500/— per annum per office at the discretion of the Director General, Posts and Telegraphs. In Rajasthan, Barmer, Jaisalmer District and parts of Chhuru, Udaipur and Banswara Dists. have been treated as 'very backward' by the P&T Department. **New Telger Offices** are establis'ed in out of the way places i. e. places not having Telegraphs Office within 20 km. provided the loss in each case does not exceed Rs. 1,000/—

Public Call Offices are proposed to be installed in remote localities in the country provided the distance from such places to the nearest Telephone Exchange is beyond 40 km.

Post, Telegraphs and Telephone facilities are also extended to any part of the country regardless of distance and population factors etc. provided intersted parties are willing to bear the cost incurred by the Department.

(b) and (c) Facilities provided by the department under the existing policy are considered to be adequate. Hence no change in policy is envisaged.

Suratgarh Agriculture Farm

9297. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7027 on the 11th April, 1968 and state :

(a) the amount of money invested by Government as well as that invested by any foreign country so far in the Suratgarh mechanised farm;

(b) the reasons for the loss in the said farm over a number of years; and

(c) the steps being taken by Government to turn this loss into profit ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) The total investment by the Central Government in the Suratgarh Farm during the period 1956-57 to 1966-67 is Rs. 436.96 lakh. The Farm received equipment and machinery worth Rs. 67 lakh as a gift from the U. S. S. R. Government.

(b) and (c) Some loss in the initial years of the Farm was inevitable. But the chief reasons for the losses over a number of years has been the inadeqnancy of irrigation supplies and occurence of the Ghaggar floods. Efforts are being made to secure larger supplies of water for the Farm. Flood control measures are also being adopted. When the irrigation supplies are adequate and regular, it is hoped the Farm will not run at a loss.

अन्दमान वन संघ तथा लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस

9298. श्री गणेश : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या अन्दमान वन श्रमिक संघ तथा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ ने हड़ताल करने का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन मामलों पर झगड़ा है तथा क्या नोटिस की अवधि समाप्त हो गई है;

(ग) क्या इस बीच कोई बातचीत आरम्भ की गई थी; और

(घ) क्या झगड़े को निबटाने के सम्बन्ध में श्रम विभाग ने समझौते की बातचीत आरम्भ की थी तथा अन्य कार्यवाही की थी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) दो यूनियनों की मांगों का विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1136/68**]

हड़ताल के नोटिस का समय 24 अप्रैल, 1968 को समाप्त हो गया ।

(ग) जी हां ।

(घ) यद्यपि समझौते की कार्यवाही शुरू नहीं की गई तथापि प्रशासन के श्रम विभाग ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी । मुख्य आयुक्त ने व्यक्तिगत तौर पर यूनियनों के प्रतिनिधियों तथा सम्बन्धित विभागों के प्रधानों से उनकी माँगों पर विचार-विमर्श किया । प्रशासन ने कुछ मांगों को मान लिया है । इन मांगों का एक विवरण संलग्न है विशेष कुछ मांगे विचाराधीन हैं ।

Distribution of Land in U. P.

9299. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the qersons, who own lands, obtain for themselves barren land in the names of members of their families who do not own any land because of faulty arrangements in distribution of land made by the Uttar Pradesh Government;

(b) if so, whether Government propose to take any action against the Land Distribution Committees and the members of Panchayats who distribute land in such a manner; and

(c) if so, the time by which Government would take such measures ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): (a) In Zamindari Abolition Areas, vacant land is vested in Gaon Sabhas and Land Management Committees of these Sabha distribute Priority for various categories of persons has been laid down in the Act. However, there were complaints that in many cases, these priorties were not followed by the Land Management Committees.

(b) In August, 1967, the Govt. of U. P. issued orders for scrutiny of all leases granted by the Land Management Committees of the Gaon Sabhas in three preceding years and for taking action against Pradhans responsible for ignoring the rules.

(c) The scrutiny of leases is still in progress. Irregular leases can be cancelled only after giving judicial hearing to the parties concerned. It is therefore, not possible to indicate precisely the time that would be required in this process.

Forest Land in U. P.

9300. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the District-wise acrage of land in Uttar Pradesh under Government forests and the acrage of such land as has been occupied by villagers in an unauthorised manner and has been registered as on lease through the Pradhans;

(b) if so, the range-wise loss caused to the Forest Department as a result thereof; and

(c) whether the persons, who have occupied the land belonging to the Forest Department, include landless farmers also and if so, the details thereof ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Investigation into the Leases given by Land Management Committee

9301. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received from all the District Magistrates the investigation reports into the leases given by the Land Management Committees of Gram Sabhas in pursuance of the official Order No. 303/1-a-8-2 (5)/67, dated the 19th August, 1967 issued by the Uttar Pradesh Government; and

(b) if so, the District-wise details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b) Information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House when received.

Rates of Fertilisers in Delhi

9302. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rates of fertilisers have been raised in Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes. The retail prices of Ammonium Sulphate, Urea and Muriate of Potash distributed through the Central Fertilisers Pool have been slighly raised in Delhi as also in other parts of the country with effect from 1. 4. 1968.

(b) The prices of these fertilisers had to be increased on account of the following reasons :

(i) the increased cost of procurement of the indigenously produced fertilisers;

(ii) the withdrawal of subsidy on Muriate of Potash.

(iii) to minimise the losses to the Pool.

Adultration in Seeds in Delhi

9303. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have been receiving complaints in regard to adultration of seeds in Delhi; and

(b) if so, the number of places where raids have been made in 1967-68 in this regard and the action taken against the persons found guilty ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

Non-Availability of Sharbati Sonara Wheat Seed in Pusa Institute. New Delhi

9304. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the seeds of Sarbati Sonara wheat and other seeds are not available in Pusa Institute New Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Sahu Chemicals

9305. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to suspension of production in the Sahu Chemicals, ammonia and ammonia chloride have become scarce resulting into the closure of cold storages in U. P. and consequently a large quantity of fruits go waste; and

(b) if so, the action taken by Government to make ammonia available and settle the labour dispute in Sahu Chemicals ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Production in this concern remained suspended from 13. 3. 68. to 8. 4. 68. due to strike. No report regarding closure of any cold storage in U. P. resulting in wastage of fruit was received by the State Labour Commissioner.

(b) As a result of the efforts of the State Conciliation Machinery, an agreement was arrived at and work resumed, with effect from 9. 4. 68.

Sugar Mills

9306. Shri Raghuvir Singh Shastri : will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the arrears of Sugarecan price due to the cane growers State-wise, from the different sugar mills; and

(b) the action taken by Government to ensure the payment of the outstanding amounts and prompt payments in future to cane growers in view of the extraordinary profit earned by sugar mills this year ?

The Minister of Food and Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Jagjivan Ram) : (a) A statement showing the arrears of sugarcane price due from sugar mills State-wise as on 31st March, 1968, is attached. **(Placed in Library. See No. LT-1137/68)**

(b) The State Governments were addressed in the matter. In respect of arrears of previous seasons, the U. P. Government has informed that recovery certificates have been issued against the defaulting factories. With regard to the current season 1967-68, the position as on 31st March, 1968, was that out of the total amount of Rs. 236.4 crores due to the cane growers, Rs. 207.5 crores had been paid up to that date. Efforts are being made to expedite clearance of arrears of the current season also.

Annual Agriculture Calendar

9307. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to prepare a detailed annual agricultural calendar so that the farmers may receive the latest and authentic information on the different agri-

cultural subjects like seed, the proper use of chemical fertilisers and the high-yielding crops etc.;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Agro-climatic conditions vary so much from place to place that it is not possible to have one calendar covering all the crops in all the regions of the country. States bring out such calendars/guides for farmers giving the improved practices and other useful information on various crops for the use of farmers.

The Ministry of Food and Agriculture, (The Directorate of Extension), however, issues leaflets and pamphlets on all the important crops and particularly the high-yielding varieties which provide broad package of practices as evolved by experimentation and experience. Similar literature incorporating local recommendations is being brought out by the State Governments.

ट्रैक्टरों की सप्लाई

9308. श्री मोहन स्वरूप : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 29 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2303 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 50 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टर खरीदने के इच्छुक सैकड़ों किसानों के नाम लम्बी प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) यदि हां, तो जब देश में होने वाले ट्रैक्टरों के निर्माण से पूरी मांग की पूर्ति होने की सम्भावना नहीं है, तो इसकी मांग और सप्लाई के बीच के बढ़े हुए इस गहरे अन्तर को पूरा करने के लिये इस वर्ष रूस से 50 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों का आयात न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 29 फरवरी 1968 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न 2303 के उत्तर में माँग को पहले ही सूचित कर दिया गया है।

(ख) 1968-69 में 50 अश्व शक्ति के 2500 और 1969-70 में 3500 ट्रैक्टरों के उत्पादन की आशा है। उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वश्री हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड को सी० के० डी० पैक्स और कच्चे माल के आयात के लिए समुचित लाइसेंस दे दिये गये हैं। 1967 में फर्म को 3000 सी० के० डी० पैक्स के आयात की स्वीकृति दे दी गई है। इसके द्वारा ट्रैक्टरों की उपलब्धि में काफी वृद्धि हो जायेगी। 1968-69 में होने वाले ट्रैक्टरों के उत्पादन से ऐसे ट्रैक्टरों की अब तक की अपूर्ण मांग के पूर्ण होने की आशा है। इन परिस्थितियों में रूस से 50 अश्व-शक्ति के और अधिक ट्रैक्टरों के आयात को आवश्यक और उपयुक्त नहीं समझा जाता।

चैकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टरों का आयात

9309. श्री मोहन स्वरूप : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चैकोस्लोवाकिया के 20 हार्स-पावर के कितने ट्रैक्टरों का अब तक आयात किया गया था तथा राज्यवार कृषि उद्योग निगम को कितने-कितने ट्रैक्टरों का आवंटन किया गया;

(ख) प्रत्येक निगम ने अलग-अलग किसानों को अब तक ऐसे कितने ट्रैक्टरों को बेचा;

(ग) ऐसे ट्रैक्टरों को यदि कोई "आफ्टर सेल्स सर्विस" दी गई तो उसका ब्यौरा क्या है; चाहे यह सर्विस सीधे निगम ने दी हो अथवा अन्य किसी तीसरे पक्ष ने दी हो तथा दोनों मामलों में वर्कशाप किस प्रकार की है; और

(घ) क्या यह सच है कि कृषि उद्योग निगम मद्रास ने चैकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टरों को बेचने से मना कर दिया है तथा यदि हां, तो किन कारणों से ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अब तक 1,000 ट्रैक्टरों का आयात किया गया है। स्टेट ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को निम्नलिखित नियतन किये गये हैं—

पंजाब	300
हरियाणा	200
उत्तर प्रदेश	200
बिहार	300

(ख) इन कारपोरेशनों द्वारा अब तक निम्नलिखित ट्रैक्टरों का विक्रय हुआ हैं :—

पंजाब	290	
हरियाणा	200	
उत्तर प्रदेश	95	कुछ समय पूर्व प्रत्येक राज्य में 100 ट्रैक्टर आये थे शेष अभी आये हैं।
बिहार	95	

(ग) इन कारपोरेशन ने विक्रय के बाद मरम्मत के बारे में निम्नलिखित प्रबन्ध किये हैं :—

(1) **पंजाब** :—पंजाब कारपोरेशन ने एक बेस वर्कशाप की स्थापना की है जिनकी 2 चलती फिरती वर्कशाप एककें हैं।

(2) **हरियाणा** :—हरियाणा कारपोरेशन ने एक बेस वर्कशाप और एक चलती फिरती एकक की स्थापना की है। यह कुछ अन्य पार्टियों के माध्यम से कुछ जिलों में विक्रय के पश्चात तदर्थ आधार पर मरम्मत का प्रबन्ध भी कर रही है।

(3) **उत्तर प्रदेश** :—उत्तर प्रदेश निगम ने विक्रय के पश्चात मरम्मत के लिए अपने ही प्रबन्ध किये हैं। यह इस कार्य के लिए सरकारी कृषि वर्कशाप व पंचायत उद्योग वर्कशापों से भी काम लेगी।

(4) **बिहार** :—बिहार कारपोरेशन ने एक बेस वर्कशाप की स्थापना की है यह ट्रैक्टरों की बिक्री के पश्चात मरम्मत करने के लिये चलती फिरती एककों व क्षेत्रीय वर्कशापों की स्थापना करने के बारे में भी विचार कर रही है।

(घ) मद्रास निगम ने राज्य के लिये 100 ट्रैक्टरों के नियतन के लिए प्रार्थना की है। परन्तु सीमित कारोबार को दृष्टि में रखते हुए यह इन ट्रैक्टरों के विक्रय में रुचि नहीं रखती।

Automatic Telephone Exchanges in Madhya Pradesh

9310. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of major automatic telephone exchanges in Madhya Pradesh;

(b) if there are no major automatic telephone exchanges there, the reasons there for; and

(c) whether any phased programme has been chalked out in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) There are two main Automatic exchanges in Madhya Pradesh namely (i) 3000 lines Auto Exchange at Bhopal and (ii) 3600 lines Auto Exchange at Indore.

(b) Does not arise.

(c) Installation of following Main Auto exchanges has been programmed:—

(i) 4000 lines Crossbar exchange at Gwalior likely to be commissioned by end of 1970.

(ii) 5000 lines crossbar exchange at Jabalpur, likely to be commissioned by end of 1972.

(iii) 1500 lines crossbar exchange at Bhopal (Assembly) likely to be commissioned by end of 1972.

(iv) 5000 lines, second Main Auto Exchange at Indore likely to be commissioned during 1969.

(v) Expansion of the 5000 lines Main Auto Exchange at Indore, by another 2800 lines, likely to be commissioned by end of 1970.

Agricultural Projects in M. P.

9311. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the World Bank has provided a loan for starting agricultural projects in certain Districts of Madhya Pradesh;

(b) if so, the names of these Districts and details regarding these projects; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No assistance has baen received from the World Bank as no project was submitted to the Bank.

मध्य प्रदेश में पुनर्वास कार्य

9312. श्री ग० च० दीक्षित : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पुनर्वास सम्बन्धी सभी शेष समस्याओं को हल करने के बारे में कोई व्यापक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) मध्य

प्रदेश सरकार ने पुनर्वास सम्बन्धी सभी शेष समस्याओं को हल करने के लिये कोई व्यापक योजना प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मैसूर को कृषि उपकरणों की सप्लाई

9313. **श्री क० लकप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य को कृषि उपकरणों तथा ट्रैक्टर, बुलडोजर तथा अन्य उपकरणों की कितनी सप्लाई की; और

(ख) क्या इन उपकरणों का मैसूर राज्य में कृषि कार्य के लिए वस्तुतः प्रयोग किया जा रहा है अथवा वे बेकार पड़े हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय राज्यों को (जिनमें मैसूर भी शामिल है) ट्रैक्टर, बुलडोजर आदि कृषि मशीनें व उपकरण संभरण नहीं करता । फिर भी यह विभिन्न राज्यों को (जिनमें मैसूर भी शामिल है) आयात होने वाली कृषि मशीनों के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा देता है । देश में बीज एवं उर्वरक ड्रिलों के प्रदर्शन व लोकप्रियता और धान्य उत्पादन के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी दी जाती है । राज्य सरकारें ही वास्तव में मशीनों व उपकरणों का क्रय करती हैं । मैसूर सरकार द्वारा क्रय हुई व बेकार पड़ी कृषि मशीनरी व उपकरणों के विषय में जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पैकेज कृषि योजना

9314. **श्री क० लकप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में जहां प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है अधिक कृषि पैकेज योजनाएं चालू करने का कोई प्रस्ताव है, क्योंकि मैसूर राज्य में पर्याप्त अनाज का उत्पादन बार-बार नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । 1962-63 से मैसूर राज्य के मांड्या जिले में क्रियान्वित किये जा रहे सघन कृषि जिला कार्यक्रम (पैकेज कार्यक्रम) के अतिरिक्त तुंगभद्रा की बायें तट की नहर; तुंगभद्रा के दाहिने तट की नहर और तुंगभद्रा लो लेवल नहर द्वारा सिंचित 8,71,000 एकड़ को 1 अप्रैल, 1968 से सघन कृषि विकास कार्यक्रम क्षेत्र के अन्तर्गत समाविष्ट करने का निश्चय किया गया है । जिससे कि विकास के क्रियाकलापों को बढ़ा कर इस क्षेत्र की प्रगति को तीव्रतर किया जा सके । इस क्षेत्र में बेलारी जिले के बेलारी, हरापनाहली, हौसपेट और सिरुगुप्पा ताल्लुक के भाग और रायचूर जिले के गंगावथी, कोप्पल, सिंधनूर मानवी और रायचूर ताल्लुक भी सम्मिलित हैं ।

(ख) नये सघन कृषि विकास कार्यक्रम क्षेत्र की समस्याओं और क्षमताओं के विस्तृत अध्ययन और कार्यक्रमों की रूप रेखा बनाने के लिये 'एक अध्ययन दल गठित किया गया है ।

तुंगभद्रा क्षेत्र में नव सघन कृषि विकास कार्यक्रम के कार्यों को आवश्यक निदेश देने के लिये राज्य स्तर पर भी एक स्टियरिंग समिति गठित की गई है।

महाराष्ट्र के यवतमाल नगर में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था

9315. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल नगर में स्वचालित टेलीफोन प्रणाली की व्यवस्था करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उस नगर में किस तारीख तक स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था स्थापित हो जायेगी ?

राज्य मंत्री संसद-कार्य तथा संचार विभाग में (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) यवतमाल के लिए 400 लाइनों के एक लघु स्वचल टेलीफोन केन्द्र की योजना है। स्वचल उपस्कर की स्थापना के लिए मौजूदा भवन के विस्तार का कार्य कुछ ही समय पहले पूरा हुआ है और विद्युत-स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वचल टेलीफोन प्रणाली लागू हो जाएगी।

S. T. D. System between Bombay and Delhi

9316. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the progress made in introducing S. T. D. system between Bombay and Delhi; and

(b) when this service will start functioning ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Trunk Automatic Exchanges are under installation at Bombay and Delhi and are likely to be commissioned in 1968-69. 10 stations including Bombay and Delhi are proposed to be connected to these/Exchanges. After these stations have been connected, the two Trunk Automatic Exchanges are to be interconnected at which stage the STD between Delhi and Bombay will be available.

(b) Expected during 1969.

Labour Establishments

9317. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of strikes that took place in the Labour Establisments run by the Central Government on account of the demands of the labourers like grant to Bonus and Dearness allowance during the years from 1963 to 1967, year-wise; and

(b) the number of labourers removed from service by Government in Labour Establishments during the above period ?

The Minister of Labour and Rehabilitatons (Shri Hathi) : (a) A statement showing the number of disputes resulting in work-stoppages due to Bonus, Wages and Allowance in Central Government establishments is given below.

STATEMENT

Year	No. of Disputes resulting in work- stoppages in Central Government establishments due to Bonus, Wages and Allowances.
1963	14
1964	25
1965	23
1966	55

1967 63 (Provisional. This figure is based on returns received in the Labour Bureau up to the 6th April, 1968).

(b) Information is not readily available.

केरल में जर्सी कैटल फार्म

9318. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य की अत्तापडी घाटी में एक जर्सी कैटल फार्म चालू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस फार्म के लिये स्थान का चयन अन्तिम रूप से कर लिया गया है; और

(ग) क्या इस फार्म पर कार्य इस वित्तीय वर्ष में आरम्भ हो जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) देश में एक जर्सी कैटल फार्म चालू करने का प्रस्ताव है। जिन स्थानों के विषय में विचार किया जा रहा है उनमें केरल राज्य की अत्तापड़ी घाटी भी शामिल है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मछली पकड़ना

9319. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत द्वारा कुल कितनी मछलियां पकड़ी गईं और इन्हीं वर्षों में, विश्व के सब देशों द्वारा पकड़ी गई मछलियों की तुलना में उनका क्या अनुपात है;

(ख) इन वर्षों मे मछलियों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न सूत्रों से प्राप्त इस आलोचना की जानकारी है कि हमारे मछली उद्योग के विस्तार के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की जा रही है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार मछली पालन उद्योग के लिए एक पृथक मन्त्रालय स्थापित करने तथा अधिक मछलियां पकड़ने के लिए एक क्रैश कार्यक्रम आरम्भ करने के बारे में विचार करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गत तीन वर्षों में भारत में पकड़ी गई कुल मछलियां और इन्हीं वर्षों में विश्व के सब देशों में पकड़ी गई मछलियों की तुलना में उनका अनुपात निम्न प्रकार है :—

वर्ष	विश्व (मीटरी टनों में)	भारत (मीटरी टनों में)	विश्व में पकड़ी गई मछलियों की तुलना में भारत में पकड़ी गई मछलियों का प्रतिशत
1965	533,00,000	13,31,000	2.50
1966	568,00,000	13,68,000	2.41
1967	उपलब्ध नहीं	14,20,000	—

(1967 के आँकड़े अस्थायी हैं। 1967 में विश्व में पकड़ी गईं मछलियों का दित्ता उपलब्ध नहीं है।)

(ख) इन वर्षों में मछलियों के निर्यात द्वारा कमायी गई कुल विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

	रुपये (करोड़ों में)
1965	6.46
1966	13.12
1967 (केवल 11 महीने)	16.90

(ग) मछलियों के सम्भाव्य स्रोतों के सम्बन्ध में सरकार जागरूक है और मछली विकास कार्यक्रमों को पर्याप्त रूप में बढ़ा दिया गया है। फिर भी, विकास कार्य को और अधिक तीव्र गति से बढ़ाने के मार्ग में वित्त और प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव की कठिनाइयाँ हैं।

(घ) मछली-पालन उद्योग के लिए एक पृथक मन्त्रालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतिरिक्त यंत्रचालित नावों को इस कार्य में समाविष्ट करने के लिए सरकार एक क्रैश कार्यक्रम पर विचार कर रही है।

Central Potato Research Centre, Patna

9320. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a Central Potato Research Institute Centre is functioning near Phulwari Shariff (Patna);

(b) if so, the number of workers who work there at the time of growing potatoes and the number of permanent workers there;

(c) whether it is a fact that 32 workers are working there for the last so many years but they have not so far been regularised;

(d) if so, the reasons therefor;

(e) whether it is also a fact that the Manager of the Institute has removed some workers from service after the workers there formed a union; and

(f) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of casual workers at the time of growing potatoes varies from 22 to 100 per day, depending on the requirements on each day. Of these none are permanent employees. Sixteen persons have been continuously engaged for a number of years.

(c) and (d) The number of persons who have been in continuous employment for a number of years is only 16 and not 32. Out of these 16, four have already been brought on to a monthly basis. Cases of some others are under consideration.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

Recognised Central Trade Unions

9321. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have completed the annual verification of the membership of recognised Central Trade Unions pertaining to the year 1966;

(b) if so, the number of members of various trade unions; and

(c) the number of members of each union of agricultural labourers organised in rural areas ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) to (c): There is no annual verification by Government of the membership of all recognised trade unions. The general verification of membership figures of the All India Trade Union Organisations as at the end of 1966 is in progress and the final verified membership figures are expected to become available shortly.

Commemorative Stamps

9323. Shri Ram Gopal Shalwale: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government propose to issue commemorative postal stamps in the memory of religious leaders, Maharishi Dayanand Saraswati and Swami Shradhanandji;

(b) if so, when they are likely to be issued; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) to (c) A special postage stamp in memory of Swami Dayanand Saraswati has already been issued on 4. 3. 1962. The proposal regarding Swami Sharadhanand was examined by the Philatelic Advisory Committee but it could not be accepted for the time being owing to the shortage of imported adhesive stamp paper and the limited capacity of the Security Printing Press.

चीनी का उत्पादन

9324. श्री सु० कु० तापड़िया: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू सीजन में मार्च, 1968 तक चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) गत सीजन में इसी अवधि में चीनी के उत्पादन की तुलना में वह कितना कम अथवा अधिक है;

(ग) 31 मार्च, 1968 तक गैर सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में कितने मिल बन्द हुए थे; और

(घ) इन मिलों के बन्द होने के क्या कारण हैं और उन्हें फिर चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) पहली अक्तूबर, 1967 से शुरू होने वाले चालू पेराई मौसम 1967-68 में 31 मार्च, 1968 तक चीनी का कुल उत्पादन 20·75 लाख मीटरी टन रहा है जबकि उसकी तुलना में पिछले सीजन की उसी अवधि में 20·10 लाख मीटरी टन था।

(ग) 31 मार्च 1968 तक गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में बन्द हो गई चीनी मिलों की संख्या क्रमशः 112 और 28 थी।

(घ) मिलों ने अपने पास उपलब्ध सभी गन्ने को पेर दिया था। फलतः चालू मौसम में उन्हें पुनः चालू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में चीनी का कोटा

9325. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चीनी के बढ़ते हुए दामो को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली और नई दिल्ली में राशन कार्ड व्यवस्था के अन्तर्गत दिये जाने वाले चीनी के कोटे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो राजधानी का कितना कोटा बढ़ाया जा रहा है तथा प्रति व्यक्ति चीनी की मात्रा कितनी बढ़ाई जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान मोटर्स

9326. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री भगवान दास :**
श्री अनिरुद्धन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 अप्रैल, 1968 को हिन्दुस्तान मोटर्स के कर्मचारियों ने वेतन न लेने की हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हाँ, यो उनकी माँगें क्या थीं; और

(ग) विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) 7 अप्रैल, 1968 को रविवार था, इसलिए उस दिन कारखाना बन्द रहा। कम्पनी ने अपने श्रमिकों को 6 अप्रैल, 1968 को मजदूरी का भुगतान करना शुरू किया जिस दिन लगभग 2000 श्रमिकों ने मजदूरी प्राप्त की । शेष श्रमिकों ने 8-4-68 को मजदूरी लेनी शुरू की ।

(ख) पश्चिमी बंगाल के राज्य श्रम निदेशालय के पास श्रमिकों की कोई भी माँग विचाराधीन नहीं है । परन्तु हाल ही में वर्ष 1960-61 और वर्ष 1961-62 के लिए देय बोनस के सम्बन्ध में श्रमिकों ने कुछ प्रश्न उठाये हैं ।

(ग) राज्य श्रम निदेशालय ने बोनस के प्रश्न पर प्रबन्धकों और यूनियन से विचार-विमर्श किया है और वे इस विवाद को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं ।

Automatic Telephone system in Bulandshahr

9327. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state

(a) whether it is a fact that Government are considering to introduce an automatic telephone system in Bulandshahr;

(b) if so, when the said scheme is likely to be implemented; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) The exchange is expected to be commissioned during 1969.

(c) Does not arise.

Movement of Gram

9328. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even after the Central Government have removed Zonal restrictions on gram and gram pulses, some of the State Governments are continuing restrictions on them; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : The movement of gram and barley was made free throughout the country w. e. f. 28. 3. 1968. A request was received from the Madhya Pradesh Government seeking to retain the restrictions on movement. This request has not been agreed to and the Madhya Pradesh Government have been informed accordingly.

विभागातिरिक्त डाक कर्मचारी

9329. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागातिरिक्त डाक कर्मचारियों के भत्ते को पिछली बार कब बढ़ाया गया था ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में पुरी डिवीजन के अन्तर्गत आने वाले विभागातिरिक्त कर्मचारियों को बढा हुआ भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है ; और

(ग) इस बात के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, कि उन कर्मचारियों को स्वीकृत बढ़े हुए भत्तों की राशि का तुरन्त भुगतान किया जाये ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) विभागातिरिक्त कर्मचारी वेतन-वृद्धि पाने के हक़दार नहीं हैं। उनके भत्तों में अंतिम अस्थायी वृद्धि 1 नवम्बर, 1967 से की गई थी जिसके लिए आदेश 27 जनवरी, 1968 को जारी किये गये थे।

(ख) और (ग) — यह पता चला है कि पुरी डिवीजन में सभी विभागातिरिक्त कर्मचारियों को देय बढ़े हुए भत्तों की अदायगी नियमित रूप से की जा रही है, सिवाय पुरी के प्रधान डाकघर के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को देय बकाया रक़म की आदयगी नहीं की गई, जिसकी अदायगी मई, 1968 के दौरान की जाएगी ।

भुवनेश्वर (उड़ीसा) में मुख्य डाकघर के कर्मचारी

9330. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भुवनेश्वर में मुख्य डाकघर में श्रेणीवार कितने कर्मचारी थे ; और

(ख) मार्च, 1968 के अन्त में मुख्य डाकघर में श्रेणीवार कितने कर्मचारी थे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) --- एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1138/68]**

मुख्य डाकघर, भुवनेश्वर

9331. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में मुख्य डाकघर, भुवनेश्वर में इस समय प्रतिदिन वितरण के लिये कितने पत्र प्राप्त होते हैं ; और

(ख) वितरण के लिये इन पत्रों को छाँटने के लिये अब वहाँ पर डाक-छांट डाकियों के कितने मंजूर पद हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) औसतन लगभग 15000 ।

(ख) दो क्लर्क तथा उनकी सहायता के लिए चार छंटाई डाकिये व एक प्रवाचक डाकिया ।

चौथे साधारण निर्वाचनों के दौरान मतदाताओं को परेशान किया जाना

9332. **श्री वेदव्रत वरुआ** :

श्री न० कु० सांधी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले साधारण निर्वाचनों में मतदाताओं को अभ्यर्थियों द्वारा परेशान किए जाने के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थी और उन पर क्या कार्य वाहीकी गई ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) गत साधारण निर्वाचनों के दौरान मतदान समाप्त होने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग में तीन शिकायतें यह अभिकथित करते हुए प्राप्त हुई थीं कि कुछ हरिजन मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से उपद्रवी तत्वों द्वारा निवारित किया गया था ; इन में से एक शिकायत उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से थी और दो, बिहार के हाजीपुर और इस्लामपुर विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों से थीं । चूंकि शिकायतें अस्पष्ट थीं और मतदान की तारीखों के पश्चात् प्राप्त हुई थीं, इसलिए कोई भी कार्रवाई संभव या आवश्यक नहीं समझी गई ।

Allottment of Land in U. P.

9333. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the ex-servicemen and landless persons who applied for allotment in the Districts of Mathura and Meerut during the period of three years preceding to the 17th November, 1967 have not so far been allotted lands, even after their having applied to that effect repeatedly ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ;

(c) whether Government propose to issue orders for the allotment of fallow land and Government land to the employees who had submitted applications prior to the 17th November, 1967; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) All vacant land in U. P. has been vested in Gaon Sabhas. Allotment of such is made by the Land Management Committees of Goan Sabhas in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act. There may be cases of ex-servicemen and landless persons who applied for allotment of land but could not get land allotted by the Gaon Sabhas during the period in question.

(b) and (c) Landless persons and ex-servicemen enjoy priority in allotment of Land under the rules framed under Zamindari Abolition Act. Persons by aggrieved with the allotments have a right to file objections which are heard judicially Sub-Divisional Officer. Interference by the Government in such matters is not possible. The concerned persons will have to apply direct to the Land Management Committee of the Gaon Sabha which will consider applications on merits according to rules.

(d) The allotment of land vested in Gaon Sabhas has been stopped pending the amendment in the Act, making pre-scrutiny of decisions of Land Managament Committees by the Tehsildars obligatory.

Post Offices in Delhi

9334. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Post Offices in Delhi and the number of Post Offices housed in Government and rented buildings, separately ;

(b) the total amount paid during the last two years in respect of Post Offices housed in the rented buildings ; and

(c) whether Government propose to purchase land and construct their own buildings for housing these Post Offices ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a)

No. of Departmental P, Os in Capital	—	—	—229
No. of P. Os housed in Government buildings	—	—	— 75
No. of P. Os in rented buildings	—	—	—135
No. of P. Os housed in private rent free buildings	—	—	— 19

(b) Rs. 6,39,394/63 P

(c) Yes, wherever feasible. There are already 22 proposals on hand and in four cases, construction has commenced.

Beet Root Cultivation

9335. Shri Y. S. Kushwah :
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the steps taken by Government to increase the area under beet-root cultivation in the country and the scheme to be implemented in future in this regard ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : The cultivation and processing of sugarbeet are still in the experimental stage and thus no steps have been taken so far by the Government to increase the area under beet-root. The cultivation tests have shown that sugar beet can be successfully cultivated as a rabi crop in certain parts of northern India. Beet seed has also been successfully produced in high hill areas of Himachal Pradesh. Processing tests on sugarbeet are being conducted at Yamunanagar in Haryana, Bhogpur in Punjab and Sriganganagar in Rajasthan. The tests conducted so far have shown that the processing of beet does not present any serious difficulty except that some new machines like diffusors shal lhave to be installed.

A decision regarding the introduction of beet as a commercial crop would be based on the results of these tests.

मिडल अन्दमान द्वीप के बेतापुर क्षेत्र में पुनर्वास ट्रैक्टर एकक :

9336. श्री गणेश : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिडल अंदमान द्वीप के बेतापुर क्षेत्र में काम करने वाले पुनर्वास ट्रैक्टर एकक पर उस अवधि में कितना व्यय हुआ, जिसमें उस एकक ने वहां पर काम किया तथा उसका काम पूरा होने के पश्चात् प्रतिवर्ष कितना व्यय हुआ है ;

(ख) ट्रैक्टर एकक का काम कब आरम्भ हुआ था और वह कब पूरा हो गया था ; और

(ग) यह एकक इस समय क्या काम कर रहा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन का पूर्ण मंत्रिकृत यूनिट, जिसे मध्य अन्दमान द्वीप के बेतापुर क्षेत्र में लगाया गया है, मार्च 1965 से 12 मई, 1967 तक वहाँ कार्य करता रहा जिसका कुल व्यय लगभग 17.00 लाख रुपये है। 13-5-1967 फरवरी से 1968 तक की अवधि का व्यय लगभग 3.74 लाख रुपये है।

(ख) बेतापुर में यूनिट ने कार्य 25 मार्च, 1965 को आरम्भ किया था और 12 मई, 1967 को पूर्ण किया था।

(ग) जिस समय तक यूनिट लिटल अन्डमान द्वीप भेजे जाने की प्रतिक्षा में रहा, यूनिट ने अन्डमान ट्रंक रोड पर कुछ कटाई और भराई का कार्य किया है जिसका अनुमान 3 लाख घन फुट है। यूनिट अब लिटल अन्डमान द्वीप में भेजे जाने की प्रतीक्षा में है जहां वह भूमि-उद्धार का कार्य करेगा।

चावल और धान की खरीद :

9337. श्री गणेश : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 के लिये अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों में चावल तथा धान की खरीद के सम्बन्ध में अधिकतम मूल्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार निर्धारित अधिकतम मूल्य इन द्वीपसमूहों में सामान्य निर्वाह-व्यय के अनुकूल है ; और

(ग) पोर्ट ब्लेयर, रंगत, दिगलीपुर, मायाबन्दर, कदमतल्ला तथा बरातुंग के बाजारों में मुख्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1139/68**]

Jute Growers of Bihar

9338. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the resentment and discontentment among the jute-growers of Bihar is

on the increase due to Central 'Government's failure' to enable them to get minimum price consequent to which the price of jute is falling and the farmers are incurring loss even on their cost of production;

(b) whether the Secretary of the 'Growers and Traders' Union in his recent statement has blamed Government for the difficulties of the jute-growers; and

(c) if so, the steps taken by Government to ensure that the price of jute does not fall in Bihar ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) During the last few weeks, the price of jute registerd a rise.

There is no question of farmers incurring loss on their cost of production. It is however, true that there was resentment among jute growers in Bihar because jute was selling below the minimum support price, particularly in the earlier part of the season when the farmers who were poor were obliged to sell jute.

(b) The Department of Agriculture has no official information. It has not been possible to locate any communication from Secretary of the Growers and Traders Union.

(c) The following steps have been taken to ensure that the prices of raw jute do not fall below the minimum support level :

(i) Fixation of compulsory quota to jute mills under the provision of the jute (Licensing & Control) Order, 1961.

(ii) Allotment of quota for purchase by the Jute Buffer Stock Association ; and

(iii) purchases by the State Trading Corporation through co-operatives in different jute/mesta growing areas.

These measures have had a healthy effect on the market.

कोयला खानों में अनियमिततायें

9339. **श्री काशी नाथ पान्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों के नाम और पते क्या हैं ; जिनके विरुद्ध पिछले पांच वर्ष में उपस्थिति रजिस्टर गलत तरीके से रखने के अपराध में मुकदमा चलाया जा रहा है ; और

(ख) उन कोयला खानों के नाम और पते क्या हैं; जिनके विरूद्ध पिछले पाँच वर्ष में त्रैमासिक बोनस, समयोपरि मजूरी, वार्षिक अवकाश मजूरी और रेलवे भाड़े की अदायगी न किये जाने के अपराध में मुकदमा चलाया जा रहा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायगी।

इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी, पश्चिमी बंगाल

9340. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

श्री भगवान दास :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी पश्चिम बंगाल को फिर चालू करने के लिये इस

कम्पनी के प्रबन्धक तथा कर्मचारियों के बीच समझौता-करार का प्रारूप तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। सम्बंधित पक्षों में 26 अप्रैल, 1968 को समझौता तय हुआ।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या ऐल. टी. 1140/68]**

बेरोजगारी बीमा योजना

9341. **श्री जार्ज फरनेडीज** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 14 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी बीमा योजना को कार्यान्वित करने का इस बीच निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ;

(ग) क्या इस योजना के प्रारूप में कोई परिवर्तन किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस योजना पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में विधि रिपोर्ट

9343. **श्री मुतुस्वामी :**
श्री बेदब्रत बरुआ :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री रा० की० अमीन :
श्री मुहम्मद इमाम :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में न्यायालयों में मार्गदर्शन तथा सहायता के लिये सरकार ने विधि रिपोर्ट हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने का विनिश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विनिश्चय के क्रियान्वयन की आर्थिक अपेक्षाएं क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को अपेक्षित संख्या में योग्य अनुवादक मिल जायेंगे ; और

(घ) इस कार्य के लिये कितने अनुवादकों की आवश्यकता होगी ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) भारत सरकार ने हिन्दी में दो विधि पत्रिकाएं प्रकाशित करने का विनिश्चय किया है जिनमें से एक "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" होगी जिसमें उच्चतम न्यायालय के संप्रकाशनीय निर्णय होंगे और दूसरी "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" होगी जिसमें देश के उच्च न्यायालयों के संप्रकाशनीय निर्णय होंगे।

अन्य प्रादेशिक भाषाओं में इसी प्रकार की विधि पत्रिकाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाने के बारे में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) ये दो विधि पत्रिकाएं प्रकाशित करने की स्कीम का कार्यान्वयन इस समय प्रारम्भिक प्रक्रम में ही है। स्कीम की ठीक ठीक वित्तीय अपेक्षाएं अवधारित करने में कुछ समय लगेगा।

(ग) और (घ) : सरकार को आशा है कि वह इस प्रयोजन के लिए आवश्यक यथायोग्य आफिसर और कर्मचारी शीघ्र ही भर्ती कर लेगी।

सहकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योगों को वित्तीय सहायता

9344. श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1966-67 में उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने के लिये सहकारी समितियों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने कारखाने स्थापित किए गए ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) : 1966-67 में उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का मूल्य

9345. श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूध से बनने वाले पदार्थों को बनाने पर प्रस्तावित प्रतिबन्ध को तथा इस बात को देखते हुए कि दुधारू पशुओं को खिलाने वाले चारे तथा अन्य आवश्यक पदार्थों के भाव काफी गिर गये हैं क्या दिल्ली दुग्ध योजना दूध के उन दामों को घटायेगी जो गत वर्ष बढ़ाये गये थे ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को राज-सहायता देने का सरकार का विचार है, ताकि दूध का मूल्य कम रखा जा सके ?

खाद्य, तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) जब तक दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा क्रय किये जाने वाले दूध के मूल्य में विशेष रूप से कमी नहीं होती, तब तक दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विक्रय होने वाले दूध के मूल्य में कमी नहीं होती, तब तक दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विक्रय होने वाले दूध के मूल्य में कमी करना संभव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

अनाज की उत्पादन लागत

9346 श्री हेमराज : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अनाजों की उत्पादन लागत निश्चित करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित देने के संबंध में अनाज खरीदने के लिये कम से कम मूल्य निश्चित करने का क्या प्रभाव पड़ेगा ।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय ने आदानों की लागत के सूचकों के दित्ता संग्रह और समाकलित आधार पर उत्पादन लागत सर्वेक्षण के कार्य के संगठन के लिये आवश्यक निर्देशन देने हेतु एक स्थायी तकनीकी समिति स्थापित की है । देश में मुख्य फसलों की उत्पादन लागत के निरन्तर अध्ययन के लिये और आदानों की लागत के सूचकों के निर्माण को भी इस योजना के अन्दर सम्मिलित करने के लिये समिति ने एक व्यापक परियोजना की सिफारिश की है । तकनीकी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) न्यूनतम सहायक मूल्यों के निर्धारण में उत्पादन लागत और सम्बन्धित कारणों पर भी व्यापक रूप से विचार किया जाता है ।

निर्वाचन व्यय की विवरणियां

9347. श्री दामानी : **श्री न० कु० सांधी :**
श्री बेदब्रत बरुआ : **श्री मुहम्मद इमाम :**

क्या **विधी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय की विवरणियां फाइल करने के संबंध में किसी परिवर्तन का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उस स्थिति में जब कि मतदाता अपने मत की गोपनीयता नहीं रख सकते मतपत्रों को रद्द करने की व्यवस्था करने के लिये निर्वाचन संबंधि नियमों में भी संशोधन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो यह परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 39 को हाल ही में संशोधित करके उसमें मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता के अतिक्रमण को निवारित करने के लिए यथोचित उपबंध सम्मिलित कर दिये गए हैं ।

(घ) गत साधारण निर्वाचन के पश्चात् हुए एक उप-निर्वाचन में यह अभिकथन किए गए थे कि मतपत्र की गोपनीयता का खुले आम अतिक्रमण किया गया और निर्वाचनों का संचालन

नियम, 1961 के नियम 39 में विनिर्दिष्ट मतदान प्रक्रिया की कुछ मतदान केन्द्रों पर अनेक मतदाताओं द्वारा इतनी घोर अवज्ञा की गई कि उनमें से कुछ मतदाताओं ने तो, अपने मतपत्रों को मतपेटियों में घुसाने से पूर्व, उन पर मतदान कोष्ठों में जाकर चिह्न लगाने के बजाय पीठासीन । मतदान आफिसरों की उपस्थिति में खुले तौर से चिह्न लगाए और उन्हें वहां उपस्थित निर्वाचन अभिकर्ताओं । अभ्यर्थियों को संप्रदर्शित किया ।

गेहूं का नया रोग

9348. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री रविराय :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के पौदा प्रजनन विभाग ने 'डाउनी मिलडयू' नामक गेहूँ के जिस रोग का पता लगाया है तथा जिससे पौदा छोटा हो जाता है तथा अधिक जुताई करनी पड़ती है उसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) गेहूँ की अधिक उपज देने वाली किस्म पर इसका क्या प्रभाव होता है तथा इसको किस प्रकार पहचाना जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पजाब कृषि विश्वविद्यालय से पता चला है कि गेहूँ की बौनी किस्म एस 306 पर इस रोग का पहली बार हमला हुआ है । यह बात विश्वविद्यालय फार्म नरलिगढ़ जिला पटियाला के एक खेत के छोटे से भाग में देखने में आई है । अब उस सामग्री को नष्ट करने के लिए कदम उठाये गये हैं जिसके कारण यह रोग उत्पन्न हुआ है ताकि भविष्य में ऐसा न होने पाये ।

(ख) इस रोग के लक्षण हैं बौनायन और गल्यूम, अत्याधिक टिलरिंग, बालों के आकार में बहुत कमी का होना, गल्यूम व फूलों का अन्तश्चापन, दानों का न बनना तथा इन्डकशन की स्टर्लिटी । सामान्य बालियां या तो होती ही नहीं या प्रभावित पेड़ों पर बहुत कम होती हैं ।

यह कहा गया है कि प्रभावहित क्षेत्रों में उपज में 80 प्रतिशत या इस से अधिक गिरावट आ सकती है । यह रोग कभी कभी होने वाला है और इससे न तो बड़े पैमाने पर हानि होती है और न ही अधिक बड़े क्षेत्र में उत्पादन में कमी ही होती है ।

कई फसलें उगाने का कार्यक्रम

9349. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 तक किन किन राज्यों में कई फसलें उगाने के कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा और 1970-71 तक प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्र में ;

(ख) किन-किन राज्यों तथा किन-किन क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन करके दिखाया जायेगा ; और

(ग) मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी क्षेत्र में जहां सिचाई की सुविधाएं नहीं के बराबर हैं इस योजना को कैसे सफल बनाया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) समस्त राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्रों में बहुउद्देशीय फसल कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। वर्ष 1970-77 के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किया गया कुल लक्ष्य 30.0 मिलियन एकड़ भूमि है। उस वर्ष के लिए राज्यवार ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है क्योंकि उनको साल व साल अन्तिम रूप दिया जाता है।

(ख) अधिक उपज देने वाले किस्म कार्यक्रम तथा सघन कृषि जिला कार्यक्रम के क्षेत्रों में जहां पानी की सप्लाई निश्चित रूप से है चालू बर्ष के दौरान समस्त राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय प्रदर्शन योजना चलाई जा रही है। उन क्षेत्रों का ब्यौरा जहाँ ये प्रदर्शन शुरू किए जायेंगे अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जानकारी राज्य सरकार से माँगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गेहूं की नई किस्में

9350. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विकसित गेहूँ कि कोई किस्म कोरनेल, विश्वविद्यालय, न्यूयार्क में तैयार की गई गेहूँ कि "पार्कस्टार" व्हाइट वैराइटी की तुलना में ठहरती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे अपने देश के जलवायु के अनुकूल बनाने के लिये तथा उससे और उन्नत करने के बीजों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारतीय गेहूँ की किस्मों और कोरनेल विश्व-विद्यालय में विकसित व्हाइट विन्टर गेहूँ कि 'यार्कस्टार' किस्म की कोई तुलना नहीं की गई ;

(ख) यार्कस्टार को भारत की जलवायु के अनुकूल बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया है क्योंकि यह शीत ऋतु में उत्पन्न होने वाली किस्म है जिसके तैयार होने में लम्बा समय लगता भारत में जहां पर केवल बसन्ती गेहूँ का उत्पादन होता है, उत्तरी अमेरिका के शीत ऋतु के गेहूं के उत्पादन के सभी प्रयत्न निष्फल रहे हैं।

संकर बीज उत्पादन

9351. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीज उत्पादन तथा प्रमाणीकरण कार्यक्रमों, विशेष कर संकर बीजों के उत्पादन के सम्बन्ध में काम करने वाली एजेंसियों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये क्रम बद्ध कार्यक्रम आरम्भ करने का है ताकि अच्छे बीजों का उत्पादन तथा प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) राज्यों में बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं और अन्य बीज प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य को प्रोत्साहित करने के हेतु राज्य सरकार के अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण देनें के लिए "बीज परीक्षण तथा बीज प्रमाणीकरण" में सात प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बीज निगम (भारत सरकार का एक संस्थान) भी निगम के कर्मचारियों तथा राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी बीज उत्पादकों के कर्मचारियों के लिए बीज उत्पादन तथा बीज प्रमाणीकरण आदि में परीक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। निगम प्रति वर्ष 3 या 4 ऐसे पाठयक्रम चलाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि संबंधी मशीनों की सप्लाई

9352. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि किसानों को जो कृषि मशीनें तथा उपकरण सप्लाई किये जाते हैं उन पर संभरणकर्ताओं या एजेंटों से बिक्री की शर्तों में कोई गारंटी / गारंटी शामिल नहीं की जाती ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इसका परिणाम यह हुआ है कि किसानों को घटिया तथा कम चलने वाली मशीनें दी गई हैं जिससे उन्हें अत्यधिक मरम्मत आदि करानी पड़ी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कृषि हेतु काम आने वाली मशीनों व उपकरणों की मदों में ट्रैक्टरों, पम्पसैटों व वनस्पति रक्षा साज सामान का बड़ा महत्व है। इन कृषि मशीनों के लिए प्रायः गारंटी / गारंटी होती हैं जिनका सप्लायरों / एजेन्टों की बिक्री की शर्तों के अन्तर्गत समावेश होता है ।

(ख) और (ग) सरकार को इस प्रकार के मामलों का पता नही लगा है । परन्तु जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, संबंधित अधिकारियों या विनिर्माताओं के साथ मामला उठाया जाता है ।

सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के कार्मिक संघ

9353 श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों तथा सरकारी विभागों के कर्मचारियों के कार्मिक संघों को मान्यता देने के वर्तमान नियम क्या हैं ; और

(ख) कर्मचारियों के अपने कार्मिक संघ बनाने के अधिकारों पर यदि कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, तो क्या और वे प्रतिबन्ध लगाने का कानूनी आधार क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस समय सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक कर्मचारियों के मजदूर संघों की मान्यता के बारे में कोई सांविधिक उपबन्ध नहीं है । किन्तु सन्

1958 में स्वीकार की गई अनुशासन संहिता में यूनियनों की मान्यता के बारे में कुछ कसौटियां निर्धारित की गई हैं। ये कसौटियां रक्षा विभाग, रेलवे और डाक व तार विभाग (डाक व तार विभाग के वर्कशाप तथा स्टोर के अलावा) के प्रतिष्ठानों को छोड़कर जहाँ इस सम्बन्ध में अलग निगम विद्यमान हैं, कम्पनियों या निगमों के रूप में गठित सरकारी उपक्रमों तथा पत्तनों और गोदियों में यूनियनों की मान्यता नियमित करती हैं।

जहां तक सरकारी विभागों का सम्बन्ध है, सिविल कर्मचारियों की सेवा संस्थाओं को केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संस्थाओं की मान्यता) नियमावली, 1959 के उपबन्धों के अनुसार मान्यता दी गई है। ये नियम 1962 में प्रभावहीन हो गये जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1955 के नियम 4-बी को संविधान के विरुद्ध कर दिया। अनौद्योगिक श्रेणी के कर्मचारियों 'और' और संयुक्त परामर्श मशीनरी के लिये औपचारिक मान्यता नियम बनाने का प्रश्न गृह मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ख) सरकारी उपक्रमों तथा सरकारी विभागों के कर्मचारियों द्वारा यूनियनें। एसोशिएशनें बनाने के लिये कोई वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है।

दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

9354. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि कालकाजी दिल्ली में भूमि के आवंटन के लिये पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों से दूसरे बैच में आवेदन पत्र मांगे गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूसरे बैच में शरणार्थियों की आवश्यकता पूरी करने के पश्चात आवंटन के लिये कुछ और प्लाट भी शेष रहेंगे ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये बहुत से शरणार्थी ऐसे हैं जो कालकाजी में भूमि खरीदने के इच्छुक हैं परन्तु प्रथम दो बैचों में वे आवेदन पत्र नहीं दे सके ;

(घ) क्या सरकार का विचार दूसरे बैच की आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात् इन शरणार्थियों से नये आवेदन पत्र प्राप्त करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो दूसरे बैच को भूमि का आवंटन कब किया जायेगा और नये आवेदन पत्र कब माँगे जायेंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) उपलब्ध प्लाटों की संख्या की तुलना में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक है। इस लिये अभी यह देखना है कि जो पहले आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं उनका निपटारा करने के पश्चात् क्या कुछ प्लाट बच जाते हैं।

(ग) सभी व्यक्ति जो योग्य पात्र हैं और जिन्हें प्लाटों की आवश्यकता है, उन्हें आवेदन पत्र देने का पूरा अवसर दिया गया है। तथापि, वास्तव में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो विभिन्न कारणों के फल स्वरूप ऐसा न कर पाये हों।

(घ) और (ङ) : इस समय नये आवेदन-पत्र मांगने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। दूसरे बैच के आवेदन पत्रों की पहले ही जांच पड़ताल की जा रही है और शीघ्र ही उनके सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायेगा।

दिल्ली में खाद्य समिति

9355. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने एक 'खाद्य समिति' स्थापित की है जिसमें केवल असैनिक कर्मचारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस समिति में किसी संसद सदस्य को सम्मिलित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और समिति के क्या कार्य हैं?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

वृहद् कलकत्ता में पटसन मिल

9356. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अप्रैल, 1968 को वृहद कलकत्ता में पटसन मिलों के कर्मचारियों ने हड़ताल की; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं तथा उन मांगों को कैसे पूरा करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) मजदूरों की मागें इस प्रकार हैं (1) मंजूरीदरों का पुनरीक्षण (2) बढ़े हुये मंहगाई भत्ते की अदायगी (3) उपदान तथा (4) रात्रि भत्ता। इन मांगों पर समझौता करने के लिये पश्चिमी बंगाल की सरकार ने सम्बन्धित-पक्षों की अलग अलग व संयुक्त बैठकें बुलाईं। इनमें से कुछ मांगों पर अक्टूबर, 1967 में हुई जूट सम्बन्धी औद्योगिक समिति की बैठक में भी विचार विमर्श किया गया। सम्बन्धित पक्षों की द्विपक्षीय बातचीत जारी है और पिछली द्विपक्षीय बैठक 11-4-1968 को हुई।

नई किस्मों के बीजों का वितरण

9357. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अगले वर्ष किसानों को चावल और मक्का के कुछ नई किस्मों के बीज देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संकर मक्के पर जिसे सरकार किसानों को देने का भी विचार कर रही है हरियाणा में बोये गये 'संकर' बाजरे की तरह की बीमारी लग रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन बीजों वाली फसलों को बीमारियों से बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) चावल की कुछ बहुत उन्नतशील सामग्री को जिनका अब समान्वित परीक्षणों में अध्ययन किया जा रहा है देश के विभिन्न चावल पैदा करने वाले क्षेत्रों में परीक्षण किया जा रहा है। यह बहुत सम्भव है कि कई किस्में इस सामग्री से जो आगामी वर्ष नियुक्ति के लिये उपयोग होगी कई किस्में प्राप्त होगी। यह केवल तभी किया जा सकता है जब कि चालू मौसम तथा 1968 के खरीफ के दौरान परीक्षणों से परिणाम प्राप्त हो जायेंगे ।

जहां तक मक्का का सम्बन्ध है आगामी वर्ष में किसी नई किस्म की निर्मुक्ति का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उन्नतशील चावल की सामग्री में जो उपरोक्त (क) में उल्लिखित है, डवार्फ स्टांड हेबिट, रोग निरोध, शीघ्र परिपक्व होना और अच्छा अनाज किस्म निहित है ।

(ग) संकर मकई पर 'संकर' बाजरे की तरह अर्गट रोग का प्रभाव नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Employees in Communications Department

9358. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of employees in the Department of Communications at present;

(b) the number of permanent, temporary and Gazetted employees among them;

(c) the number of appointments made since November, 1967 upto date and the number of Gazetted Officers among them; and

(d) the number of such employees in this Department who are not Indian Nationals ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (d) The required information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी का उत्पादन

9359. श्री गणेश : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी के मूल्यों के सम्बन्ध में 13 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2304 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1958 से 1968 तक की अवधि में उत्पादन लागत में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) श्रमिकों, मशीनरी, भण्डार, प्रशासन तथा लट्ठों की ढुलाई आदि मदों में वर्ष 1958 से 1968 तक प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) वर्ष 1958 से 1968 तक की अवधि में रायल्टी की राशि निकाल कर उत्पादन लागत कितनी है तथा लाभ कितना है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) अन्दमान प्रशासन से जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्दमान वन विभाग

9360. श्री गणेश : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान विभाग ने 1955 से 1960 तक की अवधि में विभागीय तौर पर लकड़ी काटने के लिये एक टन लठ्ठों पर कितनी रायल्टी ली थी;

(ख) उसी अवधि में ठेकेदारों से कितनी रायल्टी ली गई;

(ग) क्या विभागीय तौर पर लकड़ी काटने के लिये स्वामित्व की दर 1961 से बढ़ा दी गई है यदि हां, तो कितनी; और

(घ) रायल्टी की दर बढ़ायी जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : जानकारी अन्डमान प्रशासन से इकठ्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अनाज का आयात

9361. श्री स० चं० सामन्त : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि 15 अप्रैल, 1968 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुये उनके वक्तव्य के अनुसार समाहार के लक्ष्य पूरे होने की सम्भावना नहीं है, 1968-69 के लिये विदेशों से अनाज के आयात का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(ग) गत पांच वर्षों की तुलना में वर्ष 1968-69 में अनाज का आयात कितने प्रतिशत कम किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : वर्ष 1968-69 के लिये खाद्यान्नों के आयात का लक्ष्य 65 लाख मीटरी टन है । जब यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस समय इस बात का कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित 1967-68 खरीफ मौसम के 70 लाख मीटरी टन के लक्ष्य तक शायद न पहुंच सके, पहले से ही ध्यान में रखा गया था ।

(ख) विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय मुद्रा किसी में भी इस व्यय को बताना संभव नहीं हैं क्योंकि जहाँ जहाँ से हमें खाद्यान्न प्राप्त होना है और साथ ही उसका जो मूल्य तथा भाड़ा हमें देना है, वह अभी ज्ञात नहीं है ।

(ग) 1963-64 से 1967-68 के पांच वर्षों में खाद्यान्नों का औसत आयात 76 लाख मीटरी टन था । 1968-69 के लिये 65 लाख मीटरी टन का लक्ष्य गत 5 वर्षों की औसत से अपेक्षाकृत लगभग 15 प्रतिशत कम है ।

Learning of Hindi by Employees of P&T Department at Jaipur

9362. Shri N. S. Sharma : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Post and Telegraphs Deparment do not take part in the Hindi Training Scheme at Jaipur;

(b) if so, whether it is also a fact that no reply is given by the Posts and Telegraphs Department to the letters addressed to it by the Hindi teachers in this connection; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken in the matter ?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b) No. Rajasthan is predominently a Hindi-speaking State. More than 96% employees are conversant with Hindi. Full interest is being taken by P&T employees at Jaipur in Hindi training scheme. Out of 1150 officials in Jaipur, only 50 persons are required to be trained in Hindi. They are being gradually trained. During the last six months only 2 references were received from the Hindi Teacher which related to non-attendance of certain officials. No reply was required, but the officials concerned were duly instructed to attend classes regularly.

(c) Does not arise.

To be Answered on Thursday, The 2nd May 1968.

Election Petitions 9363. Shri Lakhan Lal Kapoor : Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) the number of Election Petitions field in the U. P. High Court after the last General Elections;

(b) the number of Election Petitions filed with U. P. Courts in respect of last General Elections as have been disposed of within a period of six months and the number of those disposed of within a year;

(c) whether it is a fact that in respect of most of the Election Petitions, though more than a year has elapsed, issues have not been framed and evidences have not been taken so far; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to expedite the disposal of the petitions ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem): (a) The number of election petitions field in the High Court of Uttar Pradesh, after the last general Elections of 1967, is 53. Out of these 53 election petitions, 8 relate to the House of the People and 45 relate to the State Legislative Assembly.

(b) Eight election Petitions have so far been disposed of. None of these 8 petitions was, however, disposed of during the first six months and all of them have been disposed of thereafter within a period of one year.

(c) The Election Commission has no information.

(d) The Chief Election Commissioner has requested the Chief Justice of India on several occasions in this behalf and the Chief Justice requested the various State Chief Justices to take steps for expeditious disposal of the petitions.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये कोएविशयल संचार सुविधाएं

9364. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कोएविशयल सचार सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी मागें पूरी की जा चुकी हैं ;

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अब तक कितने टेलीप्रिंटर मांगे हैं; और

(घ) क्या यह मांग पूर्णतया पूरी कर दी गई हैं तथा यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दूरमुद्रक मशीनों सहित 31 दूरस्थ तार परिपथ ।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन द्वारा 31 दूरस्थ तार परिपथों की मांग की गई थी । इनमें से दूरमुद्रक मशीनों सहित 27 परिपथ अलाट किये जा चुके हैं । नई दिल्ली-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगलौर तथा हैदराबाद-मद्रास के तीन परिपथ जल्दी ही अलाट किये जाने वाले हैं । बाकी बचे नई दिल्ली-आगरा नामक एक परिपथ की संभाव्यता की जाँच की जा रही है ।

Number of Employees in Law Ministry

*9365. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the total number of employees in his Ministry;

(b) the number of Gazetted Officers and non-Gazetted employees among them;

(c) the number of employees declared permanent during the last two years;

(d) whether it is a fact that some of the employees have not been confirmed even after 8 years of service; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) 671

(b) Gazetted : 125 Non-gazetted 546

(c) 59

(d) Yes, Sir.

(e) Non-availability of permanent vacancies owing to the posts themselves being temporary or the substantive holders of lower posts not being permanently absorbed in the higher posts in which they are officiating or, the failure of certain persons to qualify in the prescribed obligatory tests, e.g. UPSC typewriting test in the case of Lower Division Clerks, etc. Besides, in certain cases, the concerned temporary employees have to wait for their turn for confirmation, as the recruitment rules for those posts prescribe quotas fo various modes of recruitment like promotion, transfer, direct recruitment etc.

Employment in Madhya Pradesh

9366. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state ;

(a) the number of persons who were provided employment through the Employment Exchanges in Madhya Pradesh each month during the last two years and the number out of those who possessed technical qualifications; and

(b) the number of persons with technical qualifications employed in Private and Public sectors, separately ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The information is given in the attached statement. [**Placed in Library. See No. LT-1141/68**]

(b) Not available.

D.M.S. Tankers

9367. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of tankers purchased by the Delhi Milk Scheme during the years 1964-65, 1965-66 and 1966-67 and the cost of each;

(b) the number of tankers proposed to be purchased in 1968-69 and the average cost thereof; and

(c) the type and capacity thereof ;

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): (a) Delhi Milk Scheme has purchased 10 road milk tankers during 1966-67 at an approximate cost of Rs. 96,000.00 each. No tanker has, however, been purchased by D.M.S. during 1964-65 and 1965-66

(b) Nil.

(c) Does not arise in view of the reply to part (b) above.

बन्द डिब्बों में आने वाले खाद्य पदार्थों का स्तर निश्चित न किया जाना

9368. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'अमुल' और 'अजन्ता' के बन्द डिब्बों में घी, पनीर और गाढ़ी क्रीम, जिनमें से बदबू आती है और जिनका स्वाद खराब है, का स्तर निश्चित न किये जाने के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बन्द डिब्बों में आने वाले अत्यावश्यक खाद्य पदार्थों का अनिवार्य रूप से स्तर निश्चित करने का है ताकि उनकी ताजगी सुनिश्चित की जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Improved Quality of Paddy Seeds for Bihar

9369 **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the requirement of Bihar in respect of improved quality of paddy seeds for the current year; and

(b) if so, the quantity which Bihar can provide itself and the quantity which it needs from the Centre ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b) The Government of Bihar require 2,45,000 quintals of IR-8 paddy seeds for their coming Kharif sowings. They would be able to procure 2,15,000 quintals locally against their requirement. The balance of 30,000 quintals would be met from outside the State. The National Seeds Corporation is arranging to supply 5,000 quintals and 25,000 quintals are being supplied from Orissa.

उलागम पट्टी के सब-पोस्ट मास्टर द्वारा बचत खाते की राशि का गबन

9370. श्री किरूत्तिनन : क्या **संचार** मन्त्री 14 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 3956 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन व्यक्तियों ने राशि वापस लौटा दी है तथा किस किस तारीख को ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : कुल नौ जमा' कर्त्ताओं-सर्वश्री आई० एप्पन, ए० सेथुरमन, एन० कुमार नागप्पा चेटियार, के० ए० वेल्लायचमी एस० टी० शिवलिंगमाचारी, के० एम० अलागू, वी० वेल्लायचमी, श्रीमती मीनाची आची और श्री एम० जोसेफ लोरघु के साथ धोखा किया गया था। उनके बचत बैंक लेखों में से उलागम पट्टी के नायब पोस्टमास्टर द्वारा गबन की गई रकम 8 मार्च, 1968 को उनमें से प्रत्येक के लेखे की बकाया

रकम में फिर से जमा कर दी गई थी। ऐसे मामलों में जमाकर्त्ता जब-कभी भी चाहे रकम निकाल सकते हैं और उन्हें रकम वापिस किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में नलकूपों का लगाना

9371. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री प्र० न० सालंकी :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोयला पट्टी क्षेत्र में नलकूपों की व्यवस्था करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिये वहां सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस कार्य के लिये उड़ीसा राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) संघ सरकार के कृषि विभाग के अधीनस्थ समन्वेषी नलकूप संगठन नलकूप सिंचाई के विकास के लिये देश के विभिन्न भागों में भूमिगत जल क्षमता वाले क्षेत्रों के सीमा निर्धारण के लिये भूमिगत जल का समन्वेषण करता है। इस संगठन द्वारा उड़ीसा के कोयला पट्टी क्षेत्र में नलकूपों की व्यवस्था करने की सभाव्यता का पता लगाने के लिये अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया हैं। फिर भी उड़ीसा में भूमिगत जल के समन्वेषण के अन्तर्गत इस संगठन ने बालासोर, कटक, मयूरभंज, और पुरि के जिलों में जिनका क्षेत्र 1800 वर्गमील है 33 समन्वेषी छिद्रण किये हैं। इसमें से 20 छिद्रण सफल सिद्ध हुये और स्थूल रूप से 1300 वर्गमील का क्षेत्र नलकूपों के निर्माण के लिये भूमिगत जल से समृद्ध पाया गया।

(ग) समन्वेषी नलकूप संगठन के भावी कार्यक्रम में कटक और पुरी जिलों के समुद्रतटीय जलोढ़ डेल्टा के भागों के अतिरिक्त उड़ीसा के धनकानल जिले के तालचर-धनकानल कोयला पट्टी का समन्वेषण भी सम्मिलित है। कटक के अठगठ सैन्डस्टोन क्षेत्र में भी इसी प्रकार का समन्वेषण अवेक्षित है।

Commemorative Postal Stamps

9372. Shri Y.S. Kushwah : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the steps being taken to issue Commemorative postal stamps in honour of eminent personalities of historic importance belonging to Madhya Pradesh Viz., Rani Laxmibai of Jhansi, Tantia Tope, Maharaja Shinde, Rani Ahilya Bai Holker, Amarshaheed Chandra Shekhar Azad and Ram Prasad Bismil ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral) : A special Postage Stamp portraying Rani Laxmibai of Jhansi had already been issued on 15-8-1957 on the occasion of the 100th anniversary of the First Freedom Struggle. Proposals for issue of stamps on Tantia Tope, Rani Ahilya Bai Holker and Chandra Shekhar Azad were examined by the Philatelic Advisory Committee attached to P & T. Board but were not accepted on account of the limited capacity of the Nasik Printing Press. No proposal has however, been received in respect of Maharaja Shinde and Ram Prasad Bismil.

अकालग्रस्त क्षेत्रों में केन्द्रीय अध्ययन दल का जाना

9373. श्री श्रीधरन :

श्री क० लकप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सभी अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने तथा अकाल को दूर करने के मार्गोपाय सुझाने के लिये सरकार ने एक केन्द्रीय अध्ययन दल बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) चिरकाल से सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन है। मुख्य कठिनाई समुचित फंडों की उपलब्धि की जा रही है। अब यह निश्चय किया गया है कि मार्गदर्शी परियोजनाओं द्वारा इस कार्य को प्रारम्भ किया जाये, इन परियोजनाओं का क्षेत्र औसत जिले के क्षेत्र से अधिक न हो और इसके लिये चुना हुआ क्षेत्र सूखे से ग्रस्त क्षेत्र का 'शुष्कतम' भाग हो। इसके अन्तर्गत भूगर्भ जल, खनिज संशोधनों की जांच पड़ताल, लघु सिंचाई परियोजनायें, भूमि और जल संरक्षण कार्य, वन-रोपण और चरागाहों के विकास को भी आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इन मदों के सम्बन्ध में निश्चित परियोजनायें राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय दल के विशेषज्ञों के निर्देशन में बनायी जायेंगी, जो कि सम्बन्धित क्षेत्रों की यात्रा करेंगे और प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में आवश्यकताओं का आकसन करेंगे दल ने गुजरात और आन्ध्र प्रदेश के राज्यों की यात्रा पहले ही करली है और इसके सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। ये रिपोर्टें सम्बन्धित राज्यों को उनकी जानकारी के लिये और केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर परियोजनाओं को तैयार करने के लिये भेज दी गई हैं।

पटसन विकास, निदेशक, कलकत्ता का कार्यालय

9374. श्री स० चं० सामन्त : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन विकास के निदेशक के कार्यालय को निजाम पैलेस, लोअर सरकुलर रोड, कलकत्ता ले जाया गया है अथवा ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पटसन संग्रहालय के 'शो केसों' को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तथा उन को नया रूप देने पर अनुमानतः कितना धन खर्च होगा ;

(घ) क्या यह सच है कि वर्तमान पटसन विकास निदेशक-प्रतिनियुक्ति पर है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में इस पद को भरने के बारे में समाचार-पत्रों में इसका विज्ञापन दिया जायेगा।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ, कार्यालय का मुख्य भाग पहले ही दूसरे स्थान पर ले जाया जा चुका है और शेष भाग भी शीघ्र ही दूसरे स्थान पर ले जाया जायगा।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय, पटसन विकास का कार्यालय 4, के०एस० रोड, कलकत्ता पर अधि-

ग्रहीत भवन में स्थित था। भवन का एक भाग स्वामी को दिया जाना था, अतः एस्टेट मैनेजर, कलकत्ता ने विभाग पैलेस के सहन में नए केन्द्रीय सरकार भवन में वैकल्पिक स्थान नियत किया जहाँ पटसन विकास का क्षेत्रीय कार्यालय ले जाया गया।

ग) कार्यालय को दूसरे स्थान पर ले जाने में अनुमानित खर्च 5000 रु० हुआ। पटसन संग्रहालय को लगाने के प्रश्न को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। ये बैरकपुर में पटसन अनुसंधान संस्थान में भेजे जा सकते हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) इस पद पर नियमित नियुक्ति के प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से विचार किया जा रहा है।

सहकारी खेती समितियां

9375. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के अन्त में सक्रिय रूप से काम करने वाली सहकारी खेती समितियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी थी ;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में इन समितियों द्वारा कितनी कितनी भूमि में खेती की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि गाडगिल समिति द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये 10,000 सहकारी खेती समितियां बनाने का लक्ष्य रखा गया था; और क्या नई योजना में इस लक्ष्य का पुनरीक्षण करने की संभावना है ;

(घ) क्या भूमिहीन मजदूरों, बटाई पर खेती करने वालों, पट्टे पर लेने वालों तथा छोटे किसानों के लिये नई सहकारी समितियाँ बनाने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) : गाडगिल समिति ने कहा था कि उनकी रिपोर्ट में वर्णित ढंग से समर्थन तथा मार्गदर्शन सुलभ करने पर चौथी योजना में लगभग 10,000 नई सहकारी खेती समितियां अस्तित्व में आनी चाहिएं। नई योजना में इस संख्या में वृद्धि करने की सम्भावना नहीं है।

(घ) और (ङ) : सहकारी खेती समितियां स्थापित करने में छोटी तथा घाटे की जोत वालों को सहायता देने पर बल दिया जा रहा है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त क्षेत्रों में सहकारी खेती समितियां नियुक्त करें, जिनमें वे क्षेत्र शामिल हैं जहाँ मुजारों, भूमिहीन काश्तकारों तथा छोटे किसानों को इकठ्ठा किया जा रहा है और पहली बार नए समुदायों में गठित किया जा रहा हैं। राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि सरकारी बेकार तथा फालतू भूमि सहकारी खेती समितियों को प्राथमिक आधार पर आवंटित की जानी चाहिये और जहाँ लम्बे-चौड़े खण्ड हैं वहाँ भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहकारी खेती समितियां स्थापित

करने से पूर्व भूमि को विभागीय तौर पर अथवा सरकारी अभिकरणों द्वारा कृषि योग्य बनाने के लिये उपाय किये जा सकते हैं ।

पश्चिमी चिरोमिरी कोयला खान में दुर्घटना

9376. **श्री देवेन सेन :** **श्री चन्द्रजीत यादव :**
श्री काशीनाथ पांडे : **श्री मधु लिमये :**
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिलासपुर में पश्चिम चिरीमिरी कोयला खान में हाल में एक भारी दुर्घटना हुई थी ।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुये ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में न्यायिक जाँच कराने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सरगूजा जिले की वेस्ट चिरीमिरी कालियरी में 11 अप्रैल, 1968 को एक घातक खान दुर्घटना हुई । यह दुर्घटना विस्तृत छत के गिरने से उत्पन्न वाताघात के कारण खान के उस क्षेत्र में हुई जहां खम्भों के विपाटन का काम पूरा हो चुका है ।

(ग) 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 16 व्यक्तियों को घातक चोटें आईं । इसके अतिरिक्त 27 व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं ।

(घ) यह मामला विचाराधीन है ।

युद्ध-पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास

9377. **श्री बलराज मधोक :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 में हुये भारत-पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास पर लगभग 19 करोड़ रुपये खर्च हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर राज्यवार कितना धन व्यय हुआ है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि जम्मू और काश्मीर राज्य को इसका अधिकांश भाग मिला है, तथापि छम्ब जौरियां क्षेत्र के सब से अधिक पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास अभी तक अधूरा पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ सप्ताह में प्रदर्शन किये गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इन शरणार्थियों की शिकायतों के दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : अगस्त-सितम्बर, 1965 में हुये भारत पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरूप बेघर हुये व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास पर 31-3-1968 तक जम्मू और काश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान की सरकारों द्वारा खर्च किये गये धन का ब्यौरा निम्न है :—

क्रम संख्या	राज्य	रुपये
1.	जम्मू और काश्मीर	10, 81,91,643
2.	पंजाब	4, 77,08,000
3.	राजस्थान	21,80,215
	जोड़	15, 80,79,858

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने जम्मू और काश्मीर सरकार को ट्रैक्टर, 'पावर टिल्लर' जीपें, तम्बू तथा रजाइयाँ इत्यादि दी थीं जिसका मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक है । एच्छित एजेंसियों तथा जनता, जैसे भारतीय रेडक्रास, नागरिकों की केन्द्रीय परिषद् तथा केन्द्रीय रेलवे नारी संगठन आदि से वस्तुओं आदि के रूप में दान प्राप्त किये गये थे ।

(ग) और (घ) : जी, नहीं । स्थिति के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1142/68**]

दिल्ली में मैक्सिकन गेहूं का भंडार

9379. श्री देवकी नन्दन पाटौदिया : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में दिल्ली में राशन कार्ड वालों को अनुमति दी है कि वे मैक्सिकन गेहूँ की जितनी मात्रा चाहें खरीद सकते हैं;

(ख) क्या इस कार्यवाही से सरकार मैक्सिकन गेहूं के बिना बिके भारी भण्डार को आसानी से बेच सकेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार वर्तमान स्टाक को किस प्रकार बेचने का है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी,हां ।

(ख) और (ग) यह निर्णय देशी मैक्सिकन गेहूं के लगभग 300 मीटरी टन की थोड़ी मात्रा से ही केवल सम्बन्धित था । गत वर्ष के फसल का वह गेहूं दिल्ली के राशन के दुकानदारों के पास कुछ समय से अब तक बिना बिके पड़ा है । आशा है कि हाल ही में 98 पैसे से 75 पैसे प्रति किलोग्राम इसका खुदरा मूल्य करने से यह सब बिक जाएगा ।

गन्ने की कीमत

9380. श्री चेंगलराया नायडू : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सहकारी चीनी कारखाने गन्ने के मूल्य 146 रु० प्रति टन उस समय दे रहे हैं जब ये कारखाने गन्ना खेत से लेते हैं परन्तु आन्ध्र प्रदेश सहकारी चीनी कारखाने गन्ने के मूल्य 110 रुपये प्रति टन उस समय दे रहे हैं जबकि गन्ना कारखाने पर दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र दोनों के गन्ने में मीठापन बराबर होता है; और

(ग) यदि हाँ, तो दोनों राज्यों में भुगतान में अन्तर को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। महाराष्ट्र में स्थित सहकारी चीनी मिलें सामान्यत: आन्ध्र प्रदेश की मिलों द्वारा दिये जा रहे गन्ने के मूल्य से अपेक्षाकृत अधिक मूल्य दे रही हैं।

(ख) जी नहीं। महाराष्ट्र में स्थित चीनी मिलों द्वारा प्राप्त गन्ने से चीनी की उपलब्धि आन्ध्र प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा प्राप्त गन्ने से अपेक्षाकृत बहुत अधिक है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Collieries in Madhya Pradesh

9381. Shri Y.S. Kushwah : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the labourers working in collieries in District Sarguja (M.P.), have submitted a list of their demands to the Central Government in which they have explained their difficulties;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the date on which these demands were received by his Ministry and the action taken by Government thereon ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Jaisukhlal Hathi) : (a) No collective representation has been received by Government.

Disputes have, however, been raised by the workmen of various collieries situated in Sarguja District from time to time and these have been properly dealt with.

(b) and (c) : Do not arise.

दूर-संचार उपकरणों का निर्यात

9383. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1968-69 में दूर संचार उपकरण सप्लाई करने के लिये विदेशों से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास दोनों को ही, 1968-69 के दौरान दूर-संचार उपकरणों की पूर्ति के लिये, विदेशों से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) : जिन देशों से अब तक क्रयादेश प्राप्त हुए हैं, तथा इन दोनों सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्यात के परिणाम-स्वरूप जो विदेशी-मुद्रा उपार्जित होने की सम्भावना है उसके विषय में ब्यौरेवार सूचना, सदन के पटल पर रखे जा रहे विवरण में दी जा रही है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1143/68]**

दिल्ली के इर्द-गिर्द दूध क्षेत्र

9384. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के इर्द-गिर्द एक दूध-क्षेत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर-प्रदेश में मेरठ का जिला, हरियाणा में करनाल तथा गुरगांव के जिले और राजस्थान में बीकानेर का जिला सम्पन्न पशु विकास, दूध उत्पादन की वृद्धि और दिल्ली दुग्ध योजना को दूध सप्लाई करने के लिए चुने गये हैं। इस कार्यक्रम में ये शामिल हैं : नियंत्रित प्रजनन, बेहतर पोषण, प्रभावशाली रोग नियंत्रण, ठीक प्रबन्ध तथा विपणन, चारा तथा चारा विकास के लिये साहाय्य कार्यक्रम और समन्वित तरीके से ग्रामीण डेरी विस्तार समस्त कार्यक्रम ,एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में समझा जायगा और सम्बन्धित राजकीय पशुपालन विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का चालू हो चुकी है, के लिए स्वीकृति जारी कर दी है। प्रारम्भिक कदम उठाये जा रहे हैं। इस प्रस्ताव की क्रियान्विति में कुछ समय लगेगा। उदाहरण के लिये एक स्टाक मैन सेन्टर शीघ्र ही खोला जा सकता है, किन्तु सेन्टर द्वारा लिए गये क्षेत्र में कृत्रिम वीर्यधान के आयोजन में कुछ समय लगेगा। ऐसा ही चारा विकास या दुग्ध सहकारी समितियों को आयोजित करने के सम्बन्ध में है।

देहाती क्षेत्रों में डाकघर

9385. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में देहाती क्षेत्रों में तथा नगरीय क्षेत्रों में राज्यवार कितने-कितने डाकघर खोले गये;

(ख) उन पर कितना धन खर्च हुआ ;

(ग) वर्ष 1967-68 में कितने डाकघरों में बचत बैंक की सुविधाओं की व्यवस्था की गई; और

(घ) देहाती क्षेत्रों में जहां डाक एक सप्ताह बाद तथा इससे भी अधिक समय बाद प्राप्त होती है, डाक बांटने में क्या प्रगति हुई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) प्रत्येक राज्य/संघीय क्षेत्र में 1967-68 के दौरान खोले गये डाकघरों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

राज्य का नाम	खोले गये डाकघरों की संख्या		
	शहरी	देहाती	कुल जोड़
1. आन्ध्र प्रदेश	35	147	182
2. असम	3	109	112

3.	मणीपुर	—	8	8
4.	त्रिपुरा	—	10	10
5.	नागालैंड	1	7	8
6.	ऊपूसी (नेफा)	—	5	5
7.	बिहार	12	261	273
8.	चण्डीगढ़	1	—	1
9.	हरियाणा	5	77	82
10.	हिमाचल प्रदेश	2	18	20
11.	पंजाब	6	54	60
12.	दिल्ली	3	5	8
13.	गुजरात	11	345	356
14.	गोआ	1	5	6
15.	महाराष्ट्र	12	71	83
16.	जम्मू तथा काश्मीर	—	5	5
17.	केरल	14	119	133
18.	मद्रास	16	224	240
19.	पाण्डीचेरी	—	2	2
20.	मध्य प्रदेश	21	52	73
21.	मैसूर	38	286	324
22.	उड़ीसा	15	144	159
23.	राजस्थान	15	173	188
24.	उत्तर प्रदेश	17	425	442
25.	पश्चिमी बंगाल	21	116	137
		249	2,668	2,917

(ख) 4,12,993.15 रुपये ।

(ग) 11,429 डाकघर ।

(घ) इस समय 53,162 गांवों में सप्ताह में एक बार डाक का वितरण होता है, जबकि 1 जनवरी, 1967 को ऐसे गांवों की संख्या 58,073 थी । इसी अवधि के दौरान ऐसे गांवों की संख्या 5,589 से कम हो कर 5,395 रह गई है जिनमें डाक का वितरण करने में एक सप्ताह से अधिक का समय लगता है ।

Agriculture Extension Course

9386. **Shri Onkar Singh :**
Shri N.S. Sharma :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Balraj Madhok :
Shri Jaganath Rao Joshi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to

Unstarred Question No. 7034 on the 11th April, 1968 and state :

(a) the total amount spent on the Agriculture Extension Course and the amount, out of it, provided by Government;

(b) whether the organisers of this Camp belong to AFPRO and whether this Institution is run by Christians; and

(c) the amount spent by A.F.P.R.O. on Agricultural production in India so far and the amount, out of it, provided by Government ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) Rs. 7,541/- was spent on this course. The entire expenditure was borne by AFPRO and no funds were provided by the Government of India.

(b) The training camp was organised by the Extension Education Institute, Nilokheri (Directorate of Extension) and the full expenditure was met by the Action for Food Production, which is a joint service organization in India for co-orditnation, support and technical guidance of food production projects of church related and voluntary agencies.

(c) The amount spent by AFPRO on Agricultural production in India so far is Rs. 5,95,613.90. Out of this, no amount has been provided by the Government of India

Licence for a Sugar Mill in Uttar Pradesh

9387. Shri A.S. Saigal : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a licence for setting up a sugar mill at Palia Kalan Khiri, Uttar Pradesh having a capacity of 1400 tonnes has been issued; and

(b) if so, the period for which the licence was issued and the progress made so far in setting up the sugar mill ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : (a) : Yes, Sir.

(b) : According to the conditions of the licence the factory was to be established by 31-10-1967. As there was delay in arranging land for the establishment of the factory, the time has been extended upto 31-10-1968. The State Government is now helping in acquiring the land. The growers share capital is being collected in the form of an agreed deduction from the price of cane due to Palia-kalan growers from the Hindustan Sugar Mills Ltd., Golagokarannath. The application of the licencee for issue of capital is under consideration of the Controller of Capital Issues. A good part of plant and machinery is already available with the Hindustan Sugar Mills which is to be transferred to Palia-kalan after the land has been acquired.

टैक्समेको, कलकत्ता में हड़ताल

9388. श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री गणेश घोष :**

श्री भगवानदास : **श्री देवेन सेन :**

श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के निकट टैक्समेको कारखाने में 16 अप्रैल, 1968 से हड़ताल होने वाली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारखाना-मालिकों ने लम्बी जबरी छुट्टी तथा छटनी के आदेश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस हड़ताल को न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां। बल्पोरिया और अगरप्रा, 24 परगना में स्थित-टैक्समेको के दो कारखानों के श्रमिकों ने 15-4-68 से हड़ताल का।

(ख) जी हां।

(ग) विवाद का निबटारा कराने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम निदेशालय ने अनेक त्रिपक्षीय बैठकें बुलाईं। आपसी समझौते के आधार पर निदेशालय द्वारा दोनों कारखानों में काम पुनः शुरू कराने के लिये कोशिश की जा रही है।

दूध से बनने वाले पदार्थों को बनाने पर प्रतिबन्ध

9389. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री महन्त दिग्वजय नाथ :
श्री शशि भूषण बाजपेयी :
श्री टी० पी० शाह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में दूध से "खोया" तथा अन्य पदार्थ बनाने पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) इससे दिल्ली में दूध का समाहार बनाये रखने में कितनी सहायता मिलेगी;

(घ) क्या यह सच है कि हलवाइयों ने इस प्रतिबन्ध के विरोध में सरकार को अभ्यावेदन पेश किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) बच्चों, रोगियों, पोषक माताओं तथा अन्य की खुराक में तरल रूप में दूध एक आवश्यक वस्तु है। कम आय वाले लोग थोड़ी मात्रा में दूध खरीद पाते हैं। वे महंगे दूध के बने पदार्थ नहीं खरीद सकते। दिल्ली में काफी मात्रा में तरल रूप में दूध उपलब्ध करने के लिए प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।

(ग) यह ठीक अनुमान लगाना कठिन है कि इस प्रतिबन्ध से दिल्ली में दूध की उपलब्धि में कितनी सहायता मिलेगी। किन्तु यदि कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा तो खोया तथा अन्य दूध से बने पदार्थों का निर्माण जारी रहेगा और बाजार में तरल दूध की उपलब्धि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। परिणामस्वरूप उपलब्ध दूध अधिक महंगा हो सकता है।

(घ) जी हां।

(ङ) निम्नलिखित एसोसिएशनों से प्रस्तावित प्रतिबन्ध के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं :--

(1) हलवाई बेकर एण्ड रैस्टोरेन्ट्स एसोसिएशन लिमि० दिल्ली।

(2) दी आल इण्डिया होटल्ज़---हलवाई फैडरेशन, दिल्ली ।

(3) मावा व्यापार संघ, दिल्ली (रजिस्टर्ड)

(4) खोया मैनूफैक्चर्स एण्ड सैल्स एसोसिएशन ।

दिल्ली के नागरिकों को तरल दूध सप्लाई करने की दृष्टि से सरकार ने लोकहित में प्रतिबन्ध लगाना अत्यावश्यक समझा है । इसी प्रकार प्रतिबन्ध हरियाणा में जहाँ से दिल्ली के लिए दूध उपलब्ध किया जाता है लागू है ।

खाद्यान्नों की वसूली

9390. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत अच्छी फसल होने के बावजूद मार्च के अन्त तक खरीफ के चावल तथा ज्वार की उतनी वसूली नहीं की जा सकी है, जितनी वर्ष 1965-66 में की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि मन्त्री तथा भारतीय खाद्य निगम के प्रधान के बीच मतभेद होने के कारण और अधिक वसूली की गुंजाइश और भी कम हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो अधिक वसूली करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1967-68 के दौरान मार्च, 1968 तक अथवा लगभग इसके अन्त तक चावल और ज्वार दोनों की कुल अधिप्राप्त की गई मात्रा, 1965-66 की उसी अवधि की अधिप्राप्त मात्रा से, अधिक थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्वाचन नियम

9391. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विद्यमान निर्वाचन नियमों में बहुत दोष बताये हैं ;

(ख) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये सुझावों पर सरकार ने विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विद्यमान निर्वाचन नियमों में कुछ, न कि बहुत सी त्रुटियां इंगित की है ।

(ख) जी हां। उनमें से कुछ पर पहले ही विचार किया जा चुका है और नियमों को संशोधित करने के लिए कार्यवाई की जा चुकी है; अन्य नियमों पर तब विचार किया जायेगा जबकि निर्वाचन आयोग से कुछ और समेकित प्रस्थापनाएं प्राप्त हो जायेंगी।

(ग) जी हां। निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और तदधीन बनाये गये नियमों में परिवर्तन और सुधार करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। सभी सम्पृक्तों की सुविधा के लिए, आयोग, इन दो अधिनियमों को संसद् के एक अधिनियम में समेकित करने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है।

भविष्य निधि के धन के विनियोजन का तरीका

9392. श्री दामानी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकारी उपक्रमों ने भविष्य निधि के धन के विनियोजन के तरीके में कोई उदारता लाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. ने 19 अप्रैल को श्रम मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में यह सुझाव दिया कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत छूट दिये गये केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को अपनी निधि का कम से कम 25 प्रतिशत स्टेट बैंक की मियादी जमा, राज्य सरकार के ऋणों और यूनिट-ट्रस्ट सर्टिफिकेटों में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राजनीतिक दलों की प्रतीकों का आवंटन

9393. श्री दामानी : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतीकों के आवंटन के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की कोई बैठक बुलाई जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो विचार विमर्श के लिए किन-किन राजनैतिक दलों को आमंत्रित किया जा रहा है; और

(ग) क्या वर्तमान प्रतीकों में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) जिन दलों को विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया है उनके नाम इस प्रयोजन के लिए तैयार किये गये विवरण में दिये गये हैं जो सदन के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1144/68]**

(ग) यह प्रश्न कि वर्तमान प्रतीकों में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा, केवल तभी विनिश्चित किया जायेगा जबकि दलों आदि से विचार विमर्श समाप्त हो जाय ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक शांति

9394. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक शान्ति के, विशेषतः कार्मिक संघों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, जिसके कारण सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में बार-बार काम कम होता रहता है, प्रश्न पर विचार करने के लिए उन्होंने 19 अप्रैल, 1968 को नई दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रधानों की एक बैठक बुलाई थी; और

(ख) इस बैठक में किन-किन प्रस्तावों पर विचार किया गया था, और उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जी हां । इस बैठक में मजदूर यूनियनों की पारस्परिक और आंतरिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया । परन्तु कोई निष्कर्ष नहीं निकला ।

अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

आसाम के मंगलदाई सब डिवीजन में दुर्लभता की कथित स्थिति

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) मैं आसाम के मंगलदोई सब-डिवीजन में दुर्लभता की स्थिति, जिसका इस क्षेत्र में लगभग दस लाख लोगों पर असर पड़ा है और वहाँ भूख से पांच व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई है, के समाचार की ओर खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान दिलाता हू । और उन्हें वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : अप्रैल, 1968 के शुरू में असम सरकार ने यह सूचित किया था कि राज्य में चावल के मूल्यों में सख्ती आ गई थी और इसका प्रभाव मंगलदोई सब-डिवीजन जो कि सामान्यत: एक अधिशेष क्षेत्र है, में अत्यधिक महसूस किया गया था । राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया था कि उन्हें अकाल की स्थिति के बारे में जिला अधिकारियो से कोई भी सरकारी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी ।

जब कभी राज्य के अन्दर किसी भी क्षेत्र में संकट की स्थिति उत्पन होती है तो ऐसे समय में यह राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वह स्थिति को सम्भालने के लिये उपयुक्त पग उठाये । जब कमी की स्थिति इतनी अत्यधिक होती है कि कमी से राहत दिलाने पर चौथे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से व्यय के बढ़ जाने की संभावना हो तब केन्द्र से वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात उठेगी । राज्य सरकार मे कमी की स्थिति तथा आवश्यक सहायता कार्यो को करने हेतु जरूरी व्यय सम्बन्धी ब्यौरा विषयक रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इस सम्बन्ध में विचार किया जाएगा । राज्य सरकार से अभी तक ऐसी कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । ऐसी

रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्र की ओर से जो आवश्यक समझा जायेगा, उस पर आगे की कार्यवाही के लिए विचार किया जाएगा।

संकट-ग्रस्त क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने हेतु पर्याप्त अन्न प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने अपने अधिप्राप्ति-एजेंन्टों को यह अनुमति प्रदान की है कि वे केवल धान ही अधिप्राप्त न करें वरन् चावल भी अधिप्राप्त करें। ऐसा करके उन्होंने अपने अधिप्राप्ति अभियान को तेज करने के लिये पग उठाये हैं। राज्य सरकार ने अधिशेष क्षेत्रों में जमा किये गये स्टाक को बाहर निकलवाने के लिए जमाखोरी को समाप्त करने का अभियान भी शुरू करने का निर्णय किया है। भारत सरकार ने भी असम के लिए गेहूँ के आवंटन को अप्रैल के 12,000 मीटरी टन से बढ़ाकर मई, 1968 में 20,000 मीटरी टन कर दिया है। इसमें से 1000 मीटरी टन असम डिपो से दिया गया है और सम्बन्धित अधिकारियों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे शेष आवंटित मात्रा को यथा सम्भव शीघ्र भेजें। आशा है कि इस अतिरिक्त आवंटन से असम सरकार स्थिति को सम्भालने में समर्थ होगी।

पिछले सन्दर्भ के उत्तर में राज्य सरकार ने 5 अप्रैल, 1968 को यह सूचित किया था कि मंगलदोई सब-डिवीजन में, जैसाकि कहा गया है, भुखमरी से कोई भी मृत्यु नहीं हुई थी। तथापि, उस क्षेत्र में भुखमरी से हुई पांच मौतों की बात जो हाल ही में अखबार में छपी है, उसके आधार पर राज्य सरकार से एक विशिष्ट रिपोर्ट पुनः मांगी गई है। राज्य सरकार के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री रा० बरुआ : ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में भी मंत्री महोदय ने हमें वह जानकारी दी है जो आसाम सरकार से केन्द्रीय सरकार को 5 अप्रैल को प्राप्त हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अकाल मंगलोई सब-डिवीजन के अन्य ग्वालपाड़ा और गारो पहाड़ी के क्षेत्रों में भी फैल गया है? क्या केन्द्रीय सरकार अपने यहां के किसी राज्य मन्त्री को वहां स्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजेगी? क्या यह सच है कि आसाम के लिए निर्धारित गेहूं की सप्लाई का कोटा घटाया जा रहा है?

श्री जगजीवन राम : मैं किसी अधिकारी को वहां भेजने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि आसाम राज्य में उत्तरदायी सरकार है। यद्यपि उस क्षेत्र में धान की उपज इस वर्ष अधिक हुई है परन्तु लोगों के मन में यह धारणा बन गई है कि बड़े जमीदारों ने बड़े पैमाने पर जमाखोरी की है इसके लिये उचित कार्यवाही की जा रही है। जहां तक गेहूं की सप्लाई का सम्बन्ध है, पिछले चार महीनों में 13000 टन की औसत सप्लाई रही है। मई में कोटा बढ़ाया गया था। यदि आसाम सरकार और वहां के लोग चाहें तो वहां मक्का अधिक मात्रा में भेजी जा सकती है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालौर) : यह बात तो ठीक है कि वहां जिम्मेदार सरकार है परन्तु वहाँ की सरकार गैर आसामियों के आन्दोलन पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ और साम्प्रदायिक झगड़ों के मामले में सर्वथा विफल रही है। आसाम राज्य में, जो एक सीमावर्ती राज्य है अकाल और अनाज के अभाव की स्थिति से वहाँ के लोगों के मन में और अधिक क्षोभ उत्पन्न होता है। यदि ऐसी स्थिति वहाँ अधिक दिन चली तो वह राज्य के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकती है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि वहां पर व्याप्त अकाल और अभाव की स्थिति को

समाप्त किया जाये और वहां पर शान्तिमय वातावरण बनाया जाये। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस बात की जांच कराये कि आसाम में अकाल या अभाव की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, जबकि वह बचत वाला खाद्य क्षेत्र है।

श्री जगजीवन राम : हमें यह सूचना कल मिली थी और आसाम से टेलीफोन पर जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन है। हमने आसाम को तत्सम्बन्धी पूरी जानकारी भेजने के लिए लिखा है। जैसे ही वहां से जानकारी प्राप्त होगी तैसे ही राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार उचित और आवश्यक कार्यवाही करेंगी।

Shri O.P. Tyagi (Moradabad) : There is dreadful situation in the hill areas of Assam. Some rebels and Pakistani agents are trying to create another Nagaland or Mizoland there. In view of such a dreadful situation I want to draw the attention of Government to the areas like Goalpara, the most affected area. May I know whether Government will open relief centres in Assam on the pattern followed in Orissa ?

Shri Jagjiwan Ram : After the report is received, it will be decided as what kind of relief measures can be taken there and every possible action will be taken thereafter.

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : मंगलदाई सब-डिवीजन में अकाल की स्थिति विद्यमान है। वहां लोग भूखे मर रहे हैं। आसाम की वर्तमान सरकार पर यह विश्वास करना गलत है कि वह स्थिति को सुधार लेगी। इस संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार युद्ध स्तर पर सहायतार्थ क्या कार्यवाही करने जा रही है और क्या सरकार वहां अन्तरिम उपायों के रूप में निःशुल्क भोजनालय खुलवायेगी ?

श्री जगजीवन राम : उत्पादन आंकड़ों के अनुसार तो वह जिला अन्न-बहुल क्षेत्र है।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : यह सूखे का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह लोगों को रोजगार देने का प्रश्न है :

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप चाहें तो अपनी बात श्री हेम बरुआ के माध्यम से कहलवा सकते हैं।

श्री जगजीवन राम : मैंने राज्य सरकार के कहने पर मई में अनाज का कोटा बढ़ाया था। यदि वहां दशा बहुत खराब है तो मैं वहां सस्ता अनाज भेजने को तैयार हूँ। हम मक्का मुफ्त देने को तैयार हैं। राज्य सरकार से इस बारे में पूछा गया है। मैं हर सम्भव कार्यवाही करने को तैयार हूं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मध्य प्रदेश अनाज के वितरण का नियंत्रण संशोधन आदेश

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश अनाज के वितरण का नियंत्रण संशोधन आदेश, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 19 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 753 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1129/68**]

बैंकिंग उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति के प्रथम अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (दा० रा० चह्वाण) : मैं बैंकिंग उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति के नई दिल्ली में 23 मार्च, 1968 को हुए प्रथम अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1130/68]**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1121 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 23 मार्च 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1131/68]**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि 30 अप्रैल, 1968 को हुई अपनी बैठक में राज्य-सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें लोक-सभा से सिफारिश की गई कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति से श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण हुई रिक्ति के लिये उक्त संयुक्त समिति के लिए लोक-सभा एक सदस्य नियुक्त करे और उक्त संयुक्त समिति के लिये लोक-सभा के इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये।

(दो) कि 29 अप्रैल, 1968 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा बिहार तथा उत्तर-प्रदेश (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, 1967 से, लोक-सभा द्वारा 13 फरवरी, 1968 को पास किये गये रूप में, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

सदस्य का अवरुद्ध किया जाना और हटाया जाना
(श्री बृज भूषण लाल)
RESTRAINT AND REMOVAL OF MEMBER
(Shri Brij Bhushan Lal)

अध्यक्ष : मैं सभा को यह सूचना देता हूं कि मुझे कच्छ के पुलिस के जिला अधीक्षक से दिनांक 30 अप्रैल, 1968 का निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है :

"कच्छ के धोबाना गाँव के निकट पुलिस अधिकारियों के वैध निदेशों का पालन न करने के कारण लोक-सभा के सदस्य श्री ब्रज भूषण लाल को बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत 30 अप्रैल, 1968 को 10-45 बजे अवरुद्ध किया गया तथा उसी दिन उन्हें कच्छ जिले के खावड़ा गांव में भेजा गया तथा बाद में उन्हें जाने दिया गया।"

याचिका का पेश किया जाना
PRESENTATION OF PETITION

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक, 1967 के बारे में श्री ए० सुन्दर राव तथा अन्य लोगों से प्राप्त एक याचिका पेश करता हूं। आपकी अनुमति से मैं यह उल्लेख भी करना चाहता हूं कि इस याचिका पर 7,26,831 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं।

लोक भविष्य निधि विधेयक
PUBLIC PROVIDENT FUND BILL

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जनसाधारण के लिये भविष्य निधि की संस्थापना के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[उपाध्य महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री मोरारजी देसाई : अपने बजट भाषण में 29 फरवरी 1968 को मैंने यह उल्लेख किया था कि जो लोग अपना काम-धंधा करते हैं, उनको भी भविष्य निधि के माध्यम से बचत करने का अवसर मिलना चाहिये। लोक भविष्य निधि विधेयक 18 अप्रैल, 1968 को पुरःस्थापित किया गया था। भविष्य निधि दीर्घकालीन बचत का ऐसा तरीका है जिसके द्वारा धन जमा करने वाले लोगों को धन जमा करने की सुविधा मिल जाती है। हमारा देश के आर्थिक विकास के लिए बचत को प्रोत्साहन देना अत्यधिक आवश्यक है और विशेषत: ऐसे समय में जबकि देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई हुई है।

प्रस्तावित लोक भविष्य निधि में कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई नौकरी करता हो अथवा नहीं, धन जमा कर सकेगा। यह लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 100 रुपये और अधिक से अधिक 15000 रुपये प्रति वर्ष जमा कर सकता है। कोई भी जमाकर्त्ता वर्ष में किसी भी समय पर और जितनी किस्तों में वह चाहे, उतनी ही किस्तों में अपना रुपया जमा कर सकता है निधि से रुपये निकालने की व्यवस्था भी विधेयक में की गई है। इसके लिये कुछ शर्तें निश्चित की गई हैं जिनके पूर्ण होने पर जमाकर्त्ता को निधि से रुपये निकालने का हक होगा। इन शर्तों का विस्तृत उल्लेख योजना में किया जायेगा। ऐसी व्यवस्था की गई है कि इस योजना के अधीन सरकार के पास पांच पूरे वित्तीय वर्षों तक रखने के पश्चात जमाकर्त्ता जमा रकम का 50 प्रतिशत निकाल सकता है। इस योजना के अधीन जमाकर्त्ता को जमा राशि में से ऋण भी ले सकता है। इस राशि पर दिये जाने वाले ब्याज की अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर की जायेगी और ब्याज की दर लगभग उतनी ही होगी जो डाकखाने की 15 वर्षीय सावधिक जमा योजना पर दिये जाने वाले ब्याज की दर के समान होगी। यह योजना भारत सरकार द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसके सहायक बैंकों के माध्यम से परिचालित की जायेगी। इस योजना के अधीन ये बैंक लेन-देन करेंगे तथा विशेष पास बुकें जारी करेंगे जिनमें जमा राशि निकाली गई राशि और वार्षिक ब्याज दर्ज किया जायेगा। प्रस्तावित लोक भविष्य निधि में

कई आकर्षक बातें होंगी, जैसे निधि में जमा राशि कर-युक्त होगी। इस राशि पर न्यायालय द्वारा दिया गया कुर्की का आदेश लागू नहीं होगा। जमाकर्त्ता इस राशि के लिये अपने किसी आदमी को नामांकित कर सकेगा जिसे जमाकर्त्ता की मृत्यु के बाद उसकी भविष्य निधि में जमा राशि दी जायेगी।

इस योजना की विस्तृत रूप रेखा उचित समय पर सभा में रखी जायेगी और उस पर चर्चा की जायेगी मैं प्रयत्न करूंगा कि सब जमा करने वालों को सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हों। यह योजना इस वर्ष की 1 जुलाई से लागू हो जायेगी। चालू वर्ष में इस योजना के अधीन अनुमानतः 10 करोड़ रुपया जमा हो जायेगा। मुझे आशा है कि कुछ समय बाद भविष्य निधि अपने रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिये सामाजिक सुरक्षा का काम करेगी और इससे दीर्घकालीन बचत के जरिये पर्याप्त धन भी एकत्र हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिये हमारे पास दो घन्टे का समय है। अतः मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक सदस्य अपने भाषण के लिये पांच या सात मिनट से अधिक न ले।

श्री सी० मुत्तुस्वामी (करूर) : मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि बिना योजना के तैयार किये ही विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये क्यों शीघ्रता कर रहे हैं। विधेयक में योजना का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है। मेरा यह भी निवेदन है। प्रस्तावित योजना के ब्यौरों का इस विधेयक में शामिल न करने के बारे में दी गई सफाई अप्रत्यापक है। यह योजना महत्वपूर्ण है, न कि विधेयक। इसलिये सरकार को विधेयक के साथ योजना भी पेश करनी चाहिये।

श्री तु० मू० सेट (कच्छ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। इस विधेयक का उद्देश्य डाक्टरों, वकीलों आदि जैसे अपने काम में लगे लोगों के लिये बचत के एक साधन की व्यवस्था करनी है। लेकिन एक और वर्ग अर्थात बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास आदि जैसे बड़े शहरों में दुकानों में काम करने वाले सहायकों को भी, जो निम्न मध्य वर्ग में आते हैं, इस योजना की आवश्यकता है क्योंकि इन लोगों को बचत के एक साधन की जरूरत है, मैं समझता हूं उन लोगों के लिये यह योजना एक वरदान सिद्ध होगी, बल्कि मैं तो यह महसूस करता हूँ कि इस वर्ष के लिये यह योजना अनिवार्य कर देनी चाहिए, इन लोगों के नियोजकों से भी कुछ अंशदान दिलाया जाना चाहिए। मैं इस योजना का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे सामाजिक सुरक्षा तो होगी ही इसके अलावा हमारे कोष में भी धन आयेगा।

इस योजना की क्रियान्विति के लिये स्टेट बैंक के अलावा कुछ अन्य अभिकरणों की भी व्यवस्था करनी होगी क्योंकि मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या बहुत अधिक है और स्टेट बैंक की केवल 2200 शाखाएं हैं। इसलिये इस काम के लिये डाकखानों अथवा कुछ अन्य बैंकों का भी उपयोग किया जाना चाहिए।

भविष्य निधि से धन निकालने तथा ऋण लेने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। इसलिये योजना बनाते समय इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाय कि इस योजना के अन्तर्गत धन जमा करने वाले व्यक्ति इस निधि में से आसानी से धन निकाल सकें और उन्हें ऋण आसानी से मिल सके।

दूसरी बात मैं ब्याज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आज बैंक दीर्घकालीन जमा रकमों पर 7 प्रतिशत ब्याज देते हैं । इस योजना का ब्याज कुछ और अधिक होना चाहिए क्योंकि इस योजना के अधीन 15 वर्ष तक जमा कर्ता कोई राशि नहीं निकाल सकता ।

Shri O.P. Tyagi (Moradabad) : I Congratulate the Deputy Prime Minister and the Minister of Finance for bringing forward this Bill which provides a channel for savings for self employed people and those engaged in independent trades and professions. But I donot know whether the object of the Bill would be achieved. This provident fund is not likely to attract the people because no contribution will be made by the Government as is done in the case of other provident funds. Secondly the value of the rupee is also going down. Therefore, not many people will come forward to deposit money in this fund. If the Government want to see the scheme successful it is necessary that either the Government contribute its share or the limit of relief for the purpose of income tax assessment is extended from 50 per cent to 70 per cent. These are the two ways in which this scheme can be made attractive. I hope the hon. Minister will pay due attention to these suggestions.

श्री दी० चं० शर्मा : (गुरदासपुर) : वित्त मंत्री ने देश की बचत बढ़ाने के उद्देश्य से जो यह योजना निकाली है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं । विधेयक का स्वागत करते हुए मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह योजना किस प्रकार चलगी और कैसे फलदायक होगी क्योंकि उसका ब्यौरा कोई नहीं दिया गया है । वित्त मंत्री ने आशा की है कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना से 10 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । यह 10 करोड़ रुपया कैसे लिया जायेगा ? इस काम के लिये वह किन-किन अभिकरणों को लगा रहे हैं ? नौकरशाही तो इस योजना को कार्य रूप देगी नहीं क्योंकि जनता के कल्याण के लिये जो योजना बनाई जाती है उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं होती जब नई योजनाएं बनती हैं तो नौकरशाही का फैलाव सबसे पहले होता है, इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं इस योजना को सफल बनाने के लिये कौन-सी मशीनरी की व्यवस्था की जा रही है ?

जीवन बीमा निगम को देखिये इसने लोगों की भलाई के लिये वास्तव में कुछ किया है । इसमें कोई सन्देह नहीं । आज देश में कई वित्त संस्थाएं चल रही हैं जो धोखाधड़ी का काम कर रही हैं और लोगों को ठग रही हैं । लेकिन हम उन्हें रोकने में सफल नहीं हुए हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे (म० प०) तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे (म० प०) पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : जो व्यक्ति इस निधि में विनियोजन करेंगे उन्हें यह पता नहीं कि उन्हें ब्याज कितना मिलेगा । यह अभी तय नहीं किया गया है । वित्त मंत्री को इस बात का पक्का संकेत देना चाहिए था कि इस निधि में जमा कर्ताओं को किस दर पर ब्याज दिया जायेगा ।

इसकी बात यह कि जमाकर्ताओं द्वारा लिये गये ऋण तथा देयता पर किसी न्यायालय द्वारा जारी आज्ञाप्ति या कुर्की इस निधि पर लागू नहीं होगी । यह बात समझ में नहीं आती कि

यह निधि अन्य प्रकार की सम्पत्तियों पर लागू होने वाले कानूनी औचित्यों से परे कैसे हो सकती है । मैं समझता हूं यह व्यवस्था कल्पना से परे है ।

प्रस्तुत विधेयक में "सद्भाव में' (इन गुड फेथ) शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उससे बहुत से लोगों को उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्हें इस योजना को कार्यरूप देना है, सभी किस्म के आरोप लगाने का मौका मिलेगा ।

इस निधि की रकम को जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा उसकी शाखाओं को सौंपी गई है । आखिर केवल इसी बैंक को क्यों ? यदि सरकार इस अधिकार को स्टेट बैंक को देना चाहती है तो उसे यह अधिकार दूसरे बैंकों को भी देना चाहिए । सभी बैंकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए ।

श्री कृष्ण मूर्ति (कुड्डलूर) : मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं । यह अनावश्यक है और इससे जनता को धोखा दिया जा रहा है । यदि इसका नाम भविष्य निधि रखना है तो सरकार को भी कुछ अंशदान करना चाहिए जैसा कि सरकारी कर्मचारियों तथा श्रमिकों के मामले में किया जाता है अन्यथा इसे भविष्य निधि कहने की आवश्यकता नहीं ; लोग पहले ही जीवन बीमा निगम में विनियोजन कर रहे हैं और वहां से अधिक प्रतिलाभ की आशा करते हैं । यह केवल गरीब लोगों का रक्त चूसने का केवल एक दूसरा तरीका है । अतः यह विधेयक अनावश्यक तथा अवांछनीय है ।

दूसरी बात है ब्याज दर की । ब्याज दर केवल तीन से पाँच प्रतिशत तक होगी । अनुसूचित बैंक तक 11 से 12 प्रतिशत तक ब्याज दे रहे हैं । वित्त मंत्री तो पहले ही भविष्य निधि पर ब्याज दर कम करने की फिराक में हैं । जब तक निश्चित रूप से यह नहीं कहा जाता कि सरकार 9 या 10 प्रतिशत ब्याज देगी या बराबर का अंशदान नहीं करेगी, तब तक इस योजना के सफल होने की कोई संभावना नहीं है । इसके अलावा सरकार इस विधेयक को कार्य रूप कौन-सी मशीनरी की व्यवस्था करेगी ? देश में लाखों गांव हैं । सरकार कितने अधिकारियों को धन वसूल करने तथा इस विधेयक को क्रियान्वित करने के लिये नियुक्त करेगी ? इन सभी बातों को देखते हुए, मैं प्रस्तुत विधेयक का फिर से विरोध करता हूं ।

Shri Hem Raj (Kangra) : The most important provision in the Bill is that the money deposited in this fund would not be subjected to any attachment under any decree or order of any court in respect of any debt or liability incurred by subscribers. This is a very good provisio for which the Deputy Prime Minister and the Minister of Finance deserves to be congratulated. But the rate of interest is not more attractive. At the same time, the Finance Minister should make this scheme more and more attractive so that more and more money can be deposited in this fund. Unless this is done, it is doubtful if the target of Rs. 10 crores can be achieved.

It has been provided in the Bill that the scheme would be worked through the State Bank of India and its branches. But the Finance Minister should realise that there are no branches of the State Bank in rural areas which are comparatively more prosperous today. Therefore, in addition to State Banks some other agencies will have to be employed for the operation of the scheme if it is to be extended to the rural areas. So the post offices or the small savings Banks should also be utilised for this purpose.

The scheme would be more attractive if it is provided in the Bill that the rate of interest given on deposits would not exceed in the case of loans advanced to subscribers.

The period of 15 years provided for withdrawals is very long and should be reduced. The rate of interest should also be made more attractive. Necessary provision as incentive for the success of the scheme should be made in the Bill.

श्री मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) : हम एक लोक भविष्य निधि विधेयक पर विचार-विमर्श कर रहे हैं जिससे इस निधि में जमा-कर्ताओं को कोई भविष्य लाभ नहीं पहुंचता । भविष्य निधि विधान में जमाकर्ताओं के भविष्य लाभ की बात सोची जानी चाहिए । लेकिन इस विधेयक में इन भविष्य लाभों की कोई व्यवस्था नहीं है । जमाकर्ता निश्चय ही ऐसे लाभों की आशा करते हैं जैसे वृद्धावस्था में अदायगी, दुर्घटनाओं के समय पर अदायगी मृत्यु के समय अदायगी आदि । लेकिन इस विधेयक में ऐसे लाभों की कोई व्यवस्था नहीं है ।

भविष्य निधि विधान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार उसमें अंशदान करती है । लेकिन जब इसकी (निधि) व्यवस्था आम जनता के लिये करने का प्रश्न खड़ा किया गया, तो इस पहलू को बिलकुल ही निकाल दिया गया । हम उस भविष्य निधि से तो परिचित हैं जिससे कर्मचारियों को लाभ पहुंचता है, पर इस भविष्य निधि से नहीं जिसमें सरकार के अंशदान की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही लोगों को वे लाभ पहुंचते हैं जो कि कर्मचारी भविष्य निधि से कर्मचारियों को मिलते हैं ।

सरकार तो यह समझती होगी कि भारत के लोग जो आम तौर पर गरीब हैं, इस निधि में राशि जमा करेंगे, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि इस विधेयक में ऐसा कोई आकर्षण अथवा व्यवस्था ही नहीं है जिससे लोग इसमें धन जमा करें । हां, इतना जरूर है कि इस निधि से कुछ ऐसे धनाड्य लोग अवश्य आकर्षित होंगे जो कर-अपवंचन के तरीके ढूंढते हैं अथवा कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं । केवल वे ही लोग इस निधि में राशि जमा करेंगे अन्य सभी लोग नहीं ।

इस निधि को लोक भविष्य निधि कहना लोगों को गुमराह करना है । इसके बदले इसे केवल सार्वजनिक बचत निधि कहा जा सकता है । लेकिन प्रस्तुत विधेयक का उसके वर्तमान रूप में विरोध किया जाना चाहिए ।

Shri D.N. Tiwary (Gopalganj) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I fail to understand what new benefits are likely to accrue from this measure which are not there in other saving schemes such as small savings certificate scheme which gives more interest and the Ten Year Savings Scheme which provides additional facility of withdrawal after one year, except the one in regard to the security from attachment.

Secondly in the case of Government employees Provident Fund, it does not matter even if the Government do not contribute beacuse the Government employees are entitled to pensions. But here is quite a different case. So if this scheme is to be made effective and successful, it is necessary that the Government also contribute towards this Public Provident Fund. Otherwise the people will not be attracted by it.

It is provided that in case of death of the depositor his account would be transferred to his nominee. But will the nominee be able to withdraw the money immediately or it can be withdrawn only after the expiry of the prescribed period ? The nominee may require money immediately after the death of the depositor to perform his ritual rites etc. So he should be allowed to withdraw the money along with interest thereon, immediately after his death, if he so desires. For the benifit of the nominee it is necessary that this concession is provided in the rules.

Another difficulty is that only the State Bank of India and its Branches are authorised to collect subscriptions to this fund. But there are no branches of the State Bank in rural areas and the people in these areas are comparatively more prosperous today and have enough money to contribute to this fund. Therefore, with a view to give proper facility to the villager also and make this scheme more effective, it is necessary that the post offices are also authorised to accept deposits.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Finance Minister has stated that the Bill is intended to inculcate a habit of savings in the people and to get money for development works. But there is one great drawback in the Bill that it does not give a clear picture how the scheme is going to be worked. The Finance Minister has assumed all powers within himself in regard to the formulation of this scheme. This is against the spirit of the constitution.

It is not known what is going to be the rate of interest on the deposits. This has been kept in a fluid state. I, therefore, with the permission of the chair, move an amendment with a proviso which worded as follows :

> "All subscription made under section 4 shall bear interest at such rate as may be notified by the Central Government in the official Gazettee from time to time and the interest shall be calculated in such manner as may be specified in the scheme."

Now the proviso added to this is :

Provided that this interest rate shall completely neutralise any fall in the value of the rupee as a result of the rise in price that might take place after the contribution has been made."

All that has been laid down in the Bill is that Government would fix from time to time fix the rate of interest. I, therefore, want that this proviso may be added in this regard so as to ensure that the value of the money deposited in the fund would not loose its value.

श्री क० नारायण राव (बौब्बिली) : भविष्य निधि चाहे वह सरकारी कर्मचारियों की हो अथवा अन्यथा अनिवार्यता की शर्त से सम्बद्ध जरूर होती है, किन्तु प्रस्तुत विधेयक में वैसी कोई बात नहीं है अत: वह वास्तविक नहीं है। विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि वह दीर्घ कालीन बचत का एक साधन है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या लोग इस निधि में धन जमा करेंगे ? उसमें अंशदान करने के लिये लोगों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है ? पहली बात तो यह है कि इसमें ब्याज दर का कोई खुलासा नहीं है उसकी दर निर्धारित करना कार्यपालिका पर छोड़ा गया है। जहाँ तक बीमा तत्व का सम्बन्ध है, इसमें किसी जोखिम के विरूद्ध कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। बल्कि, दूसरी ओर, कुछ प्रतिबन्ध ही लगा दिये गये हैं जैसा कि कोई आदमी इस सार्वजनिक भविष्य निधि में कुछ धन जमा करता है, तो वह उसे 5 वर्ष की अवधि तक निकाल नहीं सकता। इससे जमाकर्ताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। आयकर में इससे कुछ रियायत जरूर दी गई है लेकिन इस तरह की रियायत की व्यवस्था अन्य बचत योजनाओं में भी है। लेकिन ज्यादातर लोग विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में कोई आयकर नहीं देते हैं, अत: इस योजना से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा और न ही वह उन पर लागू होगी इसलिये प्रस्तुत विधेयक में ऐसा कोई आकर्षण नहीं है जो लोगों को स्वेच्छा से राशि जमा करने का प्रोत्साहित मिले।

जहां तक विनियोजन सम्बन्धी पहलू का सम्बन्ध है। इस विधेयक में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इस राशि को कैसे विनियोजित किया जायेगा। इसलिये सरकार को यह सुनिश्चित

करना चाहिये कि चूंकि यह सार्वजनिक निधि है अतः इसे गैर सरकारी क्षेत्र में न लगाया जाये। लोगों की बचत को गैर-सरकारी लोगों की गैर-सरकारी विनियोजन के लिये नहीं दी जानी चाहिए। इस पहलू को स्पष्ट करना जरूरी है। अतः यह राशि सरकारी क्षेत्र में लगाई जानी चाहिए।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोर्टे) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हुं क्योंकि वह एक धोखा तथा जाल है। धोखा इसलिये है कि विधेयक के नाम से ऐसा मालूम होता है कि सरकार भी अंशदान देगी, परन्तु वास्तविकता यह है कि वह कोई अंशदान नहीं देगी, इसलिये वह धोखा है और जाल इसलिये है कि लोगों को थोड़ा-बहुत लाभ देकर उन्हें इस निधि में राशि जमा करने के लिये आकर्षित किया जायेगा परन्तु उसके बाद वे 15 वर्ष पूरे होने तक उस राशि को निकाल नहीं सकते। यह गोले के टुकड़े की तरह का प्रलोभन है जैसे चूहे को फसाने के लिये प्रयोग में लाया जाता है।

वित्त मंत्री तो यह कहेंगे कि यह एक ऐच्छिक निधि है। लेकिन हमने कई ऐच्छिक योजनाएं देखी हैं। सरकार के शब्दकोष में ऐच्छिक का मतलब 'अनिवार्य' होता है आज समस्त देश में कितने ही सरकारी ऋण जारी किये जा रहे हैं। इन सरकारी ऋणों में ऐच्छिक रूप से एक पैसा भी इकट्ठा नहीं हुआ। लोगों को बाध्य करके ही राशि इकट्ठी की जाती है। उदाहरणार्थ रक्षा बोर्डों को ले लीजिये पहले तो लोगों ने स्वेच्छा से खरीदे लेकिन बाद में जबरदस्ती की गई। यह जबरदस्ती भी केवल गरीब किसानों तथा मध्यम वर्ग के लोगों से ही की जाती है क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता।

इस विधेयक का तीसरा उद्देश्य जनता से धन इकट्ठा करना है। चूंकि सरकार को अमरीका से धन मिलने में कठिनाई हो रही है इसलिये वह अन्य सभी साधनों का उपयोग करना चाहती है। मेरी धारणा भी यही है कि धन इकट्ठा करना बुरी बात नही है लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए पहली बात तो यह है कि इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए' दूसरी बात यह है कि गरीब लोगों से धन इकट्ठा करने के बजाये बड़े बड़े व्यापारियों से धन इकट्ठा जो आराम से दे सकते हैं और उनके मामले में इस योजना को अनिवार्य किया जाना चाहिये ताकि सरकार को खासी अच्छी रकम प्राप्त हो सके। सरकार की गरीब लोगों से धन एकत्रित करने की नीति अच्छी नहीं है। भविष्य निधि में ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनियों का अंशदान घटता जा रहा है जबकि वह पहले ही बहुत कम है। अतः मेरा सुझाव यह है कि वित्तमंत्रालय को समाज के धनी वर्गों से धन प्राप्त करना चाहिए और न कि उन लोगों से जो जिनका मुश्किल से गुजारा होता है। सरकार को काले धन का पता लगाना चाहिए और इस प्रकार एक निधि बनानी चाहिए और उसे बन्द पड़े मिलों तथा अन्य उद्योगों को फिर से चालू करने पर खर्च करना चाहिए ताकि देश में रोजगार-क्षमता बढ़े।

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : प्रस्तुत विधेयक में राशि इकट्ठा करने के लिये काफी प्रलोभन दिया गया है। अब हमें वास्तव में देखना यह है कि इन प्रलोभनों से हमें, जहां तक बचतों को इकट्ठा करने का सम्बन्ध है. फायदा तो नहीं होता। सरकार को आशा है कि 10 करोड़ रुपये तक की बचत होगी। यदि बचतों को वाणिज्यिक बैंक जैसी बचत संस्थाओं से इस भविष्य निधि मे केवल तबादली ही है, तो फिर वास्तविक बचत बहुत कम होगी और नतीजा केवल करा-धान में घाटा होगा।

विधेयक के उपबन्ध उन लोगों पर लागू होते हैं जो किसी के यहां नौकर नहीं हैं । यह कदम सही दिशा में उठाया गया है क्योंकि भविष्य निधि सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी नीति में आती है जिसे हमारे देश में लागू करने की आवश्यकता है । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का सरकार के प्रति जो विश्वास है उसका लाभ भी उठाया जाना चाहिये ।

इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था है कि तृतीय अनुसूची के अन्तर्गत इस बात का कि किस प्राधिकार अथवा प्राधिकारी द्वारा इस निधि के लिये राशि इकट्ठी की जायेगी अथवा किनके जरिये इस निधि से राशियां निकाली जायेंगी, सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा । मेरा सुझाव यह है कि ये प्राधिकार गावों में डाकखाने तथा गावों में अन्य बचत संस्थायें होने चाहिये ।

गांवों में लोगों को कोई नियमित मासिक आमदनी नहीं है, उनकी आमदनी सीजनल बातों पर निर्भर करती है । इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों से बचतों की राशि इक्ट्ठा करने के लिये गावों में बैंक-सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

श्री स० कुंडू (बालासौर) : वित्त मन्त्री यह कह कर कि वह देश में बचतों को इकट्ठा करने के लिये प्रयत्नशील हैं, लोगों की आँखों में धूल झोंकने का प्रयत्न किया है । कोई भी व्यक्ति जो इस निधि में धन जमा करेगा यह जानना चाहेगा कि उसे इससे क्या फायदा होगा और वह आवश्यकता पड़ने पर अपना धन वापस भी लेना चाहेगा, इसके साथ साथ वह यह भी जानना चाहेगा कि इस धन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है । लेकिन विधेयक में इन पहलुओं का पता ही नहीं है । आदमी धन बैंकों में या अन्यत्र तभी जमा करेगा जब उसे यह यकीन दिलाया जायेगा कि रुपये का मूल्य बढ़ने अथवा घटने के अनुपात में उसे प्रतिलाभ दिया जायेगा अन्यथा वह उसे पूंजी के रूप में अन्यत्र लगायेगा, जब तक जमा कर्ता को यह आश्वासन न मिले कि उसे अपने धन का न्यायोचित अंश मिलेगा और वह आवश्यकता पड़ने पर उसे ब्याज सहित आसानी से निकाल सकता है, तब तक हम बचतों को इकट्ठा नहीं कर सकते ।

यदि विधेयक में इस आशय का उपबन्ध हो कि यदि किसी व्यक्ति की आय 1500 रुपये से अधिक हो, तो फालतू आय स्वतः ही जमा हो जायगी जिसे 10 या 15 वर्ष के बाद लौटा दिया जायेगा, तो सरकार को इस तरह लगभग 2000 करोड़ रुपये मिल सकते थे जिन्हें कृषि पर लगाया जा सकता था । इसके साथ-साथ देश में जो 3000 से लेकर 4000 करोड़ रुपये तक का काला धन परिचालन में हैं, उसे भी एकत्रित किया जा सकता था । लेकिन विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न भी है, प्रस्तुत विधेयक कानूनी तौर पर ठीक नहीं है इसलिये इसे पारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मद के अन्तर्गत नहीं आता ।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि प्रत्यायोजित शक्ति का उपयोग मुख्य अधिनियम के उद्देश्य के परे नहीं किया जा सकता । किन्तु इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि योजना अधिकारियों द्वारा बनायी जायेगी । इस योजना के क्षेत्र के बारे में और आगे कुछ नहीं कहा गया है । विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्रत्यायोजित विधान के लिये छोड़ा गया है । अतः यह प्रत्यायोजित विधान इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य का हनन करता है । इसलिये इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए ।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को बड़े ध्यान स सुन रहा था। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि ऐसे विचार दिमाग में उत्पन्न कैसे हुये जिससे इस विधेयक को सबको धोखा देने वाला आदि की संज्ञा दी गई। यह भविष्य निधि है। मैंने इसे अंशदायी भविष्य निधि नहीं कहा है।

इस समय देश में दो प्रकार की भविष्य निधियां चालू हैं। एक उन कर्मचारियों के लिये जिन्हें पेंशन नहीं मिलती और जहां नियोजक द्वारा अपना अंशदान इसमें डाला जाता है चाहे नियोजक सरकारी, गैर-सरकारी अथवा निगमित क्षेत्र के किसी उपक्रम का हो। दूसरी भविष्य निधि सरकारी कर्मचारियों के लिये है, जिन्हें पेंशन मिलती है और जहां अंशदान के स्थान पर ब्याज दिया जाता है।

प्रस्तावित भविष्य निधि उन लोगों के लिये है जो स्वयं अपना धंधा चलाते हैं और जो किसी के यहाँ काम नहीं करते, हां, इसमें अन्य व्यक्ति भी आ जाते हैं यदि वे इस निधि में धन देना चाहें। इसके लिये किसी को वाध्य नहीं किया जाता। इसमें शामिल होने के लिये न तो किसी को वाध्य किया जाता है और न ही किसी को धोखा दिया जाता है। जिस प्रकार यह निधि चालू की जायेगी उससे सम्बन्धित सभी बातों का उल्लेख किया गया है, यदि कुछ बातों का उल्लेख नहीं किया गया, तो उनका संकेत भी दिया गया है और मैंने यह भी कहा है कि यह योजना विधेयक के अनुसार बनायी जायेगी और सभा-पटल पर रखी जायेगी और यदि कोई सुझाव दिये जायेंगे और उन्हें उपयुक्त पाया जायेगा, तो उन्हें भी शामिल कर लिया जायेगा। इससे ज्यादा मैं और कह भी क्या सकता हूं ?

विधेयक में यह भी बताया गया है कि ब्याज की दर सावधिक जमा योजना में ब्याज की दर से, जो 4.8 प्रतिशत है, कम नहीं होगी। वह चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्योंकि पिछले वर्ष में अर्जित ब्याज पर भी ब्याज दिया जायेगा। इसलिये ब्याज वाली बात भी स्पष्ट है।

मैं कह चुका हूँ कि ब्याज की वर्तमान दर 4.8 प्रतिशत होगी। यह इससे कम नहीं होगी। परन्तु अन्य योजनाओं के अन्तर्गत ब्याज की दर को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें धोखा कहां है ? सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह कोई राशि जमा नहीं करेगी। मुझसे पूछा गया था कि 15 वर्ष के बाद धन का क्या होगा ? यदि कोई व्यक्ति पहले ही मर जाता है, तो क्या होगा ? 15 वर्ष के बाद वह धन वापस ले सकता है तथा मृत्यु हो जाने की दशा में यह धन इसके उत्तराधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्ति को मिल जायेगा, उन्हें 15 वर्ष प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

किसान अथवा कोई भी व्यक्ति, जो भी चाहे इस योजना के अन्तर्गत धन जमा कर सकता है। जहां तक लाभ का सम्बन्ध है, इससे करों में छूट मिलेगी कर्मचारियों की तो अपनी भविष्य निधि है, इसलिए अपने स्वयं के धन्धे में लगे हुए लोग इस योजना के अन्तर्गत भविष्य निधि में धन जमा कर सकते हैं ताकि वह धन उनके सेवा निवृत्त होने पर उनकी वृद्धावस्था में काम आये। इस दृष्टि से यह सामाजिक सुरक्षा है। इस धन पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा तथा ब्याज सहित मूलधन की गारन्टी की व्यवस्था है। उन्हें करों में छूट दी जायेगी, जिससे बचत करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। यह कहा गया कि केवल 50 प्रतिशत राशि पर ही छूट मिलेगी

अधिक पर नही । 5,000 रुपया तक 60 प्रतिशत तथा इसके अधिक राशि पर 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी । सावधिक जमा की राशि पर कोई छूट नहीं मिलती, केवल उससे प्राप्त होने वाला ब्याज आयकर से मुक्त है । परन्तु इस योजना के अन्तर्गत जमा की जाने वाली राशि न केवल आयकर से मुक्त होगी बल्कि धन-कर से मुक्त होगी । इसके अतिरिक्त जमाकर्त्ता के दिवालिया हो जाने की दशा में भी कुछ हद तक छूट मिलेगी । यह भी एक प्रकार का प्रलोभन है । श्री कुण्डु और श्री कृष्णामूर्ति को कुछ सन्देह है । परन्तु प्रत्येक व्यक्ति की राय एक तो हो ही नहीं सकती है ।

ऐसा हो सकता है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये इस योजना के लिये कोई प्रोत्साहन न हो । मैं विचार कर रहा हूं कि उनके लिये ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि वे दस वर्ष की अवधि के पश्चात धन वापस ले सकें । एक नई योजना के आरम्भ किये जाने के बाद उसके अमल में लाने के पश्चात यदि आवश्यक हो, तो अधिक प्रोत्साहन देने के संशोधनों पर विचार किया जा सकता है । यह कहा गया कि 10 करोड़ रुपया न मिल सकें । हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए भी प्राप्त न हों । कुछ भी, इस योजना से लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनसाधारण के लिये भविष्य निधि की संस्थापना के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खन्ड 2

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill

खंड 3

श्री स० कुन्डू : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : जमा की जाने वाली राशि के दो तिहाई भाग पर आयकर से छुट दी जानी चाहिए । जीवन बीमे में जोखिम का बीमा हो जाता है, अन्य भविष्य निधियों में नियोजकों द्वारा बराबर की राशि जमा बराबर की राशि जमा की जाती है और सावधिक जमा योजना में ब्याज के अतिरिक्त कुछ प्रीमियम भी मिलती है : इसलिये करों से छूट की राशि बढ़ाई जानी चाहिए ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं करता । दूसरी बात के बारे में यह सावधिक जमा योजना से इस प्रकार से अधिक उत्तम है कि उसके अन्तर्गत पन्द्रह वर्ष से पहले धन वापस नहीं ले सकते और यदि आप लेते है तो ब्याज से हाथ धोना पड़ेगा जबकि इसमें ऐसा नहीं है, आप ऋण आदि भी ले सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : All the powers have been delegated to them under clause 3(2) and 3(4) to frame the scheme which is against the judgement of Justice Bose of Supreme Court in the case of Raj Narain Singh Versus Patna Administration wherein the learned Justice held that essential characterstics of legislative power was that of laying down a policy or standard and this essential feature could not be delegated to any other authority. My point is whether this delegation of powers is legal.

श्री मोरारजी देसाई : मुख्य पहलुओं का विधेयक में उल्लेख और उनके अनुसार ही योजना तैयार की जायेगी । योजना सभा के सामने रखी जायेगी । यदि वह मान्य न हो तो उसे अस्वीकृत किया जा सकता हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 3 was added to the Bill

खंड 4

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5

श्री मधु लिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Morarji Desai : I cannot accept this amendment.

श्री स० कुन्डू : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूँ । यदि आप बचत का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जमाकर्ताओं को मालूम होना चाहिये कि उन्हें कम से कम इतना ब्याज मिलेगा अन्यथा लोग इस योजना के अन्तर्गत अपनी बचत जमा नहीं करायेंगे ।

श्री मोरारजी देसाई : यदि मैं आयकर, धन कर से मुक्त $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज की दर रखूं तो आयकर-दाताओं के लिऐ वह दर 12 अथवा 15 प्रतिशत हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No. 2 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 5 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

श्री स० कुन्डू : मैं अपने संशोधन संख्या 6,7 और 8 प्रस्तुत करता हूं । पांच वर्ष की अवधि बहुत अधिक है, इसलिए मैंने दो वर्ष का प्रस्ताव रखखा है । यह एक साधारण कर संशोधन है । मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं वे इसे स्वीकार कर लें ।

श्री मोरारजी देसाई : इसका उद्देश्य भविष्य में उपयोग के लिये बचत करना है । यह तो योजना के मूल स्वरूप के विरुद्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6, 7 और 8 मतदान के लिये रखे गये तथा स्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खंड 8

श्री स० कुन्डू : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हुं । कानूनी रूप से उत्तराधिकारी होने के लिये प्रमाण पत्र लेने में 3-4 वर्ष लग जाते हैं । इसलिये मैंने अधिनियम में संक्षिप्त कार्यवाही के निदेश का संशोधन रखा है ।

श्री मोरारजी देसाई : यह सम्भव नहीं है । यदि इस विधान में ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है, तो ऐसा उपबन्ध न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 8 was added to the Bill

खंड 9 विधेयक का अंग बने ।
Clause 9 was added to the Bill

खंड 10

श्री स० कुन्डू : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं । कोई अधिकारी धोखा अथवा दुर्विनियोग करके कह सकता है कि मैंने तो अच्छी नीयत से कार्य किया था । इसलिये मैंने बचाव खण्ड रखा है ।

श्री मोरारजी देसाई : यदि कोई धोखा करता है, तो इस खण्ड के अन्तर्गत वह बच नहीं सकता । उसको उचित दण्ड मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 मतदान के लिये रखा गया
और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।
"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.
खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 10 was added to the bill.

खंड 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 11 and 12 were added to the Bill.

खण्ड 13 (नया)

श्री स० कुन्डू : मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं । जमाकर्त्ता में विश्वास की भावना उत्पन्न करना आवश्यक है । इसके लिये जमाकर्ता की राशि के लिये रिजर्व बैंक की गारन्टी होनी चाहिए और इसका दस्तावेज में उल्लेख होना चाहिए ।

श्री मोरारजी देसाई : कोई भी लोकतन्त्रीय सरकार अपने दायित्व से इन्कार नहीं कर सकती है । इसके लिये स्वयं भारत सरकार की जमानत है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 मतदान के लिये रखा गया
और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was put and negatived.

अनुसूची

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendments was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Schedule was added to the bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Tulshi Das Jadhav (Baramati) : While supporting the Bill I would like to make one or two points for the consideration of the hon. Finance Minister. I feel to give incentive to people to subscribe to this fund, the rate of interest to be offered should be quite high, in fact higher than that offered by others. Apart from it a sense of security should be created to attract people.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अनुदान की मांगें (उत्तर प्रदेश) 1968-69

DEMANDS FOR GRANTS (UTTAR PRADESH BUDGET) 1968-69

वर्ष 1968-69 के लिये उत्तर प्रदेश की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	1	श्री सरजू पाण्डेय	अलाभकर क्षेत्रों पर भू-राजस्व समाप्त करने में असफलता ।	राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये
9	2	,,	निर्वाचन व्यय को कम करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्य	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
10	3	श्री सरजू पाण्डेय	राज्य के प्रशासनिक व्यय को कम करने में असफलता ।	राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया
	4	,,	स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने में असफलता ।	गया
11	5	,,	जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता	100 रुपये
	6	,,	आयुक्तों के पदों को समाप्त करने की आवश्यकता	,,
13	7	,,	राज्य के लोगों को कम कीमत पर न्याय प्रदान करने में असफलता ।	राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया
	8	,,	न्यायपालिका को पूरी तरह कार्यपालिका से पृथक करने में असफलता ।	जाये
14	9	,,	जेलों में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	10	,,	पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने में असफलता ।	,,
	11	,,	साधारण पुलिस कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
16	12	,,	खाद्यान्नों में मिलावट रोकने में असफलता ।	,,
18	13	,,	राज्य में निशुल्क शिक्षा देने की आवश्यकता ।	,,
	14	,,	राज्य में शिक्षा संस्थाओं में गुटबाजी और भ्रष्टाचार रोकने में असफलता ।	,,
19	15	,,	लोगों को विरोधी उपचार उपलब्ध करने की आवश्यकता ।	,,
	16	,,	राज्य में अधिक औषधालय खोलने की आवश्यकता ।	,,
21	17	,,	राज्य में अनाज का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
	18	,,	राज्य में सस्ते कृषि उपकरण उपलब्ध करने की आवश्यकता ।	,,
	19	,,	भूमिहीन किसानों को भूमि देने की आवश्यकता ।	,,

23	20	श्री सरजू पाण्डेय	राज्य में अच्छी नस्ल के पशु तैयार न करना ।	,,
24	21	,,	सहकारी समितियों में धनी वर्ग का प्रवेश रोकने में असफलता ।	,,
25	22	,,	राज्य में उद्योगों का नितान्त अभाव	,,
29	23	,,	राज्य में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों की दशा सुधारने में असफलता ।	,, ,,
32	24	,,	राज्य में सिंचाई के साधनों का नितान्त अभाव ।	,,

Shri N.K. Somani (Nagaur): Unfortunately or otherwise when we are to discuss the budget of a state, we get an opportunity to get a very close view of the various states of India. Then we realise that there are backward areas in the country. The statistics regarding industry, commerce, employment or agriculture all focus our attention on the imperative need to attend to the backward areas of U.P. We have not to feel complacent by looking to the developed portion of the country but have to pay attention to the backward areas so as to bring about an all-round uniform progress.

U.P. is a state with largest population and rich in natural resources. All the three Prime Ministers who assumed office after attaining independence belonged to U.P. There is ample scope for progress and improvement there. Irrespective of our party affiliations we should make concerted efforts for the development of the state. For some reason or the other the high potentiality of natural resources available in the State has not been exploited, representatives of U.P. here should seriously consider the question of development of backward areas of the state such as North-Eastern districts.

As regards the per capita income it was Rs. 260 in U.P. at a time when per capita income in whole country was Rs. 258/- still there is time. The Fourth Plan is still in the formulative stage. It is very unfortunate that the schemes remain only on paper. We should aim at optimum utilisation of the resources in a coordinated manner. In the Fourth Plan specified attention should be paid to the backward areas. Some concession should be granted in corporate taxes and other central taxes in these areas so as to encourage the industrialists to set up industries there. The taxation policy in relation to the backward areas calls for radical changes. Although the industrial policy resolution of 1956 laid emphasis on the balanced regional development. But unfortunately there has not been an integrated development of the country. Special provisions will have to be made in the budget for the purpose. An industries commission should be set up immediately to suggest guidelines for the accelerated development of the backward areas and in the Fourth Plan, Top priority should be given to this task and the schemes should be drawn with this end in view.

It has been pointed out on certain occasions in the House that the funds granted in the form of loans, subsidy etc. were directed by the State Government to other purposes. Sometimes loans and grants have lapsed also. I, therefore, suggest that while allocating funds an assurance should be sought from the State Governments that the money will be utilised for the specified purpose.

Then the standard and quality of education at the Banaras Hindu University has gone down during last four years. We should consider this question seriously and try to mould our education in such a way that our youths after coming out of colleges and uni-

versities do not feel frustrated. As regards the communal disturbances, we should create goodwill amongst all the communities. It is bad if any political party arouses or supports communal feelings.

श्री शिव नारायण : विरोधी सदस्य के बोलने के बाद, आपको हमारी ओर से भी किसी सदस्य को बुलाना चाहिये ।

सभापति महोदय : मैं यथासम्भव प्रत्येक सदस्य को मौका दूंगा । अब श्री सरजू पाण्डेय 15 मिनट के अन्दर अपना भाषण समाप्त करें ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Mr. Chairman, I may kindly be allowed to move my cut motions.

उत्तर प्रदेश की आय व्ययक की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

मांग संख्या	कटौत प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
10	25	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	मोदीनगर में टाउन एरिया कमेटी को नगर-पालिका में न बदलना	100
18	26	"	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को निर्वाह योग्य वेतन न देना	100
18	27	"	उच्च/माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को निर्वाह योग्य वेतन न देना	100
18	28	"	राज्य में कन्याओं की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था न करना ।	100
18	29	"	उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में गंगा के किनारे जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, उसमें प्रयत्न करने के बाद भी अभी तक गवर्नमेंट हाई स्कूल की स्थापना न करना ।	100
18	30	"	राज्य में दक्षिण की प्रमुख भाषाओं के अध्ययन तथा अध्यापन की सुविधाओं का अभाव	100
19	31	"	राज्य में सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव ।	100
19	32	"	मिश्रित चिकित्सा पद्धति से चलने वाले कालिजों की डावाँडोल स्थिति	100
19	33	"	राज्य में महिलाओं के लिए उपयुक्त चिकित्सालयों का अभाव	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
19	34	"	मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में गंगा के किनारे के खादर में जहां प्रतिवर्ष बाढ़ से दो तीन महीने तक यातायात के साधन नहीं होते वहां अच्छे सुविधा सम्पन्न अस्पताल का न होना ।	100
27	35	"	मोदी नगर के औद्योगिक संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों को समुचित वेतन, मंहगाई भत्ता उप-वेतन और निवास आदि की सुविधाओं के सम्बन्ध में उचित निर्णय न लेना ।	100
31	36	"	कृषि कार्यों के लिये किसानों को बिजली मिलने में हो रही कठिनाइयां ।	100
31	37	"	नहरों से निकलने वाले छोटे राजवाहों के किनारों की सफाई न होना ।	100
31	38	"	मुरादाबाद जिले में हसनपुर तहसील का गंगा के किनारे पड़ने वाला क्षेत्र जो प्रति वर्ष बाढ़ की लपेट में आ जाता है वहाँ बांध का निर्माण न होना ।	100
31	39	"	मेरठ जिले के बहादुरगढ़ के पास गंगा की नहर के अतिरिक्त पानी को फिर से गंगा में गिराने वाली नहर को प्रति वर्ष साफ न करना ।	100
31	40	"	गढ़ मुक्तेश्वर के पास झंडीना गांव से लगते हुए बरसाती नाले को साफ न करना ।	100
31	41	"	ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का अभाव ।	100
31	42	"	मेरठ जिले में धोलाना सपनावत सड़क का निश्चय होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न होना ।	100
31	43	"	मेरठ जिले में मुरादनगर से रावली होते हुए बागपत तक जाने के लिए सड़क का निर्माण कार्य बीच में ही रोक देना ।	100
31	44	"	जारचा, समाना सड़क पर ग्रामवासियों के	100

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
		श्री प्रकाशवीर शास्त्री	श्रमदान द्वारा मिट्टी का काम पूरा करने के बाद भी सड़क को पक्का न बनाना ।	100
31	45	,,	मुरादाबाद जिले में हसनपुर, रहरा सड़क के शेष चार मील का कार्य प्रारम्भ होने के बाद भी बीच में ही रोक देना ।	
40	46	,,	प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त साधन न जुटाना ।	100
40	47	,,	अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मल के परिवार को दी जाने वाली राजनीतिक पेंशन की अपर्याप्त राशि ।	100
49	48	,,	मेरठ जिले में खरखोदा के पास अतराड़ा जाने के लिये काली नदी पर पुल न बनाना और सड़क की व्यवस्था न करना जिसके कारण ग्राम-वासियों को वर्षाऋतु में भारी कठिनाई होती है ।	100

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) ; In the Congress game of toppling down the non-congress Government, the worst role is in the case of Uttar Pradesh where President's rule was imposed in spite of the majority of S.V.D. U.P. has been suffering because of the quarrel between the two top Congressmen of the state.

Uttar Pradesh is the most backward of all the states of India whether it is with regard to per capita income, education or industry yet, during the last 20 years, the Congress has done little to remove this anomaly.

The condition of eastern U.P. is most pitiable where people even now work at nearly 2 annas per day. It was because of this kind of appalling conditions there that the late Prime Minister Shri Nehru had appointed the Patel Commission. The Commission recommended development of means of transport and communications, more so supply of electricity and establishment of industries in that region. But that report has not been implemented. Nearly 9 lakh acres of land is lying uncultivated there, but it has not been distributed. The road from Basti to Gorakhpur should be metalled.

The question of opening a mill at Rasra in Ballia distfict on a co-operative basis is pending for the last 13 years but the Food Ministry have not given licence so far. The matter should not be delayed any more.

The Ganga river divided Ghazipur in two parts. There has been a long standing demand for constructing a bridge there to connect the two parts of the city. But while money is wasted in useless schemes, the Government have failed to find funds for this bridge.

The S.V.D. Government in U.P. has remelted land revenue upto 6¼ acres. But it has been reimposed under the Governor's rule.

The law and order situation in U.P. was its worst under the Governor's rule. Murder, lost and communal riot had become a common thing. Harijans were not cared for. The police refused to register complaints filed by them.

It is necessary to make radical changes in the plan for U.P. so as to provide for better irrigations. more roads and more industries.

Shri Sheo Narain (Basti) ; The Governor's rule in U.P. had afforded an opportunity to give a good administration to the state.

The most important requirement of U.P. are irrigation and roads. If tube-wells are provided in each village and the villages are connected with roads, that would give incentive to both agricultural and industrial development. The Central Government should pay attention to our suggestions and try to meet the requirements of our state.

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना भाषण केवल आय व्ययक के प्रस्तावों तक ही सीमित रखें।

Shri Sheo Narain : It is unfortunate that the SVD Government took certain steps which were not conducive to agricultural development. Their policy in regard to supply of electricity for tube wells has retarded development of irrigational facilities in the villages. The previous policy should be restored.

Eastern U.P. is the most backward region of the country, with 1180 persons per mile, it has the thickest population in India. When Shri K.D. Malviya was the Minister he had ordered for an enquiry of our area. The report of the enquiry committee is with the Government. Government should make proper arrangements for the education of the inhabitants of the state and try to remove the backwardness of the state. The money provided for in the Budget should be properly spent. Our area is on the border and therefore special attention should be paid towards it. Special efforts should be made to remove the appalling poverty of that region by providing irrigational facilities, industries and roads. The road from Basti to Gorakhpur should be metalled. An enquiry should be made in the affairs of the Muir Mills of Kanpur.

The Central Government should give U.P. its due share of funds. The officers of the U.P. Government should utilise this amount for the maximum benefit of the state. The amount given to it was not in consonance with its size, population or backwardness. I would request that our Home Ministry and the Home Secretary of U.P. should tight up their Departments.

I throw a challenge that we would fight elections throughout U.P. But I would request the officers that they will conduct the elections honestly like last general elections.

Shri N.S. Sharma (Domariaganj) : The imposition of President's rule in U.P. is a mockery of democracy. If intentions were good, this situation could have been averted. But there was a purpose and a pattern behind it. The Congress wants to influence elections in West Bengal in their favour by holding early elections in U.P. where they hope to return in a majority. There should only be one factor in determining the date of elections in U.P. namely, the people's interest, not the party interest of the Congress.

It would have been better that before presenting the U.P. Budget, a committee of 87 members of Lok Sabha from U.P. was formed where they could get an opportunity to give their views. The budget should have been framed after considering those views.

In recent months, there have been communal riots in U.P. and other parts of the country. If the Congress had so desired, communalism would have gone from the country during the last 20 years. But unfortunately the congress have developed a vested interest in prompting communal feelings so that it might make political capital out of it by posing as champions of the interests of the minority community. The communal riots at

Allahabad were instigated by certain Muslim organisations and congressmen. Jan Sangh was being maligned for political reasons. A thorough enquiry should be made into Allahabad communal riots.

Now I come to the second point. Institutions like **Maje-lis-Mushavarat** should be immediately banned and it should not be allowed to bargain Muslim votes and spread communalism in politics. Sheikh Abdullah should be arrested for anti-national and anti Government speeches and he should not be allowed to spread communalism through his speeches.

About Uttar Pradesh, much has been said here. The condition of Traie Rapti area in Eastern U.P. is really very pitiable. I would urge upon the Government to take special steps to start irrigation schemes and industries there. In Gorakhpur, Basti, Deoria and Balia in Eastern U.P. There is horrible poverty. There is not a single factory in these districts. Therefore, special steps should be taken to eradicate these poverty stricken areas of eastern U.P.

Much has been said here about the atrocities committed on Harijans. The incidents which took place in Kanpur are extremely shameful. In the twentieth century, such happenings are not at all desirable. The mentality of negligence and hatred in Government officers towards Harijans should not be allowed. Special steps should be taken so that the Harijans may get an assurance about the protection of their rights and the sense of fear in their mind may be removed.

I want to stress one thing more. Government employees should not be allowed to feel frustrated because the responsibility of implementing Government policies lies on them. Some sort of arrangement like Whitley Councils should be made for Government employees. This provision should specially be made for Uttar Pradesh so that Government employees of U.P. may not be negligent in the discharge of their duties due to economic difficulties.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : Sir, I thank you for the opportunity given by you to allow me to offer my views about Uttar Pradesh.

In the first place, I would like to draw your attention to the fact that Uttar Pradesh is the most backward state in the country. In a dozen districts of Uttar Pradesh, the population per square mile is between 1200 to 1300 persons.

The planners while framing the Five year Plans had envisaged that the per capita income of the country should be doubled by 1973-74. This was their target. In 1950-51, the per capita income of Uttar Pradesh was Rs. 237.66 while the per capita income of the whole country was Rs. 275. In 1960-61, the per capita income of U.P. was Rs. 245.88 while the whole country was Rs. 310. In 1966-67, the per capita income of U.P. dwindled to Rs 227.60. It shows how miserably our plans have failed. After implementation of three Five Year Plans the per capita income instead of increasing, has gone down. These are official figures. The hon. Deputy Prime Minister should take a special note of it. It will inspire him to pay special attention to Uttar Pradesh. The importance of Uttar Pradesh is well known. The development and prosperity of Uttar Pradesh means the development and prosperity of the whole country.

Everybody knows that out of the population of 9 crores people, 3 crore people daily go without food in the night. This is really very sad state of affairs. The reason of it is quite clear. From the official figures, we come to know that unfortunately Uttar Pradesh has received minimum central assistance. So long as, central assistance is not provided on the basis of population and backwardness, the backwardness of the state cannot be removed.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

I would like to quote some figures of Central assistance in this regard. In the First Five Year Plan, per capita plan outley for Uttar Pradesh was 24 while for other states it was 40, in second plan it was 34 for U.P, while for other states it was 52 and in third plan it was 75 while for other states it was 92.

I am giving you Government figures from which it is evident that per capita plan outlays in U.P, during all the three plans have been lowest in the country. Per capita plan expenditure in U.P. was Rs. 75 in the Third plan as compared to Rs. 116.8/- in Rajasthan Rs. 114.08 in Gujrat Rs. 113.98 in Punjab and Rs. 105.93 in Mysore. In fact in per capita terms all these four states were enabled to spend more during the Third Plan alone than what was spent by U.P. in the Second and Third Plans together. Per capita plan expendi. ture in U.P. in the Second and third plans together was Rs. 105/-

Poverty in U.P. is proverbial. During a discussion in 1962 in this House regarding the miserable conditions of the Eastern Districts of U.P. the late Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru was very much moved when he was told about the miserable condition of the people of those districts. So he appointed the Patel study team to go into this question and suggest remedial measures. That team visited the districts of Gazipur, Jaunpur and Balia and it was accepted in their report that there was dire poverty in those districts. Some recommendations were also made in the report of that team including the recomendation that industries should be set up there. Some work was started on the basis of the recommendations of that study team, but it has now been given up. My submission is that the recommendations of the study team should be implemented. The study team has recommended the construction of a bridge over Ganga, which divides the district of Gazipur in two parts. Government should undertake the construction of this bridge. I fail to understand that while two bridges are being constructed elsewhere in U.P. Govern-ment had not taken up this bridge.

So far as the question of consumption of electricity, which is a sign of prosperity, is concerned, U.P. which stood third in 1951 and in per capita consumption of electricity has been relegated to the thirteenth position now.

Now coming to the question of supply of electricity for irrigation in U.P. I want to point out that electricity is being supplied at the rate of 9 paisa per unit in the Western districts of U.P. but the rates charged in eastern districts of U.P. where poverty is wide spread -- is 19 paisa per unit. This discrimination is hampering the development of eastern region. There should be a uniform rate, say 12 paisa for the whole state.

I want to say that agricultural production is mainly dependent on irrigation, fertili-zers and good seeds. In order to increase the production of that area topmost priority should be given to irrigation, because irrigation is much more essential than fertilizers and seeds even. These fertilizers should be supplied at subsidised rates. The people of these districts are leaving their home and going to Bombay, Calcutta and Kanpur etc. for earning their living. So I request that proper attention should be given for their betterment Intensive Agricultural District programme should be started in these eastern districts of U.P.

The system of charging 10 paisa from each patient who come to Government Hospital for medical treatment, which was in vogue before the last General Elections, was a good system. This system should be re-introduced.

Shri Mohammed Ismail (Barrackpore) : While taking part in the debate on U.P. budget, first of all I would like to point out that Uttar Pradesh is becoming a hot-bed of

the activities of C.I.A. It appears that the activities of the C.I.A. are being carriedon in a planned manner. I am giving you an example Mahesh Yogi is receiving money from C.I.A. He has now been given permission to have an airport near his Ashram. It is very dangerous for the country to give him permission to have an airport near his Ashram, because it will enable the Yogi to carry out his conspiracy more successfully. I fail to understand why so much favour is being shown to Mahesh Yogi. So many things are happening in U.P. which are dangerous for our country. Communal disturbances are taking place there. There have been communal disturbances in Meerut and Allahabad. I say that the communal trouble in the state is the result of a plot by the C.I.A. to spread this disease all over the country. There is every reason to believe that the majority of the officers of U.P. are under the influence of CIA and even if I agree that they are not under the C I A influence, even then they are bound to be under the C I A influence, if its activities are not checked well in time. I, therefore, suggest that this matter should be enquired into. The CIA activities are being carried out in boarder areas. The Government should be vigilant in regard to these activities.

So far as the problems of farmers are concerned it has often been assured that their problems will be solved very shortly. The plan is ready. But I want to point out that Government has not taken the problems of the farmers of U.P. seriously. I request that special attention should be paid to their problems.

I have been in Modinagar. I used to think that Modinagar is a part of our country. But on reaching there I came to understand that I have come in Modi Raj. Modinagar is practically being administered by Shri Modi. The police, postal services etc. are all under his control. The conditions of the labourers there are very deplorable. They have been temporary for years and years together. No doubt there is a labour department in Modinagar, but this Department does not look after the interests of the labourers and on the other hand it acts under the directions of Shri Modi. The labourers do not enjoy even their legal rights. When the labourers pressed for their demand, they were subjected to bullets. More than three hundred labourers have been thrown out of employment. Cases have been launched against eighty labourers and five labourers have lost their lives.

Now I want to say that the condition of Kanpur is far from satisfactory. A number of mills had been closed down. The labour department had not paid any heed to this matter.

So far as the question of Provident Fund is concerned, lakhs of rupees due to the workers had not been paid by the employers. No action had been taken against such employers by Government.

Sugarcane is mainly grown in U.P. The Government had decontroled sugar, which had resulted in the price rise of sugar. The Government have paid no attention to the interests of Sugar cane growers. Although the prices of sugar had risen, yet the sugar cane growers did not get high price for their sugar cane. Therefore, there is no incentive for them to increase sugar cane production. The production of sugar cane might decline in U.P.

Shri B.N. Kureel (Ramsanehighat) : The hon. Member, Shri Sarjoo Pandey has accused the Congress party for creating such conditions which have necessiated the passing of U.P. budget here. I repudiate his charge and say that it is S.V.D. Government and not the congress which is responsible for creating such conditions. It is the failure of S.V.D. Government which has led to the present state of affairs in U.P.

During the discussion a very disappointing picture has been presented, It has been said that during the last twenty years of congress rule the economic condition of U.P. has deteriorated. That means that the economic condition of U.P. was better in 1948-49 than

today. We know what was the condition at that time. There was control over all commodities and nothing was available. People had to stand in queue for getting one bottle of kerosene oil. People were not getting foodgrains to eat. So it is wrong to say that U.P had made no progress during the last twenty years. There is a definite improvement in the conditions of people. Of course much remains to be done.

One hon. Member belonging to Jan Sangh has accused congress party for spreading communalism. I want to say that it is Jan Sangh, which is responsible for arousing communal feeling. During the last general elections, the Jan Sangh party raised slogans against cow slaughter just to arouse communal feeling. In this connection I would like to quote a few lines of the editorial of National Herald dated 28th April, which says, "The philosophy of the Jan Sangh does not appeal to the Kerala people where the three major communities, Hindus, Christians and Muslims have been living in harmony for centuries". So it is evident that it is Jan Sangh which is responsible for arousing communal feeling.

So far as our food problem is concerned U.P. had to pass through critical scarcity conditions two years ago. The then congress Government and the people of U.P. faced that situation very boldly. They both deserve our congratulations. The food situation there can be much better, if the crores of acres of land which is lying waste is brought under plough. I fail to understand why that land is not being brought under plough. I suggest that the cultivable waste land should be given to the landless people. If that is done, it will serve two purposes. It will provide employment to those people and also increase agricultural production.

During the past we had a good start of sinking tube wells, better seeds were also supplied and all these things resulted in better production. But now the farmers are facing great difficulty in getting electric connections. They should get these connections easily. The SVD Government had laid down that a farmer should pay Rs. 1000 before a connection was given to him. I fail to understand how can the poor farmer pay this amount.

U.P. is a backward state. An hon. Member has just stated how the position of U.P. is being relegated. It is unfortunate that U.P., which is the largest State in our country, having a population of about 8 crores had not achieved so much progress, as it deserved, during the last three five year plans. I request that special attention should be paid to the development of this state.

Next I would like to say a few words about Harijans. The Harijan population in U.P. is more than 20—21 percent of the entire population of the State. Their condition is deplorable. More funds should be provided for their welfare to the Harijan Welfare Department. The S. V. D. Government had scrapped all schemes for the welfare of the Harijans. There is no reservation of seats for Harijan boys in technical, medical or engineering institutions. I request that seats should be reserved in technical institutions for the scheduled caste students. Steps should also be taken to fill up the posts reserved for them in U. P. Government offices.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur. : It is correct to say that U.P. has not progressed in the economic field to the extent it should have been during the last twenty years. The main reason for this sad state of affairs is that neither the central leaders allocated sufficient funds for the economic development of the state nor the state leaders compelled the central leaders to allocate the necessary sums required for the proper development of the state. On the other hand the central leaders had been taking active part in saddling a particular person in power and then throwing him out of power and then again saddling him in power. All this adversely effected the economic development of the state. So neither the central nor the State leaders can be absolved of the blame for the state's continued backwardness.

So far as the problem of communal riots in U.P. is concerned, I would like to suggest that we should concentrate our attention to know the main reasons of these riots. We should ascertain how these riots started and which community first committed this crime. In this connection I would also like to point out that ever since the collusion between China and Pakistan the communists in India have joined hands with communal elements to whip up tensions to create general unrest in the country. The Government should study the communal trouble in this light.

I would request the Government to pay special attention to the problem of those areas of U.P., where floods cause havoc every year. At a distance of 8 or 10 miles from Delhi, there is a road connecting Murad Nagar with Baghpat. The condition of this road is far from satisfactory. For four months the road is flooded with water and the people of the area have to face great difficulty. Similar is the condition of Ganga Khadar. There is a Nallah in Bhadargarh area near Garhmukteshwar which takes water to Ganga. During the British rule this Nallah used to be cleaned once or twice every year, but now no attention is being paid to the cleaning of this Nallah. The result is that the area often gets flooded and the people of the area have to suffer heavy losses. This Nallah should be periodically cleaned, so that the people of the area are saved from the havoc. I have discussed the problem of silting of river Ganga near Narora, where a dam has been constructed, in Moradabad District with the Irrigation Minister and Deputy Irrigation Minister. Silting of river Ganga near Narora dam causes floods in the Hassanpur Tehsil of Moradabad District. In this flood affected area there is no Government school, no hospital and no road. I would request the Central Government to initiate measures to tackle the problems of the flood affected areas.

Coming to education, I would like to point out that primary and middle school teachers in U.P. which is the largest state of country, are the lowest paid teachers in the country. The primary school teachers are getting a meagre salary of Rs. 100/- per month. Can you imagine, is it possible to meet the expenditure of an entire family with in this paltry amount. I request that steps should be taken to better the lot of primary and middle school teachers of U.P. Special attention should be paid to female education.

I would also like to say a few words about the pension of political sufferers. It is only due to the sacrifices of martyrs that we have attained independence. Ram Prasad Bismal was a well known martyr, who had laid down his life for the sake of the country. The condition of his family is deplorable. The pension of his family has been raised from Rs. 40 to Rs. 45. But this is not enough. It is a mockery of the sacrifice of the martyr, who had laid down his life for the country. So I request that Government should seriously consider the question of providing financial help to the families of the martyrs.

There are no doctors in about 350 hospitals in U.P. These hospitals are being run by compounders. The condition of women hospital is all the more pitiable. Special attention should be paid to this matter while passing U.P. budget.

I would also like to say that priority should be given to the work of providing roads in the backward and flood affected areas of U.P.

Before concluding my speech I would like to stress that the grievances of the labourers in the industrial concerns in Modi Nagar should be attended to. The Government should fully enquire into the difficulties of these labourers. Although the population is 40 to 50 thousand yet there is no Municipal Board in that town. There should be a Municipal Board in that town. I hope the Finance Minister will give full thought to this matter.

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियमों में संशोधनों के बारे में प्रस्ताव

MOTIONS RE: AMENDMENTS TO UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) RULES

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री श्रीनिवास मिश्र तथा श्री मधु लिमये के प्रस्ताव को लिया जायेगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अनुसरण में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1968 में, जो दिनांक 5 फरवरी, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 481 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो 23 फरवरी, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूपभेद किये जायें, अर्थात् :—

(एक) नियम 3 के उपनियम (1) में, 'उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन' शब्द हटा दिये जायें ;

(दो) नियम 3 का उपनियम (2) हटा दिया जाये।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967, की धारा 21 की उपधारा (3) के अनुसरण में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1968 में, जो दिनांक 5 फरवरी, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 481 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 23 फरवरी, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूपभेद किये जायें, अर्थात् :—

(एक) नियम 3 के उपनियम (1) में 'जहां तक व्यवहार्य हो' शब्द हटा दिये जायें ;

(दो) नियम 3 के उपनियम (2) को हटा दिया जाये ;

(तीन) नियम 4 में, 'सभी अथवा कोई' शब्द हटा दिये जायें ;

(चार) नियम 5 का परन्तुक हटा दिया जाये ;

(पांच) नियम 6 में, 'सभी अथवा कोई' शब्द हटा दिये जायें।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

श्री श्रीनिवास मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक पर इस सभा में चर्चा करते समय कई माननीय सदस्यों ने यह भय प्रकट किया था कि इस विधेयक के द्वारा सरकार मनमानी शक्तियां प्राप्त करना चाहती है। तत्पश्चात् इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा गया था। संयुक्त समिति में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक पर चर्चा के समय गृह मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि किसी संस्था को विधिविरुद्ध घोषित करने वाली अधिसूचना में जो तथ्य नहीं दिये जा सकेंगे, वे न्यायाधिकरण को बता दिये जायेंगे।

समिति को यह आश्वासन देने के बाद मंत्री महोदय नियम 3 ले आये । इस नियम में जो साक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके लिये में आपत्ति करता हूँ । यह विचार करना गृह मंत्री का काम है कि क्या साक्ष्य को आंकने के तरीके में परिवर्तन करना या यह निर्णय करना कि किसके पास विशेषाधिकार हैं या नहीं है या जो बातें न्यायाधिकरण के पास जानी थीं, उन्हें छिपाना केवल प्रक्रिया है या यह एक ठोस कानून नहीं है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।
Mr. Speaker in the Chair.]

मैं समझता हूं कि नियम 3, जैसा कि यह इस समय है, केन्द्रीय सरकार के, अधिनियय की धारा 21 (2) (ख) के अधीन नियम बनाने के सम्बन्ध में दी गई शक्ति से बाहर है ।

अधिनियम न्यायाधिकरण को, केन्द्रीय सरकार अथवा पदाधिकारियों से कोई भी जानकारी मांगने की शक्ति देता है । अब इन नियमों के अधीन सरकार न्यायाधिकरण का मुंह बन्द करना चाहती है और इस शक्ति को छीनना चाहती है, ताकि न्यायाधिकरण सभी दस्तावेजों की मांग न कर सके । अतः यह नियम अधिनियम की धारा 4, उपधारा (3) के विपरीत है ।

सरकार ने ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं कि न्यायाधिकरण उसे दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता । इन शक्तियों के अन्तर्गत सरकार किसी भी संस्था को उस पर यह आरोप लगा कर कि इस संस्था ने इतने व्यक्तियों को मारा है, अथवा यह संस्था हथियार बना रही है, बम बना रही है, उसे विधिविरुद्ध घोषित कर सकती है और न्यायाधिकरण उसे दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता । सरकार ने साक्ष्य को रोकने और न्यायाधिकरण के समक्ष केवल अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने की शक्ति प्राप्त कर ली है । न्यायाधिकरण सरकार को खाता-बही या दूसरे दस्तावेज प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त यदि सरकार कभी कोई वस्तु न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत भी करती है, तो वह अभियुक्त को उपलब्ध नहीं होगी । यह न्याय के विरुद्ध है । जो अभियुक्त खर्चा दे रही है उसे कागजात दिये जाने चाहिये तथा इन कागजों की जांच करने तथा उनकी प्रतियां लेने की अनुमति दी जानी चाहिये । इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124 में, राज्य नीति का प्रश्न होने पर कुछ दस्तावेजों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का दावा करने की व्यवस्था की गई है । विशेषाधिकार का यह दावा ठीक है या गलत निर्णय करना अदालत का काम है । अब गृह मंत्री महोदय इस शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहते हैं कि किसी दस्तावेज को पेश किया जाये या नहीं । गृह मंत्री यह शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं कि वह बिना कारण बताये किसी को भी सजा दे सकें या फांसी दे सके । यह उचित नहीं है । मन्त्री महोदय को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, my ammendments are very important and particularly so regarding Rule 3 and 5. So far as rule 3 is concerned, my hon. friend has just referred to it in detail. In connection to Rule 5 I want to say that this rule is a gross violation of the assurances given by the Home Minister in Joint committee. At the time of the discussion we thought that Government is trying to have arbitrary powers and so we asked many questions to clarify the position. In reply to my question the Home Minister at that time said, "complete facts will be disclosed to the court or Tribunal which is going

to take a view in the matter. Certain things will not be disclosed in the notification." So at that time the Home Minister gave clear assurances that all facts which could not be given in the notification declaring an association unlawful would be disclosed to the tribunal. In reply to my question whether it will not be obligatory for Government to disclose all facts, which are not given in the notification, before the tribunal also. Shri C.K. Daftry, the Attorney General of India said, "Before the Tribunal, the Government will have to justify its action." The words of the Home Minister were, "Naturally, when you want to go into a case it is always open and all the facts necessary to prove a case will be placed before them. What will be placed before the court will entirely be disclosed". But the rules now make it clear that a Tribunal can not compel the Government to produce all the account books and documents. I therefore, request the Home Minister to withdraw Rule 3, because it is in contravention of the assurances given by him.

The proviso to Rule 5 is as follows :

"Provided that nothing in this Rule shall require the Central Government to disclose any fact to the Tribunal which that Government considers against the public interest to disclose".

The above proviso is also in clear contravention of the assurances given by the Home Minister. It should be annulled.

In the joint committee, I had presented an amendment that the provisions of this Act should be made applicable to the Government, if they surrendered country's territory, as they were now doing by accepting the Kutch Award. The Government should amend the constitution before surrendering the territory to Pakistan.

[श्री रा० ढो० भंडारे पीठासीन हुए ।
Shri R.D. Bhandare in the Chair]

The Mizo Front is the first organisatien which has been declared unlawful under this Act. This has been done to curb certain activities in the Mizo Area. I want to know the extent to which Government had succeeded in checking those activities. I would also like to point out that the party in power is indulging in many such activities which warrant that that party should be declared unlawful. I would like to know whether the Home Minister is thinking in these terms.

Now I would like to draw the attention of the Home Minister to article 256 and 257 which are as follows :

"256. The Executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply to that state, the Executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose."

"257 (1) The Executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to the state as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose."

So under the provisions of Articles 256 and 257 the Government is empowered to ensure the compliance with the laws of the land and the constitution. But the Maharashtra Government had let off certain people who had been sentenced for violating Foreign Exchange Regulations etc. and whose sentence was confirmed even by the Supreme court.

The Home Minister who had got the law passed for checking unlawful activities should ensure the compliance of the country's laws by the State Government. The Fedco affair should be investigated.

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : मैं श्री श्रीनिवास मिश्र तथा श्री मधु लिमये के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। मैं नहीं समझता कि सरकार इन प्रस्तावों द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को स्वीकार करेगी, क्योंकि सरकार कुछ ऐसी अप्रजातंत्रित कार्यवाही करना चाहती है, जिन्हें इस सीमित संविधान के अन्तर्गत भी करना संभव नहीं है।

सरकार ने दावा किया है कि उसे उन दस्तावेजों को प्रकट न करने का अधिकार दिया जाये, जिन्हें वह जन-हित में प्रकट नहीं करना चाहती। व्यवहार में इस पर कैसे अमल होगा, इसके उदाहरण मौजूद हैं। उड़ीसा पर और श्री बीनू पटनायक तथा श्री बीरेन मित्र के मामलों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन का प्रश्न पिछली संसद् में उठाया गया था। सरकार ने कहा था कि प्रतिवेदन में क्या लिखा है यह बताना जनहित में नहीं है। परन्तु बाद में उस प्रतिवेदन में लिखित बातों का पता लग गया था। यद्यपि सरकार यही कहती रही कि यह सच नहीं है कि उस प्रतिवेदन का पता लग गया है। हम सभी ने उसे पढ़ा था और उसमें कोई भी पैरा या वाक्यांश ऐसा नहीं था जो देश के हितों के विरुद्ध हो और जिसका बताया जाना जनहित में न हो। अपने सहयोगियों को जेल जाने से बचाने के लिये या कुछ न्यायिक प्रक्रियाओं से उन्हें बचाने के लिये सरकार ने जनहित की आड़ ली है। वर्तमान प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित नहीं है, अपितु यह किसी संस्था के मूलभूत अधिकारों से सम्बन्धित है और ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते है, कि इन नियमों पर कैसे अमल किया जायेगा।

अब मैं निवारक निरोध अधिनियम का उदाहरण देना चाहता हूँ। निवारक निरोध अधिनियम तथा संविधान के अधीन सरकार को किसी याचिका लेख पर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से किसी तथ्य को छिपाने का कोई अधिकार नहीं है। हमने देखा है कि सरकार द्वारा दिये गये अभियोग पत्र बहुत से मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। अतः यदि सरकार के पास यह अधिकार होता कि वह निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालयों को जानकारी देने से इन्कार कर सके, तो बहुत से ऐसे नागरिक जिन्हें न्यायालयों द्वारा छोड़ा गया है, जेलों में बन्द होते। सरकार इसी लिये किसी संस्था के बारे में कुछ कागजातों को रोकने के अधिकार की मांग कर रही है, क्योंकि वह जानती है कि यदि ये बातें किसी न्यायाधिकरण के समक्ष ले जाई जायें तथा उन पर कोई न्यायिक कार्यवाही की जाये तो शायद वे इस कसौटी पर खरे न उतर सकें। नागरिकों और संस्थाओं को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करने के अतिरिक्त सरकार का कुछ कागजातों को जनहित में रोकने का यह आग्रह न्यायाधिकरण को अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार से भी वंचित करना है दूसरी ओर, सरकार न्यायाधिकरण को अपनी (सरकार के) इच्छानुसार निर्णय करने के लिये बाध्य करना चाहती है, इसलिये उन्होंने इस प्रकार नियम बनाये हैं और इसीलिये मैं प्रस्तावों का अनुमोदन कर रहा हूं।

श्री नंजा गौडर (नीलगिरि) : विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष जिस व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध मुकदमा होता है उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसा कि एक अपराधिक मामले में एक अप-

राधी के साथ । यह कानून का आधारभूत सिद्धान्त है कि किसी भी अपराधी व्यक्ति अथवा संस्था को अपनी रक्षा करने के लिये प्रत्येक सुविधा दी जाये, इसलिये नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार दस्तावेजों, लेखा-बहियों आदि को रोकना उस व्यक्ति अथवा संस्था के हित के प्रतिकूल होगा जिसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है और यह मुकदमा भी मुकदमा न रह कर एक प्रहसन होगा ।

दूसरे, यदि इस उप-नियम में बताये गये दस्तावेजों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो न्यायालय, मुकदमे में जो कहा जायेगा उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी चीज की छान-बीन नहीं कर सकेगा । यह भी अच्छी बात नहीं है और कानून तथा न्याय के प्रतिकूल है । इससे राज्य मनमानी करेंगे, अतः इसे रोकना चाहिए ।

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 एक हानिकर तथा घृणोत्पादक विधान है और हमारी समझ में नहीं आती कि सरकार ने इसे अधि-नियमित करना कैसे उचित समझा । मैं इसे फालतू समझता हूं क्योंकि देश में किसी भी विधि विरुद्ध कार्यकलाप को रोकने के लिये सरकार के पास पहले ही पर्याप्त हथियार हैं लेकिन इस अधिनियम को बनाने के पीछे उनका कुछ बुरा उद्देश्य मालुम पड़ता है ।

सरकार विधिविरुद्ध कार्यकलापों में भाग लेने वाली संस्थाओं, संघों तथा दलों को विधि-विरुद्ध घोषित करने जा रही है । हमारा देश प्रजातन्त्रात्मक है, यदि सत्तारूढ़ दल यह देखता है कि कोई दल ऐसा प्रचार कर रहा है जिसे वह अपने हित में नहीं समझता और जिसके द्वारा वह दल अधिक शक्तिशाली हो सकता है और इस तरह सत्तारूढ़ दल के एकाधिकार को खतरे में डाल सकता है तो सत्तारूढ़ दल अपने ही निजी प्रयोजनों के लिये इस अधिनियम का उपयोग कर सकता है । देश में एक प्रकार की एकता, सजातीयता, स्वस्थ और रचनात्मक तथा सहकारी भावना लाने के लिये लोक-मत का बहुत महत्व है । मिजो फ्रन्ट में इस अधिनियम को लागू किया गया लेकिन फिर भी वे मिजो लोगों की गतिविधियों को रोकने में असमर्थ रहे । यह उचित है कि जब कोई दोषारोप पत्र दिया जाता है कि कुछ दल विधिविरुद्ध कार्यकलापों में पड़ते हैं तो सम्पूर्ण देश की जनता को यह बताया जाना चाहिये कि उन्होंने (दल) राष्ट्र की सार्वभौमिकता और अखण्डता का कैसे उल्लंघन किया और एक प्रजातंत्रात्मक देश में इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती, नहीं तो, जनता को सरकार की सदाशयता पर संशय हो जायगा तथा उनकी ऐसी धारणा हो सकती है कि कुछ लोगों अथवा दलों को राजनीतिक कारणों से दण्ड दिया जा रहा है । इस प्रकार की धारणा से बचने के लिये यह आवश्यक है कि नियमों में ठीक ढंग से संशोधन किया जाय, किसी दल अथवा संघ पर दोषारोप लगाने से पूर्व सरकार को सम्पूर्ण साक्ष्य का रहस्य प्रकट करना चाहिये । इससे सरकार के आगे प्रवर्त्तन के लिये एक सहायक वातावरण तैयार हो जायेगा । प्रजातंत्र में, कार्यपालिका तथा जनता के अधिकारों के बीच सुरक्षा वाल्व केवल न्यायपालिका ही है । यदि न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दिया जायेगा तो यह देश के लिये सबसे अधिक बुरा होगा । यदि न्यायाधिकरण में जाने से पूर्व सम्पूर्ण दोषारोपों और उन दोषारोपों के कारणों को बता दिया जाय तो क्या हानि है ? न्यायाधिकरण अथवा न्यायपालिका को इतना असहाय नहीं बनाना चाहिये कि वे अपना कार्य भी न कर सकें ।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : I support the amendments put forward by Shri Limaye and Shri Mishra. If these amendments are not accepted then it will be detri-

mental to our fundamental rights and as a result the Unlawful Activities Act will become unconstitutional. The law under which these rules have been framed are related with the fundamental rights. A reasonable restraint can be put over the fundamental rights only when there is a danger to the national security and special abnormal circumstances. If the restraint on the fundamental rights is more than reasonable then the whole Act becomes unconstitutional. If the executive does not produce the evidence before the tribunal then it becomes a farce.

Therefore, if we want that this whole Act should not be unconstitutional then we should see that restraint over the fundamental rights should not exceed the reasonable restraint and the amendments sought should be accepted. We should not allow executive to be autocratic and there should not be any encroachment upon the fundamental rights. If the hon. Home Minister does not accept these amendments then the purpose of select committee will not be served. If the Hon. Home Minister does not want to back out of his assurances and does not want to be treacherous to the select committee he should have no objection in accepting these amendments.

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : श्री श्रीनिवास मिश्र का मत है कि सरकार धारा 4 का अतिक्रमण करना चाहती है जिसमें यह कहा गया है कि न्यायाधिकरण को गवाही के लिये बुलाने का अधिकार होना चाहिये । लेकिन साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण द्वारा जांच में भी सभी उपबन्ध लागू होते हैं । इसलिये किसी भी स्थिति में साक्ष्य को रोकने से सरकार को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अन्तर्गत दस्तावेज पेश न करके कारण सरकार के विरुद्ध पूर्वधारणा पैदा हो सकती है, इसलिये इस प्रकार के तर्क देना कि सरकार कुछ असाधारण बात थोप रही है ठीक नहीं है, साक्ष्य अधिनियम में ऐसा उपबन्ध केवल जनता के हित में किया जाता है । ऐसा कहना ठीक नहीं है कि इस उपबन्ध के द्वारा सरकार नागरिकों अथवा संस्थाओं के लिए अहितकारी कार्य करने जा रही है । अन्तिम विश्लेषण में, निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा दिया जाता है । निर्णय मे किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं डाली जायेगी । यदि रुकावट होगी भी तो सरकार अथवा अभियोजक को होगी क्योंकि यह सम्भव है कि अभियोजक इस कानून के आधार पर लोक हित में कुछ सूचना न दे । इस उपबन्ध का अगर प्रभाव पड़ता है तो केवल सरकार पर । लेकिन सरकार देश के व्यापक हित में यह खतरा मोल लेती है । अतः यह संशोधन आवश्यक नहीं है । श्री मिश्र कहते हैं कि यह कानून अधिनियम के उपबन्धों के बाहर है । लेकिन यह ऐसा कानून नहीं है जिसे कार्यपालिका संसद के अनुमोदन के बिना बनायेगी, यदि एक बार संसद कानून को अनुमोदन दे दे तो इस कानून की मान्यता उतनी ही हो जाती है जितनी कि अधिनियम की ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : हमारे लोकतंत्रात्मक संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने की तथा संस्था बनाने की स्वतन्त्रता है लेकिन इस स्वतन्त्रता का भी कभी दुरुपयोग हो सकता है । इसलिये संसद को पूरा अधिकार है कि इस स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण रखे । यदि कोई कानून उस अधिनियम के विशिष्ट उपबन्ध के प्रतिकूल है जिसके अन्तर्गत इसे बनाना है तो यह विधि न्यायलय का कर्तव्य है कि वह उसे न केवल शक्तिपरस्तात् घोषित करे बल्कि उसे विचाराधिकार देने से इंकार कर दे । जब कानून और अधिनियम में झगड़ा होता है तो कानून का यह निश्चित सिद्धान्त है कि अधिनियम बना रहता है । साक्ष्य अधिनियम में यह पूर्वकल्पना है कि सरकार को यह विशेषाधिकार है कि वह कोई ऐसी गवाही न दे जिसे वह लोक

हित में न्यायालय को नहीं बनाना चाहती । यदि न्यायालय को इस बात का विश्वास हो जाता है कि इस अधिकार का मनमाने ढंग से प्रयोग किया गया है तो वह कह सकती है कि, क्योंकि इस विशेषाधिकार का दावा असद्भावी है अतः सरकार को इसके लिये दावा करने का अधिकार नहीं है । कानून का यह आधार भूत सिद्धांत है कि असद्भावी कार्य, चाहे वे व्यक्तियों के हो अथवा, संस्थाओं के, उनमें वैध शक्ति नहीं होती, यदि उच्चतम न्यायालय इस परिणाम पर पहुंचता है कि संसद द्वारा पास किया गया कोई विशेष विधेयक असद्भावी है तो यह इसे रद्द कर सकती है और संविधान की शक्ति के परे घोषित कर सकती है । यदि सरकार के इरादे असद्भावी हैं तो हमें अपने न्यायालयों पर विश्वास करना होगा जो कि शक्ति के इस असद्भावी प्रयोग को मान्यता देने से इंकार कर देंगे ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इन नियमों के सम्बन्ध में संशोधन पेश करने वाले माननीय सदस्यों के तर्कों में इस बात को बताने का प्रयत्न किया गया है कि प्रवर समिति की चर्चा के दौरान मैंने जो कुछ कहा उसमें तथा वर्तमान नियमों में असंगति है । मैंने उस समय कहा था कि सम्भवतः यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी तथ्यों को प्रकट किया जाय परन्तु यह मुकदमा चलाने वाले अधिकारी के हित में होगा कि उन सभी तथ्यों को प्रकट किया जाय जो कि न्यायाधिकरण को यह विश्वास दिलाने के लिये आवश्यक है कि अभियोग चलाने के लिये आधार है । हम अभी भी अपनी बात पर स्थिर है । नियम 5 के परन्तुक (2) में अब भी यही स्थिति है । वास्तव में इसमें इतना जरूर कहा गया है कि सरकार जन-हित के आधार पर कुछ जानकारी बताने से मना कर कर सकती है । कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमेशा प्रकट करना आवश्यक नहीं है । कुछ सैनिक पहलुओं से सम्बन्धित बातें हो सकती हैं जिन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता । यह अधिनियम देश की एकता तथा सार्वभौमिकता के विरुद्ध गतिविधियों के सम्बन्ध में है । कभी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय मामलों सम्बन्धी बातें अन्तर्गस्त हो सकती हैं । कभी अपने मित्र देशों से सम्बन्धित जानकारी भी इसमें शामिल हो सकती है । ऐसी सारी जानकारी को न्यायाधिकरण के समक्ष होने वाली कार्यवाही में प्रकट नहीं किया जा सकता । न्यायाधिकरण को उस जानकारी को मांगने का पूरा अधिकार है जो कि उसके लिये मामले के अस्तित्व के बारे में विश्वास प्राप्त करने के लिये आवश्यक है । सभी संगत तथ्यों को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना सरकार के हित में होगा । संस्था के विरुद्ध मामले को सिद्ध करने के लिए आवश्यक तथ्यों को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : आपको दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं न कि तथ्य ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसके दो पहलू हैं । एक तो यह कि जिलाधीश सरकार को अपने समक्ष ऐसे लेखा-बहियों दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये मजबूर नहीं करेगा । ऐसा केवल विशेष परिस्थितियों में ही होगा । दूसरा उन मामलों के बारे में है जहां कि न्यायाधिकरण के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं, उन दस्तावेजों से तथ्य प्रकट किये जाने चाहिये कि नहीं । यह कुछ दस्तावेजों की गोपनीयता को सुनिश्चित करने का प्रश्न है ।

दूसरी आलोचना साक्ष्य अधिनियम के प्रतिबन्धित प्रयोग के बारे में की, मैंने संयुक्त समिति में चर्चा के दौरान 6 महीने की अवधि के अन्दर न्यायाधिकरण की कार्यवाहियों को पूर्ण करने के संशोधन के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रकट की है । इस अधिनियम का सम्पूर्ण उद्देश्य विशिष्ट

और असाधारण स्थितियों का सामना करना था, अतः जब हम 6 महीने के अन्दर कार्यवाही को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व ले रहे हैं तो हमारे कुछ दायित्व भी हैं जो इस स्थिति से उत्पन्न होने हैं। मैं स्वयं यह नहीं समझता कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा सुझावित संशोधनों को स्वीकार कर सकता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं श्री देशमुख के इस कथन को स्वीकार करता हूं कि न्याय-पालिका इस बात का निर्णय करेगी कि यह विशेषाधिकार है या नहीं। गृह मन्त्री को न्यायपालिका में ऐसा विश्वास क्यों नहीं है ? न्यायपालिका में भी तो इसी देश के लोग होते हैं। प्रत्येक को उनमें विश्वास है। अगर ऐसा है तो फिर सरकार गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को न्यायपालिका के समक्ष यह निर्णय करने के लिये कि क्या वे सचमुच गोपनीय हैं और विशेषाधिकार-प्राप्त हैं तथा क्या उनको प्रकाशित किया जाना चाहिये अथवा नहीं, प्रस्तुत करने में क्यों डरती है ? सरकार इसका निर्णय स्वयं करना चाहती है और इसी बात पर हमें आपत्ति है। हम चाहते हैं कि न्यायपालिका साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124 के अन्तर्गत इस मामले का निर्णय करे जो कि न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करती है। सरकार अपने लिये विशिष्ट साक्ष्य अधिकार क्यों चाहती है और अभियुक्त के साक्ष्य अधिकारों को क्यों कम कर देना चाहती हैं ?

गृह मन्त्री महोदय ने उत्तर देते हुये कहा कि ये विशिष्ट मामले हैं। अपवाद कभी नियम बन सकते हैं। जब आप इसे सांविधिकग्रन्थ (अधिनियम-ग्रंथ) में ला रहे हैं और उसके अन्तर्गत सांविधिक नियम बना रहे हैं जिसको कि विधि-मान्यता प्राप्त है तो फिर अपवाद की बात क्यों सोचते हैं ? यह सब पर लागू होगा। यह अपवाद का प्रश्न नहीं हैं। यह धारणा का प्रश्न है। धारणा को शब्दों में व्यक्त करना पड़ता हैं। गृह मंत्री महोदय ने संयुक्त समिति में यह आश्वासन दिया था कि सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जायेगा लेकिन अब वह कहते हैं कि कुछ तथ्यों को प्रकट नहीं किया जायेगा। अब वह उन तथ्यों तथा उनका समर्थन करने वाले दस्तावेजों के बीच गड़बड़ (अस्पष्टता) उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिये वह यह कहने का प्रयत्न कर रहे है कि यह उनके हित में होगा कि वह सभी तथ्यों को न्यायधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दें। वह तथ्यों को तो प्रस्तुत करेंगे लेकिन उन तथ्यों का समर्थन करने वाले दस्तावेजों को नहीं।

Shri Madhu Limaye : The hon. Home Minister has not stated whether he will fulfil his assurances given before the Joint Committee or not. If he does not want to stick to his assurances and thinks it as an exceptional case then how it can be believed ?

As is clear from the rules, they are taking the rights in their hands that :

" ..... The Tribunal or the court o the District Judge shall not,

(a) compel that Government to produce before it such books of account or other documents,

They say about the documents they have placed that :

"(b) where any such books of account or other documents have been produced before it by that Government,

(i) make such books of account or other documents a part of the records of the proceedings before it, or

(ii) Give inspection of, or a copy of the whole of, or any e act from, any such books of account or other documents to any i rty before it or to an other person."

The proceedings of the Tribunal will be finished if the persons or the associations against whom the charges have been made are not given full informations and are not allowed to inspect. So the withholding of the documents will not be proper. The hon. Home Minister, keeping in view his assurances should reconsider this matter and then should state his decision.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अनुसरण में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1968 में, जो दिनांक 5 फरवरी, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 481 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 23 फरवरी, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूप-भेद किये जायें, अर्थात् :

(एक) नियम 3 के उपनियम (1) में, 'उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन' शब्द हटा दिये जायें ;

(दो) नियम 3 का उपनियम (2) हटा दिया जाये ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अनुसरण में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1968 में, जो दिनांक 5 फरवरी, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 481 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, तथा जो 23 फरवरी, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूप-भेद किये जायेंगे, अर्थात् :

(एक) नियम 3 के उपनियम (1) में 'जहां तक व्यवहार्य हो' शब्द हटा दिये जायें ;

(दो) नियम 3 के उपनियम (2) को हटा दिया जाये ;

(तीन) नियम 4 में 'सभी अथवा कोई' शब्द हटा दिये जायें ;

(चार) नियम 5 का परन्तुक हटा दिया जाये ;

(पांच) नियम 6 में, 'सभी अथवा कोई' शब्द हटा दिये जायें ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 3 मई, 1968/13 वैशाख 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 3rd May, 1968/Vaisakha 13, 1890.